

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A NO. 102/2023

**IN THE MATTER OF:**

Neeraj Chhachhar & Anr.

...APPLICANTS


VERSUS

State of Uttarakhand & Ors.

...RESPONDENTS

**INDEX**

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of DM HARIDWAR in compliance of order dated 10.05.2024.	
2.	<b>Annexure 1</b> A true copy of order dated 10.05.2024	
3.	<b>Annexure 2</b> A true copy of Government of Uttarakhand notification- 828/II (2)-2018-06 (65)/2016 dated 11.05.2018	
4.	<b>Annexure 3</b> A true copy of Government of Uttarakhand notification no. 726/11(2)/2022-06(65)/2016 dated 13.07.2022	
5.	<b>Annexure 4</b>	



A true copy of letter dated 22.06.2024
--

५  
RESPONDENTS

HARIDWAR Through

जिलाधिकारी  
हरिद्वार


Date: 17/08/2024

**NEERAJ**

(Panel Advocate, State of Uttarakhand)

**Mob:** +91-9811075937

**Email:** [neerajindia@hotmail.com](mailto:neerajindia@hotmail.com)



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A NO. 102/2023

**IN THE MATTER OF:**

Neeraj Chhachhar & Anr.

...APPLICANTS

VERSUS

State of Uttarakhand & Ors.

...RESPONDENTS

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF DM HARIDWAR IN COMPLIANCE  
OF ORDER DATED 10.05.2024.**

I, DHIRAJ SINGH GARBYAL S/O, DAYA RAM GARBYAL aged about 51 years presently working as District Magistrate, Haridwar do hereby solemnly affirm and state as under.

SN 474  
17/08/2024

1. THAT I have gone through the contents of this OA filed by the Applicant and understood the same.


2. THAT vide order dated 10.05.2024, this Hon'ble Tribunal had directed:-

*"4. Hence, we require the District Magistrate, Haridwar to file further report in the form of affidavit clarifying the above position and also to appear virtually on the next date of hearing and disclose the material showing that the flood plain zone in terms of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 for the area concerned has been demarcated."*


A true copy of order dated 10.05.2024 is annexed herewith and marked as Annexure 1.

3. THAT the stand of the Answering Respondent is as follows:-

॥  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार



- A. "Uttarakhand Flood Plain Zoning Act 2012" has been implemented for Flood Plain zoning for the rivers in the state of Uttarakhand and the notification was issued on 28.01.2013.
- B. By the order dated 10.12.2016 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the original application no. 200/2014, miscellaneous case no. 205, 206, 224, 585/2016 CWP No. 3727/1985 and others, directions were issued to ensure compliance of the said Act of 2012.
- C. By Government Order No. 1488/11-2014/06 (013) / 2013 dated 06.07.2015, a committee has been formed at the district level for the implementation of the Act, with the District Magistrate as the Chairman/Flood Zoning Authority and the Executive Engineer posted at the District Headquarters as the Nodal Officer. Orders were issued to nominate officers/members and instructions were issued to contact the District Magistrate to ensure proper and prompt action to comply with the instructions issued by the National Green Tribunal (NGT) for the implementation of the Act.
- D. In compliance with the instructions given in the above notification dated 06.07.2015 of the Secretary Irrigation Department, Section-2, Uttarakhand Government, Dehradun, a district level committee was formed under the chairmanship of the District Magistrate under sub-section-1 of section-3 of the Flood Plain Zoning Act-2012.
- E. In the first meeting of committee constituted for deciding flood plain zoning for implementation of notification dated 06.07.2015 Nodal Officer/Executive Engineer, Irrigation Division, Haridwar taking into account 25 years figures, behaviour of river, size and need of population, allotted survey and map digitization work to



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

the National Institute of Hydrology Roorkee to prepare a digital map by conducting a design survey:-

(a) - National Institute of Hydrology Roorkee took the discharge data of Bhimgowda Barrage from 1987 to 2014 and after processing the said data, data of different frequencies like flood of 25, 50, 100 years were estimated.

(b)-For Spatial Data, Topo Sheet was taken from Survey of India and Google Earth and Satellite DEM (Digital Elevation Model) was taken.

(c) River flow paths were prepared by analyzing satellite data and flood delineation was done.

(d) After surveying the river from Total Station, cross sections were taken at different places of the river.

(e)Modelling was done by inputting data of Flood dams and cross sections of different frequencies into HEC-RAS software and water surface profiles of different return periods were prepared.


(f) After this, the extent of floods of different frequencies was marked on the map and a report was prepared.

g) Latitude and Longitude of the flood limit were prepared every 50 meters, on the basis of which physical marking was done on the land.

F. After the survey work, 25, 50 and 100 years flood frequency lines were marked on the Shajra Map.

G. First notification by Uttarakhand Government bearing No. 381/II/2017/06/2016 Dehradun dated 28.02.2017 was released.

H. By the Uttarakhand's Government Order No. 828/II (2)-2018-06 (65)/2016 dated 11.05.2018, the final notification was issued for



4  
\* जिलाधिकारी  
हरिद्वार

the 50.00 km reach from Chandipul in District Haridwar to Uttar Pradesh.


A true copy of Government of Uttarakhand notification- 828/II (2)-2018-06 (65)/2016 dated 11.05.2018 is annexed herewith and

**Annexure 2**

- I. It is to be informed here that flood plain zoning in Haridwar district is done in terms of 2012 Act and not as per River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. Executive Engineer, Irrigation Division, Haridwar has informed that the work of Flood plain zone has been completed.
- J. **In Haridwar district, demarcation work has been done for 6.20 km from Haripur Khurd to Chandipul on the Right Bank of River Ganga and 50.00 km from Chandipul to Laksar.**

A true copy of Government of Uttarakhand notification no. 726/11(2)/2022-06(65)/2016 dated 13.07.2022 is annexed herewith and **Annexure R-3**

- K. According to the explanation dated 21.06.2024 by Executive Engineer, Haridwar-Roorkee Development Authority, Haridwar, the land owner had in relation to land in question submitted different maps number - HRDA/R/0423/18-19 dated 04.06.2018 and HRDA/R/0424/18-19 was presented on 15.06.2018. After permission from the authority on 08.08.2019, construction work was started on the site. The construction being found in violation and deviation of the approved approved map, the authority filed case no./serl.No /411/2019 20 dated 19.11.2019 in the name of land owner Shri Nirdosh Kushwaha etc. and case no. 318/2020-21 dated 07.10.2020 in the name of Shri Ashish Dulli.



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

Thereafter, application number - HRDA/NC/OTS/0111/21-22 was submitted by Mr. Nirdosh Kushwaha & ors for mitigation of unauthorized construction, which was approved on 27.07.2023.

*Due to the construction being done again deviating from the map of the land owner, the construction in question was sealed by the authority on 01.11.2023. It is also to be clarified that the said construction has not been sealed in violation of the flood zone.* At present the property in question is in sealed condition. The opposition has again submitted application number - HRDA/NR/OTS/0003/24-25 dated 04.04.2024 for compounding the seal of Suda Bhawan under OTS 2024, which is under consideration.

A true copy of letter dated 22.06.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure 4**.

- L. It is also to be informed that as per the report of the Executive Engineer, Irrigation Division, Haridwar dated 01.05.2024, the construction in question is not being done within a radius of 130 meters from the Ganga River and is outside 130 meters as marked and identified under the Flood Zoning Act, 2012. It is being done outside at a distance of about 130 meters and the said construction is not falling in the flood zone of river Ganga.

M. At present the construction work on the spot is closed.

N. THAT the instant affidavit is filed in compliance of the order dated 10.05.2024.


HARDWAR

Date: 17/08/2024

Through

RESPONDENTS

जिलाधिकारी  
हरिद्वार



**NEERAJ**

(Panel Advocate, State of Uttarakhand)

**Mob:** +91-9811075937**Email:** [neerajindia@hotmail.com](mailto:neerajindia@hotmail.com)**VERIFICATION**

I, DHIRAJ SINGH GARBYAL C/O DAYA RAM GARBYAL aged 51 years, presently serving as District Magistrate, Haridwar do hereby verify at **HARDWAR** on 17 day of August 2024 that the contents of the instant affidavit are true to the best of my knowledge as derived from the official record and nothing has been concealed thereon.

**HARIDWAR****IDENTIFIED BY**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ashok Kumar'.

**ASHOK KUMAR**  
Advocate  
Regd. No. U.A.-113/05  
Distt. Court Roashnabad  
Haridwar

**DEPONENT**

निलाधिकारी  
हरिद्वार

**ATTESTED**

17/08/2024  
**SURENDRA KUMAR**  
NOTARY ADVOCATE  
DISTT. COURT, HARDWAR

Item No. 09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 102/2023

Neeraj Chhachhar &amp; Anr.

Versus

Applicant(s)

State of Uttarakhand &amp; Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 10.05.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: None present

Respondent: Mr. Neeraj & Mr. Rudra Paliwal, Advs. for R - 3, 12 & 13 (Through VC)  
Mr. Akash Bhadana, Adv. for Project Proponents  
Mr. Ankur Khandelwal, Mr. Himanshu Handa, Ms. Sanya Panjwani,  
Advs. for R - 10  
Mr. Gigi. C. George, Adv. for NMCG (Through VC)  
Mr. Mukesh Verma, Adv. for UKPCB (Through VC)



**ORDER**

1. In this original application, the grievance is against construction of residential apartments at Beliram Ashram, Kankhal Haridwar in violation of environmental norms and also resulting in pollution of river Ganga due to discharge of sewage, dumping of construction waste, etc. One of the issues involved in the OA is in respect of construction being raised on the flood plain zone of river Ganga.

2. The report dated 03.05.2024 has been filed by the Joint Committee stating that as per the information furnished by the Irrigation Department, Haridwar, since the project site does not come within the periphery of 130 metres from river Ganga, therefore, it does not fall within the flood plain zone. Same is the stand of the Chief Engineer, Irrigation Department in the reply dated 25.04.2024. In the reply though the Irrigation Department has stated that on 11.05.2018, the floodplain

4

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

of river Ganga in Janpad Haridwar has been demarcated but no such order has been placed on record. The details as to how the floodplain zone has been demarcated in terms of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 have also not come up on record.


3. Learned Counsel appearing for the NMCG has informed that the floodplain zones have not been demarcated in the area concerned.

4. Hence, we require the District Magistrate, Haridwar to file further report in the form of affidavit clarifying the above position and also to appear virtually on the next date of hearing and disclose the material showing that the flood plain zone in terms of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 for the area concerned has been demarcated.

5. The report filed by the District Magistrate, Haridwar also states that the construction site has been sealed on 01.11.2023.

6. Learned Counsel appearing for the project proponent has stated that no further construction is going on at the site in question and no construction will be carried out without the leave of the Tribunal.

7. List on 22.08.2024.



Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

May 10, 2024  
Original Application No. 102/2023  
DV

4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

उत्तराखण्ड शासन  
सिंचाई अनुभाग-2  
संख्या:- 828/11(2)-2018-08(65)/2018  
देहरादून: दिनांक, 11 मई, 2018

अधिसूचना  
विधि

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार में गंगा नदी, हरिद्वार से लक्सर तक 50 किमी० रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 381/11-2017-06(65)/2016, दिनांक 28.02.2017 में संलग्न अनुसूची-01 एवं 02 में वर्णित क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात:-

क्र० सं०	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्वन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियों, समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

(आनन्द बर्दान)  
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 828/11(2)-2018-08(65)/2018, तददिनांक।

19/5/18  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्र प्राधिकारी, हरिद्वार।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)।
6. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक सॉफ्ट कॉपी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC हरिद्वार की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

पत्र संख्या 1719

खसरी नं.

दिनांक 11/05/18

प्रमुख अभियन्ता



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

आज्ञा से,  
(देवेन्द्र पालीवाल)  
अपर सचिव।


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 828 dated 11.05.2018 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Irrigation Section-02**  
**No. 828 /II(2)/2018-06(65)/2016**  
**Dehradun: Dated 11 May, 2018**

**Notification**  
**Miscellaneous**

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 07 of 2013) the Governor is pleased to accord sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 01 and 02 of the previous notification no. 381/II-2017-06(65)/2016, dated 28.02.2017 for reach up to 50 Km from Haridwar to Laksar in river Ganga of District Haridwar, namely-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/Activities regarding embankment/flood Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing Ghats, River Front development, Irrigation, Drinking water scheme, Water sports, Water transportation and Bridge etc.
2.	Restricted Area	Construction/Activities regarding Park, Sports Field, Fisheries, Agriculture etc. and the temporary construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting N.O.C. from Uttarakhand Peyjal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and soil waste created by the said activities in this area. The reconstruction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35% floor area ratio 1:5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept 1.0 M high and the examination/N.O.C. certificate shall be required necessary from the Uttarakhand Peyjal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment.



(Anand Bardhan)  
Principal Secretary.

॥  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार



## उत्तराखण्ड शासन

## सिंचाई अनुभाग-2

## अधिसूचना

28 फरवरी, 2017 ई0

संख्या 381/II-2017/06(65)/2016-चूँकि, राज्य सरकार, जिला हरिद्वार के चंडी घाट पुल से लक्सर के ग्राम कलसिया तक 50 किलोमीटर परिधि के अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और, चूँकि, राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर, उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जा सकने की, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

## अनुमन्य कार्यों का विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1.	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य
2.	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण, इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुए उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान मू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊँचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियाँ एवं सुझाव, जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अन्तिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी-प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी, हरिद्वार एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ-साथ जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में भी उपलब्ध है।




4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

(2)

अधिसूचना संख्या 381/II-2017/06(65)/2016, दिनांक 28.02.2017 की प्रतिषिद्ध (Prohibited)  
क्षेत्रों की अनुसूची-01

जनपद-हरिद्वार, तहसील-हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले ग्राम


क्र० सं०	ग्राम का नाम	खाता खतीनी संख्या	खसरा/गाटा संख्या	बाद मैदानी परिसर में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल हे० में	वर्तमान भू उपयोग		भूमि की श्रेणी	अम्बुक्ति
					भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग्राम कांगड़ी	141	1 से 3, 4म, 5म, 8, 9म से 11म, 15, 18म, 18म, 19म, 21, 22म, 23, 56म, 59, 63म से 66म, 67, 80म से 72म, 73 से 78, 96म, 97, 126म	298.3151	सरकारी वन	वन	श्रेणी-6	-
		11	8म, 10म, 6म, 8म, 4म, 10म, 11म, 14, 18, 6मि, 4मि, 18म	3.1800	कृषि आ०	मकान	सह भूमिधर	लिटिस के पेड़
		92	12, 16क, 16म, 55, 56मि, 10म, 58म, 13, 17, 19म, 20, 51म, 54	4.3490	कृषि	कृषि	सह भूमिधर	लिटिस
		137	5म	0.4430	गंगा जी	गंगाजी	श्रेणी-3	
		142	7, 9म, 16म, 49म, 56म, 63म, 72म	7.4750	गंगा जी	गंगा जी	श्रेणी-5	
		54	11म, 51म, 52, 53	1.1540	गंगा जी	गंगा जी	सह भूमिधर	
		139	19, 22म, 24, 25	1.6180	गंगा जी	गंगा जी	श्रेणी-3	
		10	22म, 56म	1.1540	कृषि	कृषि	सह भूमिधर	लिटिस
		5	27 से 45, 47, 49म, 50, 92, 95, 96म, 115, 126म, 26	28.1161	कृषि	आवासीय मकान	सह भूमिधर	
		31	56म	0.3730	गंगा जी	गंगा जी	सह भूमिधर	
		104	56म	0.3920	गंगा जी	गंगा जी	सह भूमिधर	
		138	58म	0.5940				
		7	60म, 61म, 63म	2.9860	गंगा जी	गंगा जी	सह भूमिधर	
		47	68, 69म, 70म	1.8760	गंगा जी	गंगा जी	सह भूमिधर	
		42,75,79	71म, 71म, 78, 78	2.5140	गंगा जी	गंगा जी	सह भूमिधर	
		129	78	0.3360	गंगा जी	गंगा जी	सह भूमिधर	
		96	79, 80, 81	0.1770	कृषि आवासीय	मकान	सह भूमिधर	
		144	91	0.6000	मूल आबादी	मूल आबादी	श्रेणी-6	
		75	98	0.0130	आवासीय	मकान	सह भूमिधर	
		142	99	0.2640	आवासीय	मकान	श्रेणी-6	
		146	100	0.0400	चक मार्ग	-	श्रेणी-6	
		150	101	0.0270	खाड़ के गद्दे	-	श्रेणी-6	
		29	102, 103, 104	0.4430	कृषि आवासीय	मकान	सह भूमिधर	
		24	108	0.5000	सरकारी	रोड	श्रेणी-6	
		116	109 से 116, 113, 116, 117	2.7700	कृषि	कृषि	सह भूमिधर	
			112,121,122	1.9290	कृषि	कृषि	सह भूमिधर	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

(3)


1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम कांगड़ी	26	114	0.8000	कृषि आवासीय	मकान	सह भूमिघर	
		5	115	1.6800	कृषि आवासीय	मकान	सह भूमिघर	
		93	118	0.3840	आवासीय	मकान	सह भूमिघर	
		94	119	0.3730	आवासीय	मकान	सह भूमिघर	
		145	120	0.0380	सक मार्ग	-	श्रेणी-8	
		55	123 से 125	1.5180	कृषि आवासीय	मकान	सह भूमिघर	
		140	126	0.2530	सरकारी वन	-	श्रेणी-8	
		24	127	0.3370	कृषि	-	सह भूमिघर	
		2	127	0.7590	कृषि	-	सह भूमिघर	
		106	127	1.1150	कृषि	-	सह भूमिघर	
		145	128	0.0930	सक मार्ग	-	श्रेणी-8	
		121	129	0.8740	कृषि	-	सह भूमिघर	
		125	130	2.4110	कृषि	-	सह भूमिघर	
		143	131	0.047	सरकारी	नाली	श्रेणी-8	
		1/210	132	0.408	सरकारी	सड़क	श्रेणी-8	
		3	206	0.200	कृषि	-	सह भूमिघर	
		17	207	0.800	कृषि	-	सह भूमिघर	
		143	208	0.006	सरकारी	नाली	श्रेणी-8	
		14	209	0.170	कृषि	-	सह भूमिघर	
		67	233	0.206	आवासीय	मकान	सह भूमिघर	मकान
		82	235	0.413	कृषि आवासीय	मकान	सह भूमिघर	मकान
		36	236	1.088	आवासी कॉलोनी	मकान	सह भूमिघर	
		64	237	1.0000	आवासीय	मकान	सह भूमिघर	मकान
		45	238	1.0940	आवासीय	मकान	सह भूमिघर	मकान
2	ग्राम हादीपुर	01	2/2म	0.4370	गंगा जी	-	संक्रमणीय भूमिघर	-
		02	2/3	0.3590	गंगा जी	-	श्रेणी-4	
		03	2/2म	4.6790	गंगा जी	-	श्रेणी-5-3ग स्थाई पर्युवर भूमि	
		04	1, 2/1,3	64.7070	गंगा जी	-	श्रेणी 6-1 जलमग्न भूमि	
		01	2/2म	0.4370	गंगा जी	-		
3	ग्राम देवपुरा अहतमाल	1	4/14	0.2480	पुरानी परती 3	बंजर	1क	
		2	4/18	0.2460	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	
		3	4/10	0.8300	सिम्मल-04, आम-01, जामुन-01	-	-तदैव-	
		5	4/5	0.2770	पुरानी परती 3	बंजर	-तदैव-	
		4	4/20	0.3070	-तदैव-	-	-तदैव-	
		6	4/13म	0.8150	-तदैव-	-	-तदैव-	
		7	4/9	0.8190	-तदैव-	-	-तदैव-	
		8	4/25, 6, 4/13, 4/14म, 4/15म	301.4710	वन विभाग	-	5.3ख	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

(4)


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ग्राम देवपुरा प्रहतामाल	8	4/121	0.3080	पुल	-	10	
		7	4/15	0.4100	सिम्हल-03, आवला-02, आम-03, यूकेलिस्टिस-2		10	
		8	4/21म	0.4480	सिम्हल-03		10	
		9	4/14/2	1.0240	फूल	-	10	
		10	4/8	1.8950	बंजर	-	10	
		11	4/13	0.7480	बंजर	-	10	
		12	4/12/2	0.3070	फूल	-	10	
		13	4/23	0.2800		आबादी स्कूल	10क	
		14	4/6म, 4/7म	0.2530	बंजर		10क	
		1	1/1	0.0200	रास्ता			
		2	4/4	1.8390	कृषि		2ग	
		3	4/24	0.6500	कृषि		2ग	
		4	419	0.4610	सब्जी		2ग	
		5	4/10	1.8430	बंजर		8	
		15	4/3, 4/17	0.6370	कृषि	कृषि	10क	
		16	4/6म	0.1570	बंजर	बंजर	10क	
		17	1/2, 2/2, 3, 4/1	0.7930	आबादी	आबादी	15(2)	
		18	1/1म, 2/1	0.1020	रास्ता	रास्ता	15(2)	
4.	ग्राम जगजीतपुर मुठ	376	293म	0.0560	स0मू0		स0मू0	
		379	3/4	0.0100				
		379	293म	0.0560	स0मू0		स0मू0	
		501	293म	0.4000	गंगा जी		6(1)	
		90	287म	0.1420	आबादी		स0मू0	
		501	287म	0.0940	गंगा जी		6(1)	
		93	295म	0.0100	आबादी		स0मू0	
		501	296	0.0500	गंगा जी		6(1)	
		501	298	0.0510	गंगा जी		6(1)	
		501	300	0.0410	गंगा जी		6(1)	
		500	301	0.0310	बंजर		6(1)	
		281	302म	0.0310	बंजर		5(3)	
		97	302म	0.2050		कृषि	श्रेणी-1(क)	
		212	302म	0.0100	स0मू0		श्रेणी-1(क)	
		11	302म	0.0100	स0मू0		श्रेणी-1(क)	
		37	302म	0.0260	स0मू0		श्रेणी-1(क)	
		92	302म	0.0270	स0मू0		श्रेणी-1(क)	
		124	302म	0.0270	स0मू0		श्रेणी-1(क)	
		221	302म	0.0410	स0मू0		श्रेणी-1(क)	
		380	302म	0.0270	स0मू0		श्रेणी-1(क)	
		380	302म	0.0070	स0मू0		श्रेणी-1(क)	
		380	302म	0.0260	स0मू0		श्रेणी-1(क)	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

(5)


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ग्राम जगजीतपुर गु०	385	302म	0.1740	स०मू०		श्रेणी-1(क)	
		487	302म	0.4100	श्रेणी-3		श्रेणी-3	
		483	302म	0.4100	श्रेणी-3		श्रेणी-3	
		485	302म	0.2050	श्रेणी-3		श्रेणी-3	
		498	302म	0.4100			श्रेणी-3	
		492	302म	0.4100			श्रेणी-3	
		501	302म	0.5120	गंगा जी		6(1)	
		502	302म	0.4100	गंगाजी		6(1)	
		28	303म	0.1020	स०मू०	आबादी		
		218	304	0.1230	स०मू०	आबादी	1क	
		379	308म, 317म	0.3000	स०मू०	आबादी	1क	
		11	309	0.0280	स०मू०		1क	
		37	309म	0.0290	स०मू०		1क	
		66	309म, 311म	0.2830	स०मू०		1क	
		501	309/2	0.2870	गंगा जी		6(1)	
		309	310	0.2050	स०मू०		1क	
		308	312	0.6150	स०मू०			
		282	313	0.1230	स०मू०			
		501	316, 317	0.1950	गंगा जी			
		230	322, 325म, 327म, 335	0.9270	स०मू०	आबादी		
		281	328/1	0.1540	स०मू०		1क	
		501	328/2	0.2460	गंगा जी		6(1)	
		502	334	0.1450	गंगा जी		6(1)	
		387	329, 334	0.5940	स०मू०		1क	
		194	328म	0.4100	स०मू०		1क	
		478	328म	0.4100	आबादी	कृषि	3	
		495	328म	0.4100	आबादी	कृषि	3	
		490	328म	0.4100	आबादी	कृषि	3	
		501, 502	328म	0.2140	गंगा जी		6(1)	
	4, 12, 18	276		0.0200	गंगा जी			
	12	288		0.0620	गंगा जी			
	2	289म		0.0100	आबादी			
	1	289म		0.0510	गंगाजी			
	18, 1	290		0.1230	गंगा जी			
	20, 18	291म		0.0720	गंगा जी			
	5, 17	291म		0.0610	गंगा जी			
	47	287म		0.1020	गंगा जी			
	10, 7, 2	292		3.0480	गंगा जी			
		308	294म, 312म	0.2020			1क	
	93, 82	295म, 299म, 306म		0.0900			1क	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 6 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ग्राम जगजीतपुर मु०	501	296ग, 298, 335ग, 333ग, 330	0.8380				
		434	301ग	0.1130				
		28	303	0.0810				
		215	305ग	0.0200			1क	
		379	307ग, 314, 316ग, 317	0.2170			1क	
		309	310ग	0.2050			1क	
		66	311ग	0.1000				
		376	315ग	0.0410			1क	
		304	319ग	0.0210			1क	
		230	322ग	0.0050				
		238	325ग, 276ग, 288ग, 287ग, 285ग, 286ग, 211ग	1.2950				
5.	ग्राम अजीतपुर अहतमाल	29	141/1ग, 15/1ग, 18/9, 23/3, 24/5, 25/4	0.2200	कृषि	-	स०मू०	
		20	18/1, 18/5ग, 22/3, 23/6, 24/2ग, 29/3	0.3790	कृषि	-	स०मू०	
		21	18/3ग, 18/4, 18/5ग, 18/8, 20/1, 21/1, 22/1, 24/1ग, 24/2ग, 24/4, 25/1, 25/2ग, 25/5ग, 26/1, 26/2	0.8290	कृषि	-	स०मू०	
		13	23/2, 23/3/2, 23/5, 56/3/1, 56/3/3, 59/4, 62/2	0.4800	कृषि	-	स०मू०	
		15	18/11, 19/2, 21/2, 23/1, 25/5ग, 26/4, 27, 57/2, 57/3, 58/2, 59/1, 61/4	0.6980	कृषि	-	स०मू०	
		27	18/10, 28/2, 29/4ग, 56/1, 59/2, 60/2ग, 61/2ग, 62/3, 73/1ग	0.7630	कृषि	-	स०मू०	
		7	29/5, 35/3	0.1330	गंगा जी		स०मू०	
		18	31, 32, 33/2ग, 34/2, 37	0.8300	गंगा जी		स०मू०	
		26	69/4ग	0.1440	कृषि		स०मू०	
		11	29/1, 33/1, 34/1, 35/1	0.2760	गंगा जी		स०मू०	
		10	68/2ग	0.0100	गंगा जी		स०मू०	
		16	68/2ग, 69/1	0.1140	गंगा जी		स०मू०	
		12	69/2ग	0.0310	बंजर		स०मू०	
		34	16/5ग, 21/3	0.0830	कृषि		स०मू०	
		31	23/3/1, 23/3, 58/3/2, 56/3/4, 58/1	0.2850	बंजर		स०मू०	
		24/1, 25/2		0.1120	बंजर		स०मू०	



५  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

(6)


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ग्राम जगजीतपुर मु०	501	296ग, 288, 335ग, 333ग, 330	0.8380				
		434	301ग	0.1130				
		28	303	0.0810				
		215	305ग	0.0200				1क
		379	307ग, 314, 316ग, 317	0.2170				1क
		309	310ग	0.2050				1क
		66	311ग	0.1000				
		376	315ग	0.0410				1क
		304	319ग	0.0210				1क
		230	322ग	0.0050				
		238	325ग, 276ग, 288ग, 287ग, 285ग, 286ग, 211ग	1.2950				
5.	ग्राम जगजीतपुर अहतरमाल	29	141/1ग, 15/1ग, 18/9, 23/3, 24/5, 25/4	0.2200	कृषि	-		स०मू०
		20	18/1, 18/5ग, 22/3, 23/6, 24/2ग, 29/3	0.3790	कृषि	-		स०मू०
		21	18/3ग, 18/4, 18/5ग, 18/8, 20/1, 21/1, 22/1, 24/1ग, 24/2ग, 24/4, 25/1, 25/2ग, 25/5ग, 26/1, 26/2	0.8290	कृषि	-		स०मू०
		13	23/2, 23/3/2, 23/5, 56/3/1, 56/3/3, 59/4, 62/2	0.4800	कृषि	-		स०मू०
		15	18/11, 19/2, 21/2, 23/1, 25/5ग, 26/4, 27, 57/2, 57/3, 58/2, 59/1, 61/4	0.6980	कृषि	-		स०मू०
		27	18/10, 28/2, 29/4ग, 58/1, 59/2, 60/2ग, 61/2ग, 62/3, 73/1ग	0.7630	कृषि	-		स०मू०
		7	29/5, 35/3	0.1330	गंगा जी			स०मू०
		18	31, 32, 33/2ग, 34/2, 37	0.8300	गंगा जी			स०मू०
		26	68/4ग	0.1440	कृषि			स०मू०
		11	29/1, 33/1, 34/1, 35/1	0.2760	गंगा जी			स०मू०
		10	68/2ग	0.0100	गंगा जी			स०मू०
		16	68/2ग, 89/1	0.1140	गंगा जी			स०मू०
		12	69/2ग	0.0310	बंजर			स०मू०
		34	18/5ग, 21/3	0.0630	कृषि			स०मू०
		31	23/3/1, 23/3, 56/3/2, 56/3/4, 58/1	0.2850	बंजर			स०मू०
		8	24/1, 25/2	0.1120	बंजर			स०मू०



५  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

(7)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ग्राम अजीतपुर अहतताल	22	29/4म, 30/1		0.3186	गंगा जी		स0म0		
	38	18/2, 20/2म, 21/4म, 22/2म, 24/3, 25/3, 26/3, 70म		1.1890	रेत पत्थर		श्रेणी-6-4 अ-न कारणों से अकृषिक		
	37	18/6म 69/3		0.0200	बन्धा		श्रेणी-6-4		
	36	19/1, 28/2, 30/2, 61/3म, 63/2, 64/2		1.6180	गंगा जी		श्रेणी-6-4		
	35	18/6म, 20/2म, 21/4म, 22/2म, 23/4, 28/1, 35/2, 36, 38 से 53		11.8950	गंगा जी		श्रेणी-6-1 अकृषिक भूमि, जलमग्न भूमि		
	35	54, 55, 56/2, 57/1, 58/3, 59/3, 60/1, 61/3म, 62/1, 63/1, 64/1, 65 से 67, 68/1		4.3220	गंगा जी		श्रेणी-6-1 अकृषिक भूमि, जलमग्न भूमि		
	21	2/1, 2/2म		0.1400	कृषि		स0म0		
	13	18/2म, 14/2म		0.0970	कृषि		स0म0		
	24	18/7, 15/2		0.0920	कृषि		स0म0		
	27	60/2म, 61/2म, 73/1म, 73/3म, 74/1म, 72म		0.5750	कृषि		स0म0		
	15	71/2म		0.0720	कृषि		स0म0		
	26	69/4		0.0200	कृषि		स0म0		
	36	16/1, 71/1		0.1020	पत्थर/गंगा जी		श्रेणी-6-4		
	38	17/1म, 70म		0.0710	रेत पत्थर		श्रेणी-6-4		
	35	3/1म, 4/1/1, 5/1, 5/3म, 6म		0.2090	गंगा जी		श्रेणी-6-1		
	37	17/1, 73/2		0.0510	बन्धा		श्रेणी-6-4		
	6. ग्राम सिरसली	26	12/2म, 51/21		0.1230	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		49	14म, 15म, 16म, 37, 49म, 46/2म, 51/8म, 51/18म		2.0740	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		5	17म		0.0560	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		45	20/2म		0.1130	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
	39	21म		0.1640	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	18	24म		0.1280	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	11	25म		0.0720	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	2	26म, 27म, 42म		0.3890	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	14	27म, 51/19म		0.1310	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	15	27म, 51/19म		0.2130	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	19	27म, 51/19म		0.1310	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	40	27म, 42म, 51/19म		0.2740	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	27	29/1म, 51/16म		0.7530	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	32	29/1म		0.5000	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	31	36म, 50		0.3900	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	10	38म, 39म		0.9220	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	38	42म		0.0700	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	21	42म		0.0650	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	7	43, 51/1		0.4810	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	16	44म		0.2150	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	6	45म		0.1540	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	20	48/1		0.4000	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	35	51/2/1		0.5120	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	46	51/2/2		0.5120	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	1	51/3		0.5130	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	22	51/4		0.3380	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	42	51/5		0.2460	गंगा जी	गंगा जी	संक्रमणीय भूमिधर		
	47	48/2म		1.1000	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	17	51/08		0.1020	गंगा जी	गंगा जी	संक्रमणीय भूमिधर		
	13	51/7म		0.0820	गंगा जी	गंगा जी	संक्रमणीय भूमिधर		
	48	51/8म, 51/19म		0.3690	गंगा जी	गंगा जी	संक्रमणीय भूमिधर		



५.  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

(8)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ग्राम सिरसली	12	51/8, 51/11		0.1230	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर		
	24	51/10, 51/20		0.2040	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर		
	25	51/13		0.0820	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर		
	28, 37	51/15, 51/20, 51/18		0.3800	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	36	51/15		0.1030	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर		
	23	51/22		0.4400	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर		
	50	1, 5/1, 12/1, 51/8, 51/6, 51/12, 51/13, 51/14, 51/17, 51/7, 51/18, 51/23		18.9710	गंगाजी	-	श्रेणी-6-1, जल मग्नभूमि		
	50	1, 2/1, 4/1, 5/1, 11/1		0.0550	गंगाजी	-	श्रेणी-6-1, जल मग्नभूमि		
	26	11/2, 12/2		0.1640	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	29	13/1		0.0820	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	49	13/2, 14, 15, 16, 48/2		0.5880	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	5	17		0.510	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	4	20/1		0.0310	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	45	20/2		0.0200	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	39	21		0.1430	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	18	24		0.0920	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	11	25		0.0460	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	2	26, 27, 42		0.3470	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	14	27		0.0310	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	15	27, 42		0.0740	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	19	27		0.0310	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	40	27, 42		0.1170	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	27	29/1		0.1640	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	32	29/1		0.1290	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	31	36		0.0820	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	10	38, 39		0.1890	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	38	42		0.1140	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	21	42		0.0220	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	7	41, 46/1		0.2150	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	6	45		0.0820	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	18	44		0.0720	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	20	48/1		0.0920	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	47	48/2		0.2360	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	7. ग्राम गाजीबली	223	1, 2, 3, 8, 7, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 99, 115		170.2810	सरकारी	जंगल	श्रेणी-6	
		32	2, 3, 7, 8		2.9750	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		146	2			कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		145	3, 7, 8		1.8290	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		21	4, 5, 33		2.1960	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		183	11		1.5180	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		184	11		1.3910	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		122	15		0.2530	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		137	16		0.2420	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		175	17		1.1840	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		153	18		1.5850	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		125	19		2.9850	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		124	20, 21		1.0030	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
		90	22		0.5090	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर	
	128	23		0.4280	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	229	24		0.4280	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
	157	25		0.2440	रास्ता	रास्ता	श्रेणी-6		
	229	26		0.3890	कृषि	-	संक्रमणीय भूमिधर		
				0.0280	रास्ता	रास्ता	श्रेणी-6		



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 9 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47	27	0.5910	संगरी	संगरी	संक्रमणीय बुधियर	संगरी में गिर गया
		204	27	0.6160	संगरी	संगरी	संक्रमणीय बुधियर	संगरी में गिर गया
		87	26	0.6080	कुनि	-	संक्रमणीय बुधियर	संगरी में गिर गया
		195	24	0.6350	कुनि	-	संक्रमणीय बुधियर	संगरी में गिर गया
		84	29	0.8350	कुनि	खैती	संक्रमणीय बुधियर	-
		73	30	0.4570	संगरी	संगरी	संक्रमणीय बुधियर	संगरी में गिर गया
		73	30	1.0000	आवासीय	संगरी	संक्रमणीय बुधियर	-
		-	-	-	-	-	-	-
		73	31	0.1540	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		73	32	0.2430	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		229	54	0.0390	सस्ता	सस्ता	श्रेणी-6	-
		132	35	1.0930	कुनि	-	संक्रमणीय बुधियर	-
		141	36	1.4000	कुनि	नलखुप	संक्रमणीय बुधियर	-
		107	37	1.2560	कुनि	कुनि	संक्रमणीय बुधियर	-
		44	38	0.7900	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		110	39	0.1000	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		168	50	0.2760	कुनि	-	संक्रमणीय बुधियर	-
		43	61	0.8000	आवासीय	कालोनी	संक्रमणीय बुधियर	कालोनी
		225	54	0.7580	सरकारी	नाला	श्रेणी-6	-
		72	55	1.0000	कुनि	-	संक्रमणीय बुधियर	-
		40	56	0.6000	कुनि	-	संगरी	-
		80	57	0.0200	कुनि	-	संक्रमणीय बुधियर	-
		229	58	0.0073	सरकारी	सफरोड	श्रेणी-6	-
		27	60	2.0080	आवासीय	संगरी	संक्रमणीय बुधियर	-
		10	61	0.0380	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		170	62	2.3480	कुनि	-	संक्रमणीय बुधियर	-
					कुनि	-	संक्रमणीय बुधियर	-
		24	63	2.3000	कुनि	कुनि	संक्रमणीय बुधियर	-
		59	64	2.3000	कुनि	कुनि	संक्रमणीय बुधियर	0.840 आवासीय रूप कुनि
		180	85, 110क, 111क	0.2910	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		227	68	0.0130	मूल आवासीय	आवासीय	श्रेणी-6	-
		82	67	0.1850	कुनि	कुनि	संक्रमणीय बुधियर	-
		227	88	0.0130	मूल आवासीय	आवासीय	श्रेणी-6	-
		85	69	0.2170	कुनि	कुनि	संक्रमणीय बुधियर	-
		173	70	0.1990	कुनि	कुनि	संक्रमणीय बुधियर	-
		224	71	0.0350	सरकारी	-	श्रेणी-6	-
		131	72	0.0760	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		225	73	0.082	नाला	नाला	श्रेणी-6	-
		226	74	0.2150	आवासीय	आवासीय	श्रेणी-6	-
		233	75	0.0510	सस्ता	सस्ता	श्रेणी-6	-
		50	76क	0.5060	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		233	78	0.076	सस्ता	सस्ता	श्रेणी-6	-
		51	77, 79, 81	0.2160	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		233	78	0.0250	सस्ता	सस्ता	श्रेणी-6	-
		108	80	0.2020	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		69, 128, 129, 163	82क	2.9970	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		162	88	0.0380	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		82	89	0.3790	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		161	89	0.3290	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		51	90क	0.3940	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		2	81	0.6700	कुनि	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-
		139	92	1.0080	कुनि	आवासीय	संक्रमणीय बुधियर	-



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 10 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83	83	2.5250	कृषि	आवासीय	संक्रमणीय भूमिखर	अन्य भू-श्रेणी
		229	84	0.0160	शरक मार्ग	मकान	श्रेणी-8	
		230	85	0.0240	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय भूमिखर	
		143	87	0.7200	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय भूमिखर	
		49	88	0.7700	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिखर	
		62	89क, 89ग, 90क	0.5630	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिखर	
		68	89ख	0.0490	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय भूमिखर	
		102	100	0.023	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय भूमिखर	
		102	101	0.9590	कृषि आवासीय मकान	आवासीय मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		101	102	1.2980	कृषि	कृषि	संक्रमणीय भूमिखर	
		189	102ग	0.1050	आवासीय मकान	आवासीय मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		118	103	1.0030	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिखर	
		23	104	0.0130	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिखर	
		46	105	0.0380	गंगाजी	गंगाजी	संक्रमणीय भूमिखर	
		18	106 से 108	0.4680	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय भूमिखर	
		108	109	0.4680	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय भूमिखर	
		128, 160	110ख, 82घमि0, 82घमि0, 86, 110क, 111क	0.7920	आवासीय	-	संक्रमणीय भूमिखर	
		227	110खमि, 111ख	0.7950	मूल आवासी	-	श्रेणी-8	
		233	112	0.0130	रास्ता	रास्ता	श्रेणी-8	
		228	113	0.1660	रास्ता	रास्ता	श्रेणी-8	
		8	114	1.1530	कृषि	कृषि	संक्रमणीय भूमिखर	
		223	115	0.4810	सरकारी	सरकारी	श्रेणी-8	
		234	116	1.0500	सड़क	सड़क	श्रेणी-8	
		234	117	0.2280	सड़क	सड़क	श्रेणी-8	
		95	118	0.4780	कृषि	कृषि	संक्रमणीय भूमिखर	
		113	119	0.7500	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय भूमिखर	
		171	120	0.235	आवासीय मकान	आवासीय मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		28	121	0.8720	आवासीय मकान	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	मकान
		56	122	0.035	आवासीय	कालोनी व मकान	संक्रमणीय भूमिखर	मकान
		154	124	0.600	आवासीय	कालोनी मकान	संक्रमणीय भूमिखर	मकान
		158	125	0.2380	आवासीय	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		215	126	0.0430	आवासीय	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		234	126	0.3290	सड़क	सड़क	श्रेणी-8	
		111	127	0.3670	आवासीय	आवासीय	संक्रमणीय भूमिखर	
		14	128	0.315	आवासीय	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		200	128	0.089	आवासीय	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		72	129	0.900	आवासीय	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		35	130	0.090	आवासीय	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		229	132	0.030	सरकारी	रास्ता	श्रेणी-8	
		22	137	0.728	कृषि	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		233	138	0.260	सरकारी	रास्ता	श्रेणी-8	
		12	155	0.3660	आवासीय	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		210	155क	0.0736	आवासीय	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	
		69	156	0.400	कृषि आवासीय	मकान	संक्रमणीय भूमिखर	मकान
		233	217	0.200	सरकारी	रास्ता	श्रेणी-8	
8	ग्राम राजमपुर डेरी परगना नजीबबाद, तहसील व जिला-हरिद्वार	176	1	6.311	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		161	2	19.324	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		173	3	29.138	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		176	4	13.240	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		161	5	6.083	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		173	6	2.580	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		191	7	50.308	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		170	8/1	0.506	कृषि	कृषि	संक्रमणीय भूमिखर	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 11 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		124	8/2	0.506	कुनि	कुनि	संयुक्त	
		94	8/3	0.505	कुनि	कुनि	संयुक्त	
		124	8/4	0.505	कुनि	कुनि	संयुक्त	
		171	8/5	0.506	कुनि	कुनि	संयुक्त	
		86	8/6	0.506	कुनि	कुनि	संयुक्त	
		172	8/7	0.506	कुनि	कुनि	संयुक्त	
		173	8/8	1.428	कुनि	कुनि	संयुक्त	
		176	9	9.434	गंगाजी	गंगाजी	शेरी-8	
		118	10	1.182	कुनि	-	संयुक्त	
		177	11	0.152	कुनि	-	शेरी-4	
		155	12	1.058	कुनि	कुनि	संयुक्त	
		181	13, 14	0.135	सकरोड	-	शेरी-8	
		85	15	1.089	कुनि	नलखुन	संयुक्त	
		100	16	1.992	कुनि	-	संयुक्त	
		82	17	1.963	कुनि	मकान दिनेश धुंधार गुला	संयुक्त	
		34	18	0.946	कुनि	-	संयुक्त	
		3	19	0.757	कुनि	-	संयुक्त	
		181	20	0.065	सकरोड	-	शेरी-8	
		19	21	0.817	कुनि	-	संयुक्त	
		49	22	0.351	कुनि	-	संयुक्त	
		38	23	0.097	कुनि	-	संयुक्त	
		29	24	1.145	शेरी	मकान व शेरी	संयुक्त	स्टोन शेरी
		58	25	0.765	आवासीय	मकान कांटा	संयुक्त	खनिज संयुक्त
		181	26	0.135	सकरोड	सकरोड	शेरी-8	
		177	27	1.991	सकरोड	नाला	शेरी-5	
		6	28	0.697	कुनि	-	संयुक्त	
		102	29	0.169	कुनि	-	संयुक्त	
		18	30	0.778	कुनि	-	संयुक्त	
		177	31	0.057	सकरोड	नाला	शेरी-8	
		93	32 / 30, 38	0.406	कुनि	-	संयुक्त	
		176	33	0.025	सकरोड	दरह	शेरी-8	
		108	34	0.140	सकरोड	खाट के प्रखंड	शेरी-8	
		180	35	0.271	सकरोड	आबादी	शेरी-8	
		178	37	0.500	सकरोड	आबादी	शेरी-8	
		184	38	0.060	सकरोड	उस्ता	शेरी-8	
		82	44 / 1	0.100	कुनि	-	संयुक्त	
		140	45	0.380	कुनि	-	संयुक्त	
		146	46	0.418	कुनि	-	संयुक्त	
		2	47	1.200	कुनि	-	संयुक्त	
		11	48	0.160	कुनि	-	संयुक्त	
		181	49	0.015	सकरोड	सकरोड	शेरी-8	
		80	51	0.100	कुनि	-	संयुक्त	
		138	52	0.220	कुनि	-	संयुक्त	
		18	56	0.300	आवासीय	शेरी	संयुक्त	
		43	57	0.585	आवासीय	संयुक्त	संयुक्त	संयुक्त हेतु कुनि
		166	58	0.874	आवासीय	संयुक्त	संयुक्त	संयुक्त हेतु कुनि
		56	59	0.474	आवासीय	संयुक्त	संयुक्त	संयुक्त हेतु कुनि
		51	60	0.241	आवासीय	मकान	संयुक्त	संयुक्त हेतु कुनि
		60	61 / 1	0.228	आवासीय	संयुक्त	संयुक्त	संयुक्त हेतु कुनि
			61 / 2	0.139	आवासीय	संयुक्त	संयुक्त	संयुक्त हेतु कुनि
		72	61 / 3	0.202	आवासीय	संयुक्त	संयुक्त	संयुक्त हेतु कुनि



निलाधिकारी  
हरिद्वार

( 12 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72	81/3	0.101	आवासीय	मण्डारण	संयुक्त	मण्डार संयुक्त
		177	81/4	1.000	सरकारी	नाला	श्रेणी-8	मण्डार संयुक्त
		174	70	0.600	खाली	मण्डारण	संयुक्त	मण्डार संयुक्त
		161	72, 73	0.178	आवासीय	मण्डारण	संयुक्त	मण्डार संयुक्त
					आवासीय	मण्डारण	संयुक्त	मण्डार संयुक्त
		12	71	0.072	आवासीय	मण्डारण	संयुक्त	मण्डार संयुक्त
		70	74	0.515	आवासीय	शेखर	संयुक्त	शेखर
		18	75	0.415	आवासीय	शेखर	संयुक्त	शेखर
		181	76	0.082	चकरोड	चकरोड	श्रेणी-8	मण्डार संयुक्त
		21	77	0.246	कुर्षि		संयुक्त	
		4	78	0.445	कुर्षि		संयुक्त	
		84	79	0.781	कुर्षि	पोपलर पेड़	संयुक्त	
		40	80	0.320	कुर्षि		संयुक्त	
		122	81	0.100	कुर्षि		संयुक्त	
		147	84	0.013	कुर्षि		संयुक्त	
		156	85	0.100	कुर्षि		संयुक्त	
		82	86	0.150	कुर्षि		संयुक्त	
		112	87	0.165		मकान नदई देवी	संयुक्त	मकान नदई देवी
		145	88	1.426			संयुक्त	
		181	89	0.100	सरकारी	चकरोड	श्रेणी-8	
		82	90	0.497	शेखर	शेखर	संयुक्त	शेखर
		105	91	2.856			संयुक्त	
		46	92	1.294	कुर्षि		संयुक्त	
		132	93	1.399	कुर्षि		संयुक्त	
		174	94	0.843	सरकारी	बंजर	श्रेणी-5	
		177	95	0.190	सरकारी	नाला	श्रेणी-8	
		31	96, 100	1.012	कुर्षि		संयुक्त	
		181	97	0.085	सरकारी	चकरोड	श्रेणी-8	
		184	98/1	3.360	कुर्षि		संयुक्त	
		73	98/2	1.000	कुर्षि		संयुक्त	
		174	99	0.840	सरकारी	बंजर	श्रेणी-5	
		119	101	0.606	कुर्षि	पोपलर पेड़	संयुक्त	
		174	102	0.126	सरकारी	पोपलर पेड़	श्रेणी-5	
		118	103/1	0.848	सरकारी	पोपलर पेड़	श्रेणी-5	
		120	103/2	0.202	सरकारी	पोपलर पेड़	श्रेणी-5	
		175	104	0.139	सरकारी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		120	105	0.101	कुर्षि		संयुक्त	
		104	106	0.256	कुर्षि		संयुक्त	
		148	107	0.377	कुर्षि		संयुक्त	
		14	108	0.349	कुर्षि		संयुक्त	
		186	113	0.211	सरकारी		श्रेणी-8	
		179	114	4.173	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		81	115	1.000	गंगाजी	गंगाजी	संयुक्त	
		61	115	1.428	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-5	
		174	118	2.638	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-5	
		14	117 से 119	1.213	कुर्षि		संयुक्त	
		181	120	0.012	सरकारी	चकरोड	श्रेणी-8	
		16	121	0.126	कुर्षि		संयुक्त	
		46	122	0.329	कुर्षि	नकान	संयुक्त	नकान
		177	123	0.079	सरकारी	नाला	श्रेणी-8	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 13 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		180	124	0.650	कृषि	-	संयुक्त	
		104	190	0.100	कृषि	-	संयुक्त	
		176	191	0.010	गृह आवासी	गृह आवासी	श्रेणी-8	
9	ग्राम देवपुरा मुसोकम	73	216म	0.041	संयुक्त	आवन	संयुक्त	
		170, 75	260, 283	0.238	श्रेणी-8 सस्ता	सस्ता	श्रेणी-8	
		134	264, 266	0.277	संयुक्त	गऊपाला	संयुक्त	
		134	266, 267	0.767	संयुक्त	गऊपाला	संयुक्त	
		37	268	0.031	संयुक्त		संयुक्त	
		154	270, 277	0.112	संयुक्त		संयुक्त	
		73	278 से 283, 286, 289	1.1330	संयुक्त	आवन	संयुक्त	
		35	284	0.005	संयुक्त		श्रेणी-1क	
		146, 167	284, 289, 166/1	1.6490	संयुक्त		श्रेणी-1क	
		167	290	0.184	गंगाजी			
		10	286/2	0.041	संयुक्त			
		2	287	0.174	संयुक्त			
		167	291	0.041	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		56	292	0.020	संयुक्त		संयुक्त	
		167	293/2	0.903	गंगाजी		श्रेणी-8(2)	
		20	305म	0.085	संयुक्त			
		167	306	0.102	गंगाजी		श्रेणी-8(2)	
		59	307, 313	0.0410	संयुक्त		श्रेणी-1क	
		1	314, 329, 333	0.1130	संयुक्त			
		166	328	0.021	संयुक्त		श्रेणी-8	
		75	268	0.060	संयुक्त		1क	
		154	262म, 270म, 273म, 274म, 276, 277, 272	0.4040			1क	
		153	283म	0.0510			1क	
		167	283म	0.1100	गंगाजी		श्रेणी-8(1)	
		92	261	0.0510			संयुक्त	
		134	264म	0.020			संयुक्त	
		73	278, 283, 216	0.1870			1क	
		87	280/2	0.050			1क	
		82	218म	0.125			1क	
		83	217म	0.082			1क	
		85	223म	0.082			1क	
		138	215म	0.154	संयुक्त		1क	
		56	292म, 303	0.1870	संयुक्त		1क	
		111	294म	0.255	संयुक्त		1क	
		106	295	0.133	संयुक्त		1क	
		20	288म, 297	0.3080	संयुक्त		1क	
		167	299, 306	0.3070			8(1)	
		59	304म, 307, 313	0.2350			1क	
		19	305म	0.150			1क	
		1	314म	0.205			1क	
10	ग्राम कटारपुर अलीपुर	74, 231	836म, 816म	0.1440	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		132	838म, 836म	0.0720	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		64	840म, 844म	0.2790	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		5, 88	841म, 850, 863, 854म, 848, 851	1.8070	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		226	842म, 866म	0.1030	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		187	848म, 867म, 864म	0.1830	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		85	868म, 868म	1.6850	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		119	858म, 876म	0.2730	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		3, 4, 9	880म, 888म	0.2490	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		118	868म	0.089	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		177	888म	0.154	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		25, 107	867म, 872म, 814म, 852म, 854म	0.3510	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		44	897म, 854म	0.1470	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		267	897म, 864म	0.0880	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		137, 123	874म, 841, 842म	0.4100	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
		901	879म, 866म	0.2670	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त
			878म	0.215	कृषि	-	संयुक्त	संयुक्त



14  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 14 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69	588म	0.051	कृषि			संयुक्त
		99	598म	0.021	कृषि			संयुक्त
		68	597, 616म	0.2670	कृषि			संयुक्त
		83	598म	0.072	कृषि			संयुक्त
		161	600म	0.010	कृषि			संयुक्त
		71	615/1	0.205	कृषि			संयुक्त
		113	638म	0.041	कृषि			संयुक्त
		130	638म	0.041	कृषि			संयुक्त
		109	639म	0.799	कृषि			संयुक्त
		276	643म	0.195	कृषि			संयुक्त
		103	644म	0.242	कृषि			संयुक्त
		184	647म	0.338	कृषि			संयुक्त
		106	653	0.225	कृषि			संयुक्त
		30	655म, 662म, 673म	0.3280	कृषि			संयुक्त
		158	663म	0.021	कृषि			संयुक्त
		20	664म	0.171	कृषि			संयुक्त
		266	664म	0.086	कृषि			संयुक्त
		12	665म	0.137	कृषि			संयुक्त
		82	665म	0.069	कृषि			संयुक्त
		215	665म	0.048	कृषि			संयुक्त
		179	674म	0.184	कृषि			संयुक्त
		198	672म	0.095	कृषि			संयुक्त
		110	675म	0.072	कृषि			संयुक्त
		249	682	0.533	कृषि			संयुक्त
		93	688	0.277	कृषि			संयुक्त
		13	629म	0.621	कृषि			संयुक्त
		337	657म	0.260	बंजर-0.130 गंगाली 0.130			शेरी-6(3)
		339, 309, 325, 339	599, 615/2, 616म, 637, 639म, 639म, 640म	1.9150	गंगाली			शेरी-6-1 उत्तरांच कृषि
		342	667म, 668म	0.1340	गंगाली			शेरी-6-1
		120, 94	630म, 679म	0.0760	कृषि			संयुक्त
		192	632म	0.022	कृषि			संयुक्त
		220	633म	0.041	कृषि			संयुक्त
		74, 231	635म, 638म, 638म	0.1310	कृषि			संयुक्त
		137	638म, 639म	0.1430	कृषि			संयुक्त
		64	640म, 684म	0.2340	कृषि			संयुक्त
		226	642म, 685म	0.1720	कृषि			संयुक्त
		135	648म, 614म	0.1160	कृषि			संयुक्त
		5	654म	0.037	कृषि			संयुक्त
		96	655म, 658म	0.3990	कृषि			संयुक्त
		119	659म, 676म	0.1720	कृषि			संयुक्त
		3, 4	660म	0.048	कृषि			संयुक्त
		34, 118	661म, 679म, 680म	0.1740	कृषि			संयुक्त
		137	660म, 666म	0.2850	कृषि			संयुक्त
		85	665म	0.021	कृषि			संयुक्त
		107, 25, 107	672म, 614म, 652म	0.1630	कृषि			संयुक्त
		173	674म, 642म	0.1230	कृषि			संयुक्त
		801	678म	0.070	कृषि			संयुक्त
		69	688म	0.102	कृषि			संयुक्त
		99	690म, 612म	0.0720	कृषि			संयुक्त
		162	600म	0.040	कृषि			संयुक्त
		187	614म	0.041	कृषि			संयुक्त
		13	629म	0.061	कृषि			संयुक्त
		113	650म	0.041	कृषि			संयुक्त
		130	630म	0.041	कृषि			संयुक्त
		103	646म	0.051	कृषि			संयुक्त
		184	647म	0.025	कृषि			संयुक्त
		30	666म, 666म, 673म	0.1900	कृषि			संयुक्त



जिलाधिकारी  
हरिद्वार


( 15 )

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		158	883म	0.112	खुनि			संयुक्त
		215	885म	0.021	खुनि			संयुक्त
		198	672म	0.048	खुनि			संयुक्त
		179	874म	0.123	खुनि			संयुक्त
		110	675म	0.072	खुनि			संयुक्त
		339	617म	0.300	खुनि			संयुक्त
11	ग्राम दुधलादमीतवासा	210	1 से 3, 4क, 5क, 370म, 371 से 378	365.6330			5-3क खुनि सोच शंकर इमाली लकडी से बन	
		2	4म			रागा नदी	1क (संयुक्त)	
		222	4ख, 6, 8, 143म, 145क, 363ख, 379, 368ख	42.7430			श्रेणी 5-1 अकुनित खुनि जल सप बहि	
		216	75, 130/2	0.3060	खुनि		श्रेणी-2 (संयुक्त)	
		220	5ख, 7म	13.3440				
		54	7/4म, 130/1	0.3060	खुनि		श्रेणी-1क (संयुक्त)	
		130	9	3.898	खुनि		श्रेणी-1क (संयुक्त)	
		229	10ख 11, 15, 31, 32, 128म, 222म, 324	1.6350				
		230	12	0.025	खुनि		श्रेणी-8(2)	
		68	13	0.822	खुनि		श्रेणी-1क (संयुक्त)	
		203	14	2.339	खुनि		श्रेणी-2क (संयुक्त)	
		202	16, 17क	0.1490	खुनि		श्रेणी-1क (संयुक्त)	
		221	17ख, 129, 148ख, 149, 151, 167ख, 160क, 189 से 172, 174 से 178 369म, 370म	31.4530	खुनि		श्रेणी-5-3क	
		2	18म	2.951	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		154	18म	1.265	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		85	18म	1.265	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		53	19, 20, 21म	8.8430	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		213	21म	0.879	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		135	22म	0.843	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		194	22म	2.610	खुनि	नलरूप	श्रेणी-1क संयुक्त	
		113	23म	9.825	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		197	24म	0.540	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		64	25म	7.569	खुनि	नलरूप, आबादी/0.029 जोय सिंह	श्रेणी-1क संयुक्त	
		195	25म	2.529	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		134	26	1.790	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		193	27	0.700	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		227	28, 33, 47म, 84म, 106म, 109, 121, 122 168, 187म, 207म, 238म 301म, 313, 336, 343म, 352, 357	1.3070	खुनि		श्रेणी-8-2	
		99	29	4.662	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		98	30	0.107	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		136	34	0.181	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		188	35	0.322	खुनि		श्रेणी-1क संयुक्त	
		44	36	3.511	खुनि	1. जितेन्द्र, मोहन सिंह पुर्वान्त धरमचन्द सिंह 0.268 ईकडे	श्रेणी-1क संयुक्त	
		118	37म, 118, 130म, 159	1.4010	खुनि	आवास आबदन आबादी	श्रेणी-5-1	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21	69ग	0.090	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		57	0.080ग	0.040	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		128	60ग	0.993	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		131	91ग	3.270	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		161	62	0.025	कृषि	आबादी	श्रेणी-1क सउमू	
		128	83	0.3600	कृषि	आबादी	श्रेणी-1क सउमू	
			93/384		कृषि	आबादी	श्रेणी-1क सउमू	
		139	98ग, 98	1.3220	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		175	101ग, 100ग	2.3320	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		153	102ग	1.000	कृषि	नलकूप	श्रेणी-1क सउमू	
		170	167, 167ग, 158, 154, 153, 148, 135, 134, 103ग, 104ग, 105ग, 119, 148, 101, 163ग	4.2080	कृषि	गकशाला 0.84 हैक्टो	श्रेणी-1क सउमू	
		150	107/1, 108	1.7910	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		5	107/2	0.920	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		1	110	0.117	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		151	111	0.117	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		48	112	0.117	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		285	113	0.117	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		175	114	0.143	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		33	115, 116	1.3280	कृषि	नलकूप	श्रेणी-1क सउमू	
		226	117	0.240		स्वूल	श्रेणी-8-2	
		217	120	0.069	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		70	123	2.967	कृषि	नलकूप	श्रेणी-1क सउमू	
		231	124	0.082	कृषि		श्रेणी-8-4	सकयमसि विमगादीन
		51	125	0.082	कृषि	आबादी	श्रेणी-1क सउमू	
		85	128	0.728	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		76	127	0.170	कृषि	पोपलर	श्रेणी-1क सउमू	
		36	131	0.041	कृषि	पोपलर	श्रेणी-1क सउमू	
		71	132	0.342	कृषि	आबादी 0.024	श्रेणी-1क सउमू	
		141	133	0.387	कृषि	आबादी 0.017	श्रेणी-1क सउमू	
		106	138, 137, 158क, 139, 142, 143क, 145ग	0.4560	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		204	138क, 140, 141, 153क	0.3420	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		17	143क, 152क, 328, 325	0.4820	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		308	143ग, 145ग, 146क, 148क, 182ग, 145क	0.5300	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		127	144, 145क	0.1320	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		62	147, 150	0.1070	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		224	152क, 381	0.8480	कृषि	गंगा जी (पट्टे खडा)	श्रेणी-8-2	
		72	156ग	0.100	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		212	162क, 163क	0.6070	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		31	160क, 168क	0.2780	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		92	164क, 166क, 162क, 165क, 188ग, 162ग, 164क, 165क, 166क, 166क, 168	0.6570		गंगाजी	श्रेणी-1क सउमू	
		15	173	0.430			श्रेणी-1क सउमू	
		225	177	0.228		गंगाजी	श्रेणी-1क सउमू	
		65	178, 340	1.3870	कृषि	गंगाजी	श्रेणी-1क सउमू	
		60	179, 370क	2.3960	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		97	180ग	0.015	कृषि	नलकूप	श्रेणी-1क सउमू	
		73	181ग	0.013	कृषि		श्रेणी-1क सउमू	
		129	188ग	0.996	कृषि	नलकूप	श्रेणी-1क सउमू	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 17 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8	180म	0.375	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		181	206म	1.874	शुभ	नलक्षुप (आबादी 0.200)	श्रेणी-1क संपत्ति	
		77	223	0.025	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		168	224	0.217	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		89	225	0.082	शुभ	आबादी 0.041 हेक्टेर	श्रेणी-1क संपत्ति	
		205	226, 302अ, 302म, 308म	0.3510	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		183	227	0.082	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		148	228	0.051	शुभ	आबादी 0.051 हेक्टेर	श्रेणी-1क संपत्ति	
		149	229म	0.750	-	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		38	237, 338	1.0330	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		160	238, 338	0.8950	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		84	238म, 337	0.9550	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		169	240म	0.468	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		102	241म	0.326	शुभ	आबादी 0.018 मुकदम	श्रेणी-1क संपत्ति	
		104	241म	0.448	शुभ	नलक्षुप आबादी / 0.016 हेक्टेर हरिआन	श्रेणी-1क संपत्ति	
		223	308, 311, 312	0.1730	शुभ	-	श्रेणी-0-1	
		116	310	0.073	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		115	314, 345म	0.3630	शुभ	बादी 0.020 हेक्टेर	श्रेणी-1क संपत्ति	
		6	315	0.372	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		105	316	1.115	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		115	317	0.578	शुभ	नलक्षुप आबादी 0.018 हेक्टेर सौनसिंह	श्रेणी-1क संपत्ति	
		9	318	0.923	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		19	319	1.131	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		167	320	1.611	शुभ	नलक्षुप आबादी 0.041	श्रेणी-1क संपत्ति	
		11	321	0.455	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		100	322, 323	0.9040	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		87	326	0.309	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		45	327	0.209	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		157	329	0.209	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		16	330	0.209	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		32	331, 356	0.4020	शुभ	नलक्षुप आबादी 0.019	श्रेणी-1क संपत्ति	
		24	332	0.233	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		25	333	0.942	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		162	334	0.313	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		90	335	1.302	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		29	341	0.223	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		232	342म	0.088	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		211	344	0.277	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		12	356म, 364म	0.4590	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		13	347म	0.259	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		133	351म	0.210	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		176	363	0.680	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
		210	364	0.097	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
		22	358	0.097	शुभ	-	श्रेणी-1क संपत्ति	
			368	0.674	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	
			359	0.591	शुभ	नलक्षुप	श्रेणी-1क संपत्ति	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 18 )

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			300	0.548	कृषि		श्रेणी-1क सप्लू	
		74		0.4860	कृषि		श्रेणी-1क सप्लू	
		30	362क, 363क, 370क, 365क	0.341	कृषि		श्रेणी-1क सप्लू	
		82	362ख	0.848	कृषि		श्रेणी-1क सप्लू	
		103	364ख	4.2620	कृषि		श्रेणी-1क सप्लू	
		146	369क, 368 से 368, 369ख	2.9150	गंगा नदी से प्रभावित		सप्लू	
12	ग्राम बीगपुर	22	6म, 7, 9					
		521	22म	1.465	-तदैव-		सप्लू	
		1152	22म	2.029	-तदैव-		सप्लू	
		830	22म	2.582	-तदैव-		सप्लू	
		1202	22म	1.506	-तदैव-		सप्लू	
		1646	22म	1.434	-तदैव-		सप्लू	
		282	22म, 750, 760, 761	35.8370	-तदैव-		सप्लू	
		1552	22म, 28म, 29	0.9620	-तदैव-		सप्लू	
		1653	22म	1.025	-तदैव-		सप्लू	
		194	22म	0.408	-तदैव-		सप्लू	
		1118	22म	0.583	-तदैव-		सप्लू	
		14	22म	0.408	-तदैव-		सप्लू	
		344	22म	3.093	-तदैव-		सप्लू	
		1494	22म	2.766	-तदैव-		सप्लू	
		1007	22म	1.167	-तदैव-		सप्लू	
		1516	26/1	0.585	-तदैव-		सप्लू	
		1581म	26/1	0.018	-तदैव-		सप्लू	
		1037	26/1	0.203	-तदैव-		सप्लू	
		1007	27/1, 28, 30/1, 30/2	2.0900	-तदैव-		सप्लू	
		1202	27/1, 48म, 51/1, 51/2, 99/3, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2	3.6420	-तदैव-		सप्लू	
		837	28	0.205	-तदैव-		सप्लू	
		839	29, 30/2	0.6620	-तदैव-		सप्लू	
		1087	44/1, 44/2-44/3	1.3270	कृषि कार्य हो रहा है		सप्लू	
		1192	48/1	0.083	-तदैव-		सप्लू	
		1190	47/1, 47/2, 47/3, 48म, 50/1, 50/2	3.6760	गंगा नदी से प्रभावित		सप्लू	
		1365	47/3, 48म, 49/1, 49/2, 50/4, 50/8	3.1410	कृषि कार्य हो रहा है		सप्लू	
		700	48म	0.272	गंगा नदी से प्रभावित		सप्लू	
		294	48म, 746म, 774	0.6340	-तदैव-		सप्लू	
		204	50/3	0.300	कृषि कार्य हो रहा है		सप्लू	
		339	53/3, 52/4	1.0850	-तदैव-		सप्लू	
		278	63/1, 108/5, 108/5, 171/1	0.3450	-तदैव-		सप्लू	
		1205	63/2, 64/1, 100/1, 100/2	1.3740	-तदैव-		सप्लू	
		669	63/2, 63/3, 100/1, 100/2	0.8750	-तदैव-		सप्लू	
		321	100/2, 100/3	0.9020	-तदैव-		सप्लू	
		31, 207, 807	100/2, 100/2, 100/3, 100	0.3000	-तदैव-		सप्लू	
		392	100/2, 100/3	0.1000	-तदैव-		सप्लू	
		632	100/2	0.100	खुदान		सप्लू	
		1284	100/2, 100/3	0.1000	कृषि कार्य हो रहा है		सप्लू	
		970	100/2, 100/3	0.2500	-तदैव-		सप्लू	
		112	100/1, 100/3	0.2500	-तदैव-		सप्लू	
		1417	100/3	0.250	-तदैव-		सप्लू	
		277	99/3, 101/1, 102/1, 102/2	0.8230	-तदैव-		सप्लू	
		268	101/1, 101/2, 102/1, 103/1	0.6060	-तदैव-		सप्लू	
		1813	101/2, 103/1	0.5830	खुदान		सप्लू	
		663	746	0.588	कृषि कार्य हो रहा है		सप्लू	



44  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 19 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		503	97/4, 98/3, 102/2, 103/1, 103/2, 103/4	1.4720	-सदैव-		संभूत	
		1077	97/4	0.040	खुदान		संभूत	
		1411	104/5	0.002	खुदान		संभूत	
		172	104/5	0.002	खुदान		संभूत	
		390	104/5	0.002	खुदान		संभूत	
		1108	97/4, 104/4, 108/1	0.3010	स्थल पर गड़वा है		संभूत	
		238	104/4, 104/5	0.2110	खुनि कार्य हो रहा है		संभूत	
		878	103/1, 103/2, 104/4, 104/5, 108/1, 108/2	0.5660	-सदैव-		संभूत	
		877	103/1, 103/2, 108/1	0.3430	-सदैव-		संभूत	
		880	103/3	0.480	-सदैव-		संभूत	
		808	103/2, 108/3, 108/4, 107	0.4240	-सदैव-		संभूत	
		1888	108/4, 108/1, 108/1, 109/2, 110/4	0.6520	स्टेक का कामकाज लगा है व खाली पड़ा है		संभूत	
		1421, 974, 974	108/4, 107, 108/1, 108/4, 108/1, 108/3, 109/2, 170/4	0.8510	खुनि कार्य हो रहा है		संभूत	
		1173	108/3, 108/4, 109/2, 109/3, 170/4, 170/5	0.7300	खुनि कार्य हो रहा है		संभूत	
		185	170/1, 171/2, 171/3, 180/2	1.2350	गण्डारण का पट्टा व खाली पड़ा है		संभूत	
		350	170/2	0.340	खुनि कार्य हो रहा है		संभूत	
		1645	170/3	1.062	-सदैव-		संभूत	
		1845	171/1	0.307	-सदैव-		संभूत	
		1527	170/8, 170/10	0.1210	-सदैव-		संभूत	
		1634	170/10, 178/1, 178/2, 179/2	0.5920	-सदैव-		संभूत	
		1088	172/1, 172/2	0.5880	गंगा नदी से प्रभावित		संभूत	
		387	174/1, 174/2	0.2870	गंगा नदी से प्रभावित		संभूत	
		1015	176/2	0.073	खाली पड़ा है		संभूत	
		1827	175, 176/1, 176/2, 176/3, 742 177/1, 177/2, 177/3	3.2250	खनन का पट्टा		संभूत	
		997	170/4, 170/6, 170/8	1.0810	खुनि कार्य हो रहा है		संभूत	
		847	170/4, 170/6	0.9750	-सदैव-		संभूत	
		948	170/5, 170/8	0.3140	-सदैव-		संभूत	
		1527	170/5, 170/8, 170/7	0.9920	-सदैव-		संभूत	
		886	170/7, 170/8, 170/12	0.9440	-सदैव-		संभूत	
		130	170/8, 170/11, 170/12, 170/13	0.3330	-सदैव-		संभूत	
		630	170/11, 170/12, 170/13	0.3210	-सदैव-		संभूत	
		33	170/11	0.300	-सदैव-		संभूत	
		354	170/11	0.258	-सदैव-		संभूत	
		1347	170/11	0.251	-सदैव-		संभूत	
		578	170/11, 180/3	0.2400	-सदैव-		संभूत	
		1482	170/11	0.052	-सदैव-		संभूत	
		1457	170/11, 180/3	0.0270	-सदैव-		संभूत	
		1048	170/12, 170/13	0.1120	-सदैव-		संभूत	
		844	170/12, 170/13	0.1050	-सदैव-		संभूत	
		77	170/12, 170/13	0.1030	-सदैव-		संभूत	
		602	170/12, 170/13	0.1020	-सदैव-		संभूत	
		169	170/13	0.169	-सदैव-		संभूत	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 20 )

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1458	170/13, 170/14	0.1690	-सर्व-		संभू	
		404	170/11, 170/13, 170/14	0.1650	-सर्व-		संभू	
		718, 1050	170/11, 170/11, 180/3	0.0540	-सर्व-		संभू	
		221	170/11, 170/13, 170/14, 180/3	0.4450	-सर्व-		संभू	
		1043	170/14, 180/3, 180/4, 181/1, 181/2, 182/1	2.4560	-सर्व-		संभू	
		1045	179/1 180/1	0.3250	-सर्व-		संभू	
		1319	180/4, 180/5	0.3010	-सर्व-		संभू	
		650	179/1, 179/4, 180/4, 180/6, 180/8, 181/1, 181/2, 181/3	1.2810	यगा नदी से प्रभावित		संभू	
		818	179/1, 179/3, 203/1, 203/2, 203/3	1.4700	भूमि कार्य हो रहा है		संभू	
		638	179/2, 179/3, 180/1, 180/1	0.4960	-सर्व-		संभू	
		162	170/13, 170/14, 180/1	1.3110	-सर्व-		संभू	
		389	170/14, 182/1, 183/1, 184/1	1.1020	-सर्व-		संभू	
		26	184/1	0.132	-सर्व-		संभू	
		25	184/1	0.132	-सर्व-		संभू	
		594	184/1	0.132	-सर्व-		संभू	
		1436	183/1, 184/1	0.185	-सर्व-		संभू	
		1188	183/1	0.119	-सर्व-		संभू	
		1088	183/1, 199/1, 199/2, 199/3, 200/1, 200/3	0.9570	-सर्व-		संभू	
		1067	183/1, 183/2, 182/1, 199/2	0.1900	-सर्व-		संभू	
		1068	183/1, 183/2, 182/1, 198/4	0.2660	-सर्व-		संभू	
		1069	183/1, 192/1, 180/1, 180/4, 199/2	0.2340	-सर्व-		संभू	
		982	198/4	0.084	-सर्व-		संभू	
		1297	198/4	0.084	-सर्व-		संभू	
		214	198/4	0.085	-सर्व-		संभू	
		367	199/1, 207/2, 202/4, 202/5	0.1260	-सर्व-		संभू	
		1208	198/2, 208, 209/4, 209/2, 199/3, 199/1, 209/5, 202/4, 202/5, 209/1, 207/2, 208	0.7930	-सर्व-		संभू	
		746	206/1, 206/2, 206/5, 206/8, 207/2, 208	1.0420	-सर्व-		संभू	
		1409	206/2, 208/3, 208/5, 208/6, 207/2, 207/5	0.3810	-सर्व-		संभू	
		637	197/1, 198/2, 198/3, 198/4, 209/2, 208/3, 209/4, 210/1, 210/3	0.8920	-सर्व-		संभू	
		1493	197/1, 199/3, 207/3, 208, 209/3, 209/4, 210, 210/2, 210/3, 210/4	2.0330	-सर्व-		संभू	
		1097	206/4, 206/6, 206/5, 207/2, 210/4, 223/1	0.8510	-सर्व-		संभू	
		337	206/7, 224/1, 225/1, 225/2, 233/1	1.5930	-सर्व-		संभू	
		1471	224/1, 225/2, 233/1	0.6430	-सर्व-		संभू	
		336	208/7, 224/1, 225/1, 225/2, 233/1	1.5930	-सर्व-		संभू	
		12049	225/1	0.376	-सर्व-		संभू	
		9199	234/2, 225/2	0.6090	-सर्व-		संभू	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 21 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
1385		225/1, 225/2, 233/1, 234/2		0.2300	-तरीक-		संगुप	
1346		132/1, 240/1, 240/3, 240/4, 241, 250/1, 251/1, 252/1, 253/1, 254, 255		3.5500	-तरीक-		संगुप	
683		232/1, 233/1, 234/2, 225/1		0.5740	-तरीक-		संगुप	
1189		251/1, 255, 250/1		0.7950	-तरीक-		संगुप	
1624		250/1		0.937	-तरीक-		संगुप	
1048		203/3, 203/4, 203/5, 238		1.6490	गंगा से प्रभावित		संगुप	
1049		239/1, 239/2, 239/3		2.0400	गंगा से प्रभावित		संगुप	
408		205, 206/8, 206/10		0.4670	कृषि कार्य हो रहा है		संगुप	
408		204		0.714	खनन का पट्टा		संगुप	
1154		204		1.096	खनन का पट्टा		संगुप	
1154		206/10		1.049	खनन का पट्टा		संगुप	
1154		206/11		0.090	कृषि कार्य हो रहा है		संगुप	
1511		204न		0.359	गंगा से प्रभावित		संगुप	
1200		204न, 736/1		0.0750	गंगा से प्रभावित		संगुप	
749अ		205		0.348	गंगा से प्रभावित		संगुप	
529		205		0.123	गंगा से प्रभावित		संगुप	
11		205		0.348	गंगा से प्रभावित		संगुप	
915		205		0.205	गंगा से प्रभावित		संगुप	
177		206/11		0.410	कृषि कार्य हो रहा है		संगुप	
181		234/1, 234/2, 239/1, 232/2		0.8900	कृषि कार्य हो रहा है		संगुप	
385		235/1		1.721	गंगा से प्रभावित		संगुप	
429		235/1, 235/2		1.7210	खुदाल		संगुप	
519		239/1		0.256	गंगा से प्रभावित		संगुप	
558, 562		234/2, 239/1, 234/2, 239/1		0.5490	गंगा से प्रभावित		संगुप	
599		234/2, 239/1		0.8170	गंगा से प्रभावित		संगुप	
1345		251/3		0.041	खाली पट्टा है		संगुप	
131		256/1, 256/2		0.9530	कृषि कार्य हो रहा है		संगुप	
707		257/1, 257/2, 737		1.2320	खनन का पट्टा व खाली पट्टा है		संगुप	
911		258		1.864	कृषि कार्य हो रहा है		संगुप	
1211		259/1, 259/4		1.5770	गंगा से प्रभावित		संगुप	
1072		259/1		0.017	गंगा से प्रभावित		संगुप	
383		259/1		0.735	गंगा से प्रभावित		संगुप	
886		259/1, 259/2, 259/3		0.3200	गंगा से प्रभावित		संगुप	
693		259/1		0.402	गंगा से प्रभावित		संगुप	
937		259/1		0.185	गंगा से प्रभावित		संगुप	
81		259/1		0.290	गंगा से प्रभावित		संगुप	
2619		259/1		0.451	गंगा से प्रभावित		संगुप	
447		713/1		0.138	खाली पट्टा है		संगुप	
1540, 1018		719/1, 719/1, 720/1		0.6620	खाली पट्टा है		संगुप	
1276		719/1		0.021	खाली पट्टा है		संगुप	
924		720/1		0.115	खाली पट्टा है		संगुप	
1378		720/1		0.125	खाली पट्टा है		संगुप	
914		713/1		0.113	खाली पट्टा है		संगुप	
820		713/1		0.300	खाली पट्टा है		संगुप	
1373		716		0.716	खाली पट्टा है		संगुप	
928		718		0.502	खाली पट्टा है		संगुप	
1017		719/1		0.257	खाली पट्टा है		संगुप	
644		720/1		0.825	खाली पट्टा है		संगुप	
134		720/1		0.202	खाली पट्टा है		संगुप	
1065		825/1		0.967	खाली पट्टा है		संगुप	
1713		836		1.096	खाली पट्टा है		संगुप	
1029		713/1, 1		0.2200	खाली पट्टा है		संगुप	
102		713/1		0.306	खाली पट्टा है		संगुप	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 22 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		285	713/1	0.233	खाली पड़ा है		संयुक्त		
		1580	713/1, 714	1.2750	खाली पड़ा है		संयुक्त		
		1358	738	0.317	गंगा से प्रभावित		संयुक्त		
		393	738	0.209	गंगा से प्रभावित		संयुक्त		
		644	745	0.481	खनन पट्टा		संयुक्त		
		1121, 103	746, 746	1.383	खनन पट्टा		संयुक्त		
		274	746	1.209	खेती		संयुक्त		
		1110	746	0.410	खेती		संयुक्त		
		273	746	0.519	खेती		संयुक्त		
		273	750/3	0.532	खेती		संयुक्त		
		273	750/4	0.254	खेती		संयुक्त		
		274	750/3	0.700	गंगा से प्रभावित		संयुक्त		
		687	750/1, 750/4	1.4150	खाली पड़ा है		संयुक्त		
		254	824	0.045	गंगाजी		संयुक्त		
		1231	824	0.224	गंगाजी		संयुक्त		
		128	824	0.717					
		1706	170/3, 170/1, 170/1, 170/3, 177/1, 178/1, 180/1, 180/2, 173/3, 173/1, 173/2, 171/1, 173/3, 173/4, 175, 171/3, 204, 171/3, 236, 237, 738/1, 170/7, 170/8, 170/8, 170/10, 170/21, 180/3, 180/5, 180/6, 199/1, 200/2, 201/4, 201/5, 202/2, 202/3, 207/1, 207/2, 182/1, 182/2, 183/1, 200/1, 201/1, 201/2, 201/3, 237	14.8910					
		597	259/1	0.684	गंगाजी		श्रेणी-5		
		1703	713/1	0.799	मीले पर खाली		श्रेणी-5	नाम के दावे और	
		1710	48, 170/3, 160/1, 724, 725, 11-14, 22, 16, 17, 24, 26/1, 174/1, 178/1, 179/1, 719/1, 738, 749, 756, 760, 766, 793, 822/2, 713/1, 97/4, 106/1, 103/1, 177/1, 177/1, 178/1, 183/2, 184/1, 192/1, 183/1, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 199/2, 199/3, 207/2, 208, 720/1	28.1570	गंगा से प्रभावित		श्रेणी-5(1)	पूर्ण नम्बर	
		1722	1ए 2ए 11म, 12म, 13म, 14म, 16म, 17म, 18 से 21, 23, 25, 713/1, 714 से 718, 720/1, 721 से 725, 726 से 735, 739 से 745, 747 से 749, 750/1, 763 से 758, 760, 762 से 764, 766 से 820, 823 से 825, 831/1, 831/3, 832 से 836, 838 से 849, 854	1455.5240	श्रेणी-6(5)		श्रेणी-6(5)		
		1712	22, 713/1	5.4990	गंगा में है				
		1711	747, 836म, 837म	9.0700	गंगा में है				
		1719	8म	0.0720	गंगा में है				
		1721	719/1, 107, 108, 170/5, 170/6, 719/1, 750/1, 750/2	3.0968	खाली पड़ा है				
		1721	750/4, 750/5	0.4720	खाली पड़ा है				



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 23 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
			53/2, 100/1, 100/2, 100/2, 100/2, 100/3, 99/3, 102/2, 103/1, 103/1, 103/1, 103/2, 103/4, 103/2, 106/2, 106/1, 106/1, 104/5, 104/5, 107e, 108/1, 170/4, 170/5, 170/5, 170/6, 183/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/6, 181/1, 181/2, 181/2, 181/3, 182/1, 182/1, 183/1, 183/2, 180/2, 192/1, 193/2, 198/2, 198/3, 198/4, 198/4, 199/1, 199/3, 200/2, 200/3, 201/1, 201/2, 201/4, 201/5, 206/3, 206/4, 206/5, 206/5, 206/8, 206/8, 207/2, 207/3, 208, 208, 210/2, 210/2, 210/3, 210/4, 225/1, 225/2, 226/1, 241/3	1.1804				
1718		4-6, 8, 10, 15, 22, 48, 160/1, 174/1, 175, 179/1, 716-718, 725, 738, 745, 746, 749, 750/1, 824, 825/1, 831/1, 836, 837, 170/14		45.0840	पंचा नं 5		श्रेणी-6(3)	
			53/2, 100/1, 100/2, 100/3, 99/3, 102/2, 103/1, 103/2, 103/4, 106/2, 106/1, 104/5, 106/4, 108/1, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 181/1, 182/2, 181/3, 182/1, 183/1, 182/2, 183/2, 184/1, 187/2, 192/1, 198/2, 198/3, 198/4, 199/1, 199/3, 200/2, 200/3, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/5, 206/3, 206/4, 206/6, 206/8, 207/2, 207/3, 208, 210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 223/1, 224/1, 225/1, 225/2, 226/1, 232/1, 240/1, 241/1, 250/1, 251/1, 252/1, 253/1	0.5700				
1718		3, 4, 5, 6, 22, 48, 160/1, 174/1, 179/1, 259/1, 713/1, 736, 738, 746, 747, 751, 753, 759, 765, 822/2, 831, 53/1, 50/4, 50/5, 50/6		61.9350			श्रेणी-6(1)	
1722		1ए 2ए 11न, 12न, 13न, 14न, 16न, 17न, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 713/1, 714, 715		83.8200	श्रेणी-6(5)		श्रेणी-6(5)	
273		160/3		0.234	खाली		संभार	
4828		26/3, 26/5, 27/3		0.0980	खाली		संभार	
1202		27/3, 27/4, 27/5, 30/4		0.4500	खाली		संभार	
534		30/4, 43/3, 43/2		0.3400	खाली		संभार	
1037		45/2, 44/5, 46/3, 46/4		0.1710	खाली		संभार	
1710		43/2, 44/5, 55		0.2750	खाली		श्रेणी-5	
462		46/6		0.211	खाली		संभार	
85		46/4, 46/6, 57		0.1450	खाली		संभार	
724		54/3		0.080	खाली		संभार	
725		54/3		0.080	खाली		संभार	
1206		54/3		0.240	खाली		संभार	
625		97/2, 98/1		0.1800	खाली		संभार	
1195		97/1, 97/2, 104/1		0.3330	खाली		संभार	
1260न		104/1, 140/2		0.1650	खाली		संभार	
1817		106/6, 109/5, 110/1, 110/2		0.1800	खाली		संभार	
350		109/6, 109/7		0.2400	खाली		संभार	
350न		108/6, 109/8		6.0700	खाली		संभार	
874, 1055		109/7, 109/8, 109/8		0.1010	खाली		संभार	
405		108/6, 109/8		0.1950	खाली		संभार	
169		170/16		0.130	खाली		संभार	
1627		170/16, 179/20		0.2700	खाली		संभार	
1351		170/21, 170/22		0.0430	खाली		संभार	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 24 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		519	170/24	0.100	टीन रोड		संभू	
		1825	170/2	0.025	कृषि		संभू	
		663	184/3, 170/25/2, 170/25/1	0.2000	कृषि		संभू	
		348	184/4, 184/3	0.1260	कृषि		संभू	
		1410	184/4	0.090	कृषि		संभू	
		482	184/4, 185/2, 185/3	0.1020	कृषि		संभू	
		447	185/3	0.040	कृषि		संभू	
		162	191/3	0.050	कृषि		संभू	
		1185, 1600	197/2, 197/3	0.098	कृषि		संभू	
		896	210/7, 186/2, 211/2	0.1900	कृषि		संभू	
		1187	211/2, 222/1	0.1600	मन्दिर		संभू	
		1186	222/1	0.050	कृषि		संभू	
		1199	222/1	0.160	कृषि		संभू	
		1198	222/1, 224/3	0.2030	कृषि		संभू	
		1354	226/4, 226/3	0.1700	कृषि		संभू	
		633	226/4, 232/3	0.3040	कृषि		संभू	
		531	241/3, 232/3	0.1750	कृषि		संभू	
		210	241/3, 242/2	0.1120	कृषि		संभू	
		82	242/3, 243/1	0.3000	कृषि		संभू	
		848	242/5, 242/4	0.0710	कृषि		संभू	
		1299	242/5	0.180	कृषि		संभू	
		1335	242/5, 249/2	0.1800	कृषि		संभू	
		1082	249/2	0.180	कृषि		संभू	
		708	249/2	0.020	कृषि		संभू	
		1624	250/3	0.120	कृषि		संभू	
		17	250/3, 259/7	0.2000	कृषि		संभू	
		1044	259/7	0.300	कृषि		संभू	
		1722	713/1, 711/1, 714, 715, 716, 717, 719, 720/1, 725, 726, 727, 821, 820, 823, 825/1, 838, 828	11.5100	खाली		श्रेणी-6	
		1710	170/20, 170/22, 170/23, 170/24	0.1520	खाली		श्रेणी-5	
			43/2, 46/4, 46/6, 54/3, 97/2, 98/1, 109/6, 222/2, 221/1, 232/6, 243/3, 109/2, 43/2, 46/4, 46/6, 54/3, 97/1, 98/1, 109/6, 222/2, 221/1, 232/6, 243/3, 109/2	0.1430	खाली		श्रेणी-6	
		1718	826/7	0.120	खाली		श्रेणी-6	
		1713	836, 97/2	2.0400	खाली		श्रेणी-5	
		1711	836	1.080	खाली		श्रेणी-5	
		1708	170/21	0.100	खाली		श्रेणी-5	
13	श्रीम विष्णुपुर मुत्तकम	44	90, 163/2, 163/3, 164/4, 165/3, 165/4	1.158	कृषि		श्रेणी-8	
		50	90, 162/3, 163/1, 163/2, 163/3, 164/3, 164/4	0.357	कृषि		संभू	
		84	90, 162/3, 162/4, 163/1, 163/2, 163/3	0.244	कृषि		संभू	
		551	90, 162/3, 162/4, 163/2, 163/3	0.317	कृषि		संभू	
		92	90, 161/3, 162/3, 162/4, 163/2, 163/3	0.541	कृषि		संभू	
		69	91, 131, 163/3, 162/3, 162/4	0.968	कृषि		संभू	
		236	91, 131, 160/3, 161/3	1.135	कृषि		संभू	
		26	159/3, 160/3, 161/3	0.170	कृषि		संभू	
		102	158, 161/3	0.171	कृषि		संभू	
		91	158, 161/3	0.170	कृषि		संभू	
		139	91, 131, 158, 161/3	0.170	कृषि		संभू	
		93	158, 159/3	0.465	कृषि		संभू	
		169	158, 159/3, 161/3	0.188	कृषि		संभू	
		43	91, 131, 158	0.186	कृषि		संभू	
		405	158, 159/3	0.198	कृषि		संभू	
		258	158	0.207	कृषि		संभू	
		257	158, 159/3	0.207	कृषि		संभू	
		256	158	0.116	कृषि		संभू	
		255	158	0.164	कृषि		संभू	
		254	158	0.113	कृषि		संभू	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार


( 25 )

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		324	91, 131, 158	0.257	खान		सतगुरु	
		444	155/3, 156/3, 158, 159/3	0.615	खान		सतगुरु	
		82	156/3, 158	0.145	खान		सतगुरु	
		260	157, 158	0.176	खान		सतगुरु	
		430	159/3, 157, 158	0.146	खान		सतगुरु	
		1253	157, 158, 145	0.362	खान		सतगुरु	
		104	145, 157, 158	0.145	खान		सतगुरु	
		78	157, 158	0.107	खान		सतगुरु	
		299	162/1, 171/3, 171/4	0.182	खान		सतगुरु	
		355	171/4, 171/2, 168/3	0.189	खान		सतगुरु	
		101	168/3, 171/2, 171/4	0.189	खान		सतगुरु	
		408	91, 94, 131	0.112	खान		सतगुरु	
		374	94, 95, 131, 145, 157	0.415	खान		सतगुरु	
		272	131, 144, 145, 154/3, 153, 156/3, 158	1.328	खान		सतगुरु	
		272	131, 144, 145, 154/3, 153, 156/3, 158	1.377	खान		सतगुरु	
		268	146, 151/3, 152/3, 153	0.544	खान		सतगुरु	
		318	145, 153	0.323	खान		सतगुरु	
		307	145, 146, 153	0.298	खान		सतगुरु	
		309	145	0.112	खान		सतगुरु	
		368	146, 145	0.644	खान		सतगुरु	
		157	143-145	0.834	खान		सतगुरु	
		463	142-147, 148/2, 151/3, 152/3	0.801	खान		सतगुरु	
		158	139, 141-143, 146, 147, 148/2, 49/3	3.910	खान		श्रेणी-6(3)	
		143	135, 138, 139, 149/3, 279/3	1.139	खान		सतगुरु	
		231	138, 139	0.143	खान		सतगुरु	
		171	138 से 142	0.778	खान		सतगुरु	
		9	134/1, 134/2, 149/3, 219/3	0.450	खान		सतगुरु	
		271	134/2, 135, 149/3	0.188	खान		सतगुरु	
		349	134/2, 135	0.152	खान		सतगुरु	
		258	135	0.057	खान		सतगुरु	
		381	135, 138	0.066	खान		सतगुरु	
		130	135, 138	0.122	खान		सतगुरु	
		322	135 से 141	1.066	खान		सतगुरु	
		328	134/1, 220/3, 228	0.456	खान		सतगुरु	
		51	134/1, 134/2, 220/3	0.549	खान		सतगुरु	
		128	134/1, 135, 136	0.638	खान		सतगुरु	
		413	220/3, 226/3, 228, 232, 233/2	0.873	खान		सतगुरु	
		153	225, 235, 236	0.416	खान		सतगुरु	
		193	133, 134/1, 134/2, 135, 136, 228, 229	0.761	खान		सतगुरु	
		228	133, 228 से 232	1.446	खान		सतगुरु	
		332	136, 137	0.248	खान		सतगुरु	
		410	133, 136	0.300	खान		सतगुरु	
		319	133, 136	0.307	खान		सतगुरु	
		463	136, 137, 140	0.989	खान		सतगुरु	
		12	133	0.221	खान		श्रेणी-6(3)	
		438	133, 136, 231	0.771	खान		सतगुरु	
		445	133, 136	0.305	खान		सतगुरु	
		13	232, 233/2	0.180	खान		सतगुरु	
		184	233/2, 231, 132	0.246	खान		सतगुरु	
		141	231, 233/2, 250/3	0.395	खान		सतगुरु	
		204	231, 232, 233/2	0.246	खान		सतगुरु	
		234	231, 232	0.246	खान		सतगुरु	
		372	231	0.108	खान		सतगुरु	
		357	231	0.093	खान		सतगुरु	
			126/1	0.366	खान		सतगुरु	
		345	250/3, 252, 251	1.755	खान		सतगुरु	
		463	216/2, 218	0.416	खान		सतगुरु	
		463	126/1, 126/3	0.352	खान		श्रेणी-6(3)	
		463	128	0.081	खान		श्रेणी-6(3)	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		415	251/3, 252, 255/3	0.307	कृषि		सठमू	
		209	251, 252	0.311	कृषि		सठमू	
		178	126/2, 251, 252, 255	0.374	कृषि		सठमू	
		60	126/1, 127/2, 127/3, 253	0.892	कृषि		सठमू	
		80	254/3	0.187	कृषि		सठमू	
		642	256/3, 257/2	0.884	कृषि		सठमू	
			109, 112, 113, 115/1, 117, 118, 131, 135, 140, 257/2, 261/1, 268/1	3.369	कृषि		सठमू	
		474	115/1, 117, 131	0.293	कृषि		सठमू	
		305	261/1	0.116	कृषि		सठमू	
		121	261/1, 168/1	0.116	कृषि		सठमू	
		262	261/1	0.031	कृषि		सठमू	
		344	261/1, 268/1	0.116	कृषि		सठमू	
		433	257/2, 251/1	0.116	कृषि		सठमू	
		447	261/1, 268/1	0.116	कृषि		सठमू	
		409	257/2, 258/1	0.170	कृषि		सठमू	
			257/2, 258/1, 261/1	0.207				
			261/1	0.061	कृषि		सठमू	
		311	89, 91	0.141	कृषि		सठमू	
		313	89	0.113	कृषि		सठमू	
		314	89, 91	0.112	कृषि		सठमू	
		124	89, 91 to 93	1.677	कृषि		सठमू	
		177	91 to 94	1.309	कृषि		सठमू	
		401	93, 95, 98, 99/1, 99/2	0.601	कृषि		सठमू	
		373	92 to 96	1.767	कृषि		सठमू	
		185	96, 97, 131	0.290	कृषि		सठमू	
		228	96, 97	0.260	कृषि		सठमू	
		110	96 to 98, 105	0.366	कृषि		सठमू	
			96 to 98, 105	0.633	कृषि		सठमू	
		62	97, 98, 99/1, 100	0.176	कृषि		सठमू	
		383	98, 99/1, 99/2, 100	0.581	कृषि		सठमू	
		118	97, 105	0.609	कृषि		सठमू	
		151	97, 110, 131, 143	0.439	कृषि		सठमू	
		151अ	97, 110, 111, 131, 142	0.439	कृषि		सठमू	
		151ब	97, 110, 111, 131, 142	0.439	कृषि		सठमू	
		151स	10, 110 to 112, 131, 141, 142	0.439	कृषि		सठमू	
		72	97, 109, 105, 110, 112	1.296	कृषि		सठमू	
		60	109	0.059	कृषि		सठमू	
		210	152/3, 153	0.236	कृषि		सठमू	
		231	138, 139	0.143	कृषि		सठमू	
		171	139 to 142	0.778	कृषि		सठमू	
		175	96 to 98, 105	0.634	कृषि		सठमू	
		204	231, 232, 233/1	0.246	कृषि		सठमू	
		234	231, 232	0.246	कृषि		सठमू	
		372	231	0.094	कृषि		सठमू	
		357	231	0.094	कृषि		सठमू	
		385	126/1, 251/3, 252, 231	1.755	कृषि		सठमू	
		18	98, 100	0.102	कृषि		सठमू	
		79	98	0.047	कृषि		सठमू	
		256	98	0.046	कृषि		सठमू	
		334	98, 100	0.046	कृषि		सठमू	
		257	98, 100, 105	0.083	कृषि		सठमू	
		294	98, 100, 104, 105	0.262	कृषि		सठमू	
		267	98, 104, 105	0.180	कृषि		सठमू	
		330	98, 104, 105	0.066	कृषि		सठमू	
		170	105, 108 to 110	0.080	कृषि		सठमू	
		159	108, 109	0.295	कृषि		सठमू	
		96	106 to 109	0.205	कृषि		सठमू	
		278	112, 131, 141	0.440	कृषि		सठमू	
		188	109, 112, 113	0.643	कृषि		सठमू	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 21 )

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		251	107, 109	0.896	शुद्धि		संशुद्ध	
		261	107	0.706	शुद्धि		संशुद्ध	
		152	107, 109, 113	0.695	शुद्धि		संशुद्ध	
		438	109, 112, 113, 115/1, 117, 118, 131, 137, 140	0.337	शुद्धि		संशुद्ध	
		434	115/1, 117, 131	0.340	शुद्धि		संशुद्ध	
		252	1	0.081	शुद्धि		संशुद्ध	
		4439	2	0.666	शुद्धि		संशुद्ध	
		116	3	0.051	शुद्धि		संशुद्ध	
		87	8	0.236	शुद्धि	संशुद्ध	संशुद्ध	
			10/3					
		92	8	0.205	शुद्धि		संशुद्ध	
		96	9/3	0.112	शुद्धि		संशुद्ध	
		25	10/3	0.246	शुद्धि		संशुद्ध	
		372	25/3	0.245	मन्दिर (आगमन)		संशुद्ध	
		117	24/3	0.133	शुद्धि		संशुद्ध	
		46	115/2	0.122	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		146	116	0.615	शुद्धि		संशुद्ध	
		66	116	0.368	शुद्धि		संशुद्ध	
		41	119, 127/4, 128	0.522	शुद्धि		संशुद्ध	
		173	120	0.852	शुद्धि		संशुद्ध	
		437	121न, 123न, 124न	1.496	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		10	121न	0.338	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		179	122, 280	0.131	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		209	122न, 281/2, 301, 305, 308, 312/2	0.729	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		205	122, 281/2, 301, 304, 308, 312/2	0.988	शुद्धि		संशुद्ध	
		111	102/2, 268/2	0.471	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		317	261/2	0.041	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		435	261/2	0.983	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		357	266	0.133	शुद्धि		संशुद्ध	
		118	266, 267	0.425	शुद्धि		संशुद्ध	
		145	264, 265, 300, 301, 304	1.209	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		315	268/3	0.368	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		333	299, 309, 311/1	0.611	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		450	301	0.020	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		162	280	0.031	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		246	262, 301	0.091	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		59	301	0.071	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		449	302 से 304	0.666	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		171	312/2, 290, 303	0.441	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	
		176	304	0.135	गंगा जी से प्रभावित		संशुद्ध	




जिलाधिकारी  
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		151	304	0.135	गंगा जी से प्रभावित		सं०पू०	
		443	305 से 307	1.261	गंगा जी से प्रभावित		सं०पू०	
		437	121, 123, 124	1.496	गंगा जी से प्रभावित		सं०पू०	
		466	301	1.065	गंगा जी से प्रभावित		श्रेणी-8(2)	
		467	125, 129	0.348	परती पड़ा है		श्रेणी-8(2)	
		462	115/2	0.205	गंगा जी से प्रभावित		श्रेणी-8(3)	
		460अ	115/2, 303	0.491	गंगा जी से प्रभावित		श्रेणी-8(2)	
		463	- 2, 4 से 8, 126/2, 301 से 304	4.582	परती पड़ा है		श्रेणी-8(3)	
		463 (i)	7	0.994	परती पड़ा है		श्रेणी-8(3)	
		(ii)	83, 99/1, 99/3	0.113	परती पड़ा है		श्रेणी-8(2)	
		(iii)	100, 102/1, 104, 102, 106, 107, 108, 110	2.527	परती पड़ा है		श्रेणी-8(3)	
		(iv)	106, 113	0.686	परती पड़ा है		श्रेणी-8(3)	
		(v)	115/1, 117, 118, 131	1.235	परती पड़ा है		श्रेणी-8(3)	
		(vi)	130	0.205	परती पड़ा है		श्रेणी-8(3)	
		(vii)	128/1, 128/3	0.352				
		465	263, 264/1, 255	0.505				
		465	1मि, 3मि, 5मि, 6मि, 7मि, 101मि, 103मि, 119मि, 304मि	3.723	गंगा जी से प्रभावित		श्रेणी-8(3)	
		465	308मि, 310मि, 311/1मि, 100मि, 102/1मि, 102/1मि, 104मि, 106मि, 107मि	1.225				
		443	299मि, 389मि	0.220	चौके पर रास्ता चल		8(2)	
			235मि, 289मि, 251मि, 280मि, 285मि, 285मि, 303मि, 315मि, 325मि, 336मि, 359मि, 360मि, 370मि, 380मि, 386मि, 382मि, 413मि, 430मि, 431मि	0.963	चौके पर मार्ग		6(2)	
			238मि, 285मि, 286मि, 300मि, 304मि, 316मि, 325मि, 338मि, 368मि, 371मि, 379मि, 390मि, 383मि, 414मि, 419मि, 432मि	0.658	नाली		6(2)	
		371	25/1	0.071	खाली है		सं०पू०	
		117	24/1	0.112	खाली है		सं०पू०	
		116	25/1	0.141	खाली है		सं०पू०	
		346	22/1	0.205	खाली है		सं०पू०	
		483अ	21/1	0.220	खाली है		सं०पू०	
		2	9/1	0.071	खाली है		सं०पू०	
		95	9/1	0.102	खाली है		सं०पू०	
		196	9/1	0.071	खाली है		सं०पू०	
		459	9/1	0.002	खाली है		सं०पू०	
		458	9/1	0.002	खाली है		सं०पू०	
		457	9/1	0.002	खाली है		सं०पू०	
		456	9/1	0.002	खाली है		सं०पू०	
		455	9/1	0.002	खाली है		सं०पू०	
		87	9/1	0.002	खाली है		सं०पू०	
		463	10/1, 11	0.183	खाली है		सं०पू०	
		336	185/1	0.051	खाली है		सं०पू०	
		465	165/1	0.071	खाली है		सं०पू०	
		206	165/1	0.071	खाली है		सं०पू०	
		480अ	165/1, 167	0.051	खाली है		सं०पू०	
		292	164/1, 167/2	0.122	खाली है		सं०पू०	
			188/3	0.071	खाली है		सं०पू०	
				0.102	खाली है		सं०पू०	
					खाली है		श्रेणी-8(1)	
					खाली है		सं०पू०	



जिलाधिकारी  
देहरादून

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		408	168/3, 162/1	0.020	कृषि		सठमू	
		355	168/3	0.025	कृषि		सठमू	
		101	162/1, 168/3	0.044	कृषि		सठमू	
		76	162/1	0.021	कृषि		सठमू	
		299	162/1	0.031	कृषि		सठमू	
		117	162/1	0.081	कृषि		सठमू	
		101	162/1	0.081	कृषि		सठमू	
		454	162/1	0.081	कृषि		सठमू	
		215	162/1, 172, 161/2, 160/1	0.120	कृषि		सठमू	
		263	155/1, 158/1, 160/1	0.304	कृषि		सठमू	
		48	155/1	0.071	कृषि		सठमू	
		217	155/1, 154/1	0.120	कृषि		सठमू	
		158	154/1, 162/1, 161/1, 150, 149/1	0.357	कृषि		सठमू	
		427	149/1, 119/1	0.131	कृषि		सठमू	
			319/1, 220/1	0.182	खाली है		श्री-5(1)	
		179	220/1	0.061	कृषि		सठमू	
		123क	220/1, 221/1	0.072	कृषि		सठमू	
		190	221/1, 227/1	0.066	कृषि		सठमू	
		358	226, 227/1	0.061	कृषि		सठमू	
		364	228, 227/1, 234/1	0.051	कृषि		सठमू	
		64	234/1	0.041	कृषि		सठमू	
		138	139/1	0.061	कृषि		सठमू	
		13	134/1, 250/1	0.063	कृषि		सठमू	
		345	250/1, 251/1	0.195	कृषि		सठमू	
		166	250/1, 251/1	0.062	कृषि		सठमू	
		80	250/1, 251/1, 255/1	0.061	कृषि		सठमू	
		390	258/1, 250/1	0.089	कृषि		सठमू	
		252	266/1, 270	0.098	कृषि		सठमू	
		229	269/1	0.256	आबादी		सठमू	
		151	268/1	0.296	कृषि		सठमू	
		192	267/1, 298/1, 288, 289	0.272	कृषि		सठमू	
		404	298/1, 297, 289	0.174	कृषि		सठमू	
		37	297	0.151	कृषि		सठमू	
		45	297, 213/1	0.091	सोसर रकट		सठमू	
		388	313/1, 315/3	0.082	कृषि		सठमू	
		54	313/5, 314/1	0.133	कृषि		सठमू	
		424	313/6	0.021	कृषि		सठमू	
		58	311/3	0.043	कृषि		सठमू	
		333	311/3	0.044	मत्स्य पट्टे है		सठमू	
		465	310/3	0.171	मत्स्य		श्री-6(1)	
			460, 473	0.960	चरवा		सठमू	
			461, 474, 503, 562, 587, 589, 626, 668, 782	0.292	कृषि		सठमू	
			502, 561, 588, 598, 625, 668, 761	0.097	कृषि		सठमू	
14	बिहानपुर अहत्तमाल	240	36/3	0.745	सठमू	आशन	सठमू	
		162क	36/3, 38/8	0.064	कृषि		सठमू	
		13	38/8	0.064	कृषि		सठमू	
		285	36/3, 38/8	0.407	कृषि		सठमू	
		80	38/8, 45/5	0.302	कृषि		सठमू	
		129	45/5	0.270	कृषि		सठमू	
		240क	45/5, 45/6	0.129	कृषि		सठमू	
		214	45/6	0.253	कृषि		सठमू	
		280	45/5, 45, 6	0.129	कृषि		सठमू	



46  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार


1	2	3	4	5	6	7	8	9
			304	0.135	संग जो से प्रभावित		संग	
		351		1.261	संग जो से प्रभावित		संग	
		443	305 से 307	1.496	संग जो से प्रभावित		संग	
		437	121, 123, 124	1.065	संग जो से प्रभावित		शेरी-6(2)	
		466	301	0.348	पत्नी पड़ा है		शेरी-5(2)	
		457	125, 129	0.205	संग जो से प्रभावित		शेरी-5(2)	
		462	115/2	0.491	संग जो से प्रभावित		शेरी-5(2)	
		400B	115/2, 301	4.582	पत्नी पड़ा है		शेरी-5(2)	
		463	2, 4 से 8, 128/2, 301 से 304	0.994	पत्नी पड़ा है		शेरी-5(2)	
		463 (I)	7	0.113	पत्नी पड़ा है		शेरी-5(2)	
		(II)	83, 88/1, 89/3	2.527	पत्नी पड़ा है		शेरी-5(2)	
		(III)	100, 102/1, 104, 102, 106, 107, 108, 110	0.686	पत्नी पड़ा है		शेरी-5(2)	
		(IV)	106, 113	1.235	पत्नी पड़ा है		शेरी-5(2)	
		(V)	115/1, 117, 116, 131	0.205	पत्नी पड़ा है		शेरी-5(2)	
		(VI)	130	0.352				
		(VII)	128/1, 128/3	0.505				
		(VIII)	253, 254/1, 255	3.721	संग जो से प्रभावित		शेरी-5(2)	
		465	1दि, 3दि, 5दि, 6दि, 7दि 101दि, 103दि, 118दि, 304दि	1.226				
		465	309दि, 310दि, 311/1दि, 100दि, 102/1दि, 102/1दि, 104दि, 106दि, 107दि	0.220	शेरी पर सस्ता चल		8(2)	
		443	299दि, 309दि	0.963	शेरी पर लागू		8(2)	
			235दि, 289दि, 251दि, 280दि, 285दि, 285दि, 309दि, 315दि, 325दि, 338दि, 356दि, 360दि, 370दि, 388दि, 388दि, 382दि, 413दि, 430दि, 431दि	0.658	नाली		8(2)	
			236दि, 285दि, 288दि, 300दि, 304दि, 316दि, 328दि, 339दि, 368दि, 371दि, 378दि, 390दि, 393दि, 414दि, 418दि, 432दि					
		371	25/1	0.071	खाली है		संग	
		117	24/1	0.112	शुद्धि		संग	
		116	23/1	0.141	शुद्धि		संग	
		346	22/1	0.205	शुद्धि		संग	
		4833	21/1	0.220	खाली है		संग	
		3	8/1	0.071	खाली है		संग	
		95	9/1	0.102	शुद्धि		संग	
		196	9/1	0.071	शुद्धि		संग	
		459	9/1	0.002	शुद्धि		संग	
		458	9/1	0.002	शुद्धि		संग	
		457	9/1	0.002	शुद्धि		संग	
		456	9/1	0.002	शुद्धि		संग	
		455	9/1	0.002	शुद्धि		संग	
		87	10/1, 11	0.189	शुद्धि		संग	
		463	165/1	0.051	खाली है		संग	
		336	165/1	0.071	शुद्धि		संग	
		185	165/1	0.051	शुद्धि		संग	
		206	165/1, 167	0.122	शुद्धि		संग	
		4803	164/1, 167/2	0.071	खाली है		शेरी-5(1)	
		292	168/3	0.102	शुद्धि		संग	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 29 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		438	168 / 3, 162 / 1	0.020	कृषि		संभू	
		355	109 / 3	0.025	कृषि		संभू	
		101	162 / 1, 168 / 3	0.041	कृषि		संभू	
		75	162 / 1	0.021	कृषि		संभू	
		299	162 / 1	0.031	कृषि		संभू	
		137	162 / 1	0.081	कृषि		संभू	
		301	162 / 1	0.031	कृषि		संभू	
		454	162 / 1	0.031	कृषि		संभू	
		215	162 / 1, 172, 161 / 2, 180 / 1	0.120	कृषि		संभू	
		283	155 / 1, 159 / 1, 180 / 1	0.304	कृषि		संभू	
		48	155 / 1	0.071	कृषि		संभू	
		227	155 / 1, 154 / 1	0.120	कृषि		संभू	
		158	154 / 1, 182 / 1, 161 / 1, 150, 149 / 1	0.357	कृषि		संभू	
		427	149 / 1, 119 / 1	0.131	कृषि		संभू	
			319 / 1, 220 / 1	0.182	खाली है		सेरी-5(1)	
		179	220 / 1	0.061	कृषि		संभू	
		1235	220 / 1, 221 / 1	0.072	कृषि		संभू	
		190	221 / 1, 227 / 1	0.066	कृषि		संभू	
		358	226, 227 / 1	0.061	कृषि		संभू	
		364	226, 227 / 1, 234 / 1	0.051	कृषि		संभू	
		54	234 / 1	0.041	कृषि		संभू	
		138	139 / 1	0.061	कृषि		संभू	
		13	134 / 1, 250 / 1	0.063	कृषि		संभू	
		345	250 / 1, 251 / 1	0.195	कृषि		संभू	
		166	250 / 1, 251 / 1	0.062	कृषि		संभू	
		80	250 / 1, 251 / 1, 258 / 1	0.061	कृषि		संभू	
		390	256 / 1, 260 / 1	0.089	कृषि		संभू	
		252	256 / 1, 270	0.098	कृषि		संभू	
		229	269 / 1	0.256	आबादी		संभू	
		151	268 / 1	0.296	कृषि		संभू	
		192	267 / 1, 298 / 1, 288, 289	0.222	कृषि		संभू	
		404	298 / 1, 297, 268	0.174	कृषि		संभू	
		37	297	0.151	कृषि		संभू	
		45	297, 213 / 1	0.091	सोहर पकट		संभू	
		388	313 / 1, 313 / 3	0.082	कृषि		संभू	
		54	313 / 5, 314 / 1	0.138	कृषि		संभू	
		424	313 / 6	0.021	कृषि		संभू	
		58	311 / 3	0.043	कृषि		संभू	
		333	311 / 3	0.044	फसल पट्टे है		संभू	
		465	310 / 3	0.171	सखर		सेरी-5(1)	
			480, 478	0.960	रस्ता		संभू	
			461, 474, 603, 562, 587, 599, 626, 688, 782	0.292	कृषि		संभू	
			602, 561, 588, 598, 625, 668, 761	0.097	कृषि		संभू	
14	बिशनपुर अंचलमाल	240	36/3	0.745	संभू	आश्रम	संभू	
		16238	36/3, 38/8	0.064	कृषि		संभू	
		13	38/8	0.064	कृषि		संभू	
		286	36/3, 38/8	0.407	कृषि		संभू	
		83	38/8, 45/5	0.302	कृषि		संभू	
		129	45/5	0.270	कृषि		संभू	
		2482	45/5, 45/6	0.129	कृषि		संभू	
			45/6	0.253	कृषि		संभू	
		580	45/5, 45, 6	0.129	कृषि		संभू	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 30 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		802	18/1, 18/6	0.141	कृषि		संभार	
		279	18/3, 45/8	0.041	कृषि		संभार	
		289	45/3, 46/1	0.091	कृषि		संभार	
		155	45/6, 46/2	0.260	कृषि		संभार	
		88	55/1, 58	0.449	कृषि		संभार	
		122	56, 79, 179/3, 180	0.995	कृषि	आयन	संभार	
		189	55/1, 59/3	0.222	कृषि		संभार	
		208	55/1, 59/3	0.126	कृषि		संभार	
		226	55/1, 60/3, 62/3, 45/3	1.297	कृषि		संभार	
		4	52/1, 53, 54/3, 55/1, 65/3	1.416	कृषि		संभार	
		95	52/1, 53, 54/3	0.196	कृषि		संभार	
		202	52/1, 53, 54/3	0.196	कृषि		संभार	
		147	180	0.315	कृषि		संभार	
		24	54/3, 68	0.220	कृषि		संभार	
		1	54/3, 52/1, 53, 68, 69	0.247	कृषि		संभार	
		200	67/3, 68, 69, 197, 52/1, 70/2	0.684	कृषि		संभार	
		48	78, 67/3, 68, 69, 60/2, 197	0.500	कृषि		संभार	
		38	78, 79, 67/3, 70/2, 69, 197	0.500	कृषि		संभार	
		27	70/2	0.259	कृषि		संभार	
		60	70/2	0.259	कृषि		संभार	
		248	70/2, 71/3	0.259	कृषि		संभार	
		180	70/2, 71/3, 73/3	0.381	कृषि		शेरी-3	
		314/1	70/2, 73/3, 74	0.327	कृषि		शेरी-3	
		296	73/3	0.230	कृषि		शेरी-3	
		306	73/3, 74, 77	0.281	कृषि		शेरी-3	
		324/4	17, 65/2	0.307	कृषि		शेरी-3	
		324/5	17, 62/2	0.410	कृषि		शेरी-3	
		304	67, 197	0.242	कृषि		शेरी-3	
		324/3	69, 70/2, 197, 17	0.319	कृषि		शेरी-3	
		324/2	70/2, 74, 75, 196, 197	0.872	कृषि		शेरी-3	
		324/4	17, 70/2, 197	0.286	कृषि		शेरी-3	
		86	73/3, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 80/2, 81/3, 179/3, 196, 197	2.924	कृषि		शेरी-3	
		163	79, 81/3, 178/5, 178/8, 179/3	1.080	कृषि		संभार	
		3	78, 79, 168/2	0.311	कृषि		संभार	
		324/33	196		कृषि		शेरी-3	
		55	178/6, 179/3	0.147	कृषि		शेरी-3	
		83	179/3, 180	0.190	कृषि		संभार	
		316	180	0.253	कृषि		शेरी-3	
		224	179/3, 180	0.428	कृषि		संभार	
		147	180	0.315	कृषि		संभार	
		83	168/3, 169/4, 180	0.344	कृषि		संभार	
		112	180	0.348	कृषि		संभार	
		39	180	0.343	कृषि		संभार	
		192	180	0.387	कृषि		संभार	
		148	78, 180	0.571	कृषि		संभार	
		205	79, 180	0.472	कृषि		संभार	
		88	168/1, 180	1.059	कृषि		संभार	
		216	180	0.240	कृषि		संभार	
		23	188/1, 188/2, 180	0.408	कृषि		संभार	
		14	188/2	0.149	कृषि		संभार	
		38	188/2	0.171	कृषि		संभार	



निलाधिकारी  
हरिद्वार

( 31 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		158	168/2	0.020	कृषि		संयुक्त	
		210	168/2	0.020	कृषि		संयुक्त	
		151	167/1, 168/2	0.149	कृषि		संयुक्त	
		50	167/1, 168/2	0.149	कृषि		संयुक्त	
		91	167/1	0.168	कृषि		संयुक्त	
		206	167/1, 168/2	0.178	कृषि		संयुक्त	
		97	167/1	0.123	कृषि		संयुक्त	
		64	166/1, 167/1	0.123	कृषि		संयुक्त	
		29	166/1	0.133	कृषि		संयुक्त	
		61	165/1, 166/1	0.390	कृषि		संयुक्त	
		44	165/1, 165/2	1.300	कृषि		संयुक्त	
		137	18, 21 से 23, 26	4.016	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		84	22, 24 से 26, 34	2.550	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		54	20, 21, 26 से 28	4.151	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		276	35	0.410	संग से प्रभावित		श्रेणी-3	
		157	36/4	0.051	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		280	46/3	0.307	संग से प्रभावित		श्रेणी-3	
		269	46/3	0.205	संग से प्रभावित		श्रेणी-3	
		279	46/3	0.256	संग से प्रभावित		श्रेणी-3	
		224	48, 181/3	0.082	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		118	48, 49, 184, 185	0.871	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		31	49, 51	0.266	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		56	181/1	0.032	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		58	50, 181/2, 181/3, 182	0.797	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		132	143, 144	0.395	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		69	145	0.071	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		252	149	0.410	संग से प्रभावित		श्रेणी-3	
		226	151	0.112	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		221	183, 183, 184	0.961	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		264	181/1, 181/3	0.337	संग से प्रभावित		श्रेणी-3	
		213	181/1	0.032	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		57	181/1	0.032	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		245	181/3, 182	0.410	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		86	181/3	0.032	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		383	181/3	0.132	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		93	181/3	0.062	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		48	182, 181, 185	0.635	कृषि		संयुक्त	
		5	182	0.907	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		153	182	0.131	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		135	182	0.073	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		156	182	0.108	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		35	182	0.081	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		179	183	0.307	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		42	183	0.041	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		172	183	0.307	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		47	185	0.121	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		222	185	0.161	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		30	186	0.081	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		283	191	0.410	संग से प्रभावित		श्रेणी-3	
		268	192	0.307	संग से प्रभावित		संयुक्त	
		275	192	0.335	संग से प्रभावित		श्रेणी-3	
			182	0.410	संग से प्रभावित		श्रेणी-3	



  
 जिलाधिकारी  
 हरिद्वार

( 32 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		306	192	0.410	गंगा से प्रभावित		श्रेणी-3	
		249	192	0.410	गंगा से प्रभावित		श्रेणी-3	
		268	193	0.336	गंगा से प्रभावित		श्रेणी-3	
		270	195	0.410	गंगा से प्रभावित		श्रेणी-3	
		278	198	0.307	गंगा से प्रभावित		श्रेणी-3	
		307	196, 55/2	0.517	गंगा से प्रभावित		श्रेणी-3	
		326	147, 148	0.501	गंगा से प्रभावित		8(2)	
		325	145, 38/8, 85/5, 85/8, 55/1, 53, 54/3, 197, 80/2, 74, 75, 73, 78 79, 173/3, 178/8, 178/5, 169/4, 180, 168/2, 167/1	0.665	जलनाम		8(2)	
			38/8, 45/8, 45/6, 55/1, 52/2, 53, 54/3, 197, 70/2, 74, 75, 73/3, 78, 79, 173/3, 178/8, 178/5, 169/4, 180, 168/2, 167/1, 48/3	0.682			8(2)	
		322	1 से 3, 7 से 14, 19, 29, 206, 204, 205 से 209	75.081	गंगा से प्रभावित		5(3)	
		166	31, 32, 46/3, 46, 145 से 147, 161 से 164, 183 से 185, 44/1	9.808	गंगा से प्रभावित		संयुक्त	
		324	15 से 18, 23, 22, 30 से 35, 36/4, 38/8, 38/9, 45/8, 46/1, 47, 48, 48/2, 49, 51, 52/2, 56 140/1, 142, 143, 148, 149, 150, 152 से 164, 181/3, 181/4, 182, 183, 185 से 196, 198 से 202	119.395	गंगा से प्रभावित		6(1)	
		323	132/1, 133/1, 4 से 8, 28, 30 से 33, 35, 36/4, 46/3, 48, 49, 52/2, 140/1, 144, 149, 156, 162, 163, 184, 191, 192, 195, 198	29.477			5(3)	
		139	36/1	0.044	खाली		संयुक्त	
		121	38/8	0.050	आबादी		संयुक्त	
		293	38/8	0.100	आबादी		संयुक्त	
		326	45/3	0.030	आबादी		संयुक्त	
		163	45/3	0.030	आबादी		श्रेणी-6(2)	
		8	45/3	0.030	आबादी		संयुक्त	
		93	45/3	0.030	कृषि		संयुक्त	
		218	45/3	0.030	कृषि		संयुक्त	
		32	45/3	0.030	कृषि		संयुक्त	
		30	45/3	0.030	कृषि		संयुक्त	
		44	59/1	0.040	कृषि		संयुक्त	
		689	59/1	0.040	कृषि		संयुक्त	
		34	59/1, 60/1, 61	0.040	कृषि		संयुक्त	
		73	80/1, 81, 82/1	0.0200	कृषि		संयुक्त	
		243	62/1	0.0620	कृषि		संयुक्त	
		139	62/1	0.102	कृषि		संयुक्त	
		77	62/1	0.020	कृषि		संयुक्त	
		85	62/1	0.020	कृषि		संयुक्त	
		128	65/1	0.020	कृषि		संयुक्त	
		194	65/1	0.020	कृषि		संयुक्त	
		176	65/1	0.020	कृषि		संयुक्त	
		36	65/1	0.020	कृषि		संयुक्त	
		212	85/1	0.020	कृषि		संयुक्त	
			85/1	0.020	कृषि		संयुक्त	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 33 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		324	88/6, 68/1, 132/3	0.0900	बग पैदा नदी से प्रभावित		शेरी-6(1)	
		7	58/1	0.020	खुले		संगुण्ड	
		96	68/1, 64	0.0200	खुले		संगुण्ड	
		241	64	0.020	खुले		संगुण्ड	
		181	64	0.020	खुले		संगुण्ड	
		52	54/1, 80/1	0.0200	खुले		संगुण्ड	
		167	64	0.020	खुले		संगुण्ड	
		88	67/1	0.060	खुले		संगुण्ड	
		184	67/1, 71/1	0.0600	खुले		संगुण्ड	
		178	71/1, 73/1, 72/1	0.1200	खुले		संगुण्ड	
		324अ	81/1	0.044	खाली		शेरी-3	
		37	81/1	0.040	खुले		संगुण्ड	
		108	81/1	0.007	खुले		संगुण्ड	
		107	81/1	0.010	खुले		संगुण्ड	
		104	81/1, 83, 178/1	0.0500	खुले		संगुण्ड	
		228	178/1	0.030	खुले		संगुण्ड	
		143	178/1, 178/2	0.0250	खुले		संगुण्ड	
		203	178/2, 177/1	0.0600	खुले		संगुण्ड	
		188	178/2, 177/1	0.0908	खुले		संगुण्ड	
		171अ	178/1, 168/1	0.1500	खुले		संगुण्ड	
		18	171/2	0.035	खुले		संगुण्ड	
		323	140/3	0.2500	बग से प्रभावित		शेरी-5(3)	
			133/1					
		105	140/3	0.010	बग से प्रभावित		संगुण्ड	
		166	140/3	0.010	बग से प्रभावित		संगुण्ड	
		106	132/3, 81/1, 81/1	0.218	खुले		संगुण्ड	
15	ग्राम विस्तार	8	3/1	0.1540	बगाली	-	संगुण्ड	
		4	4	0.1430	बगाली	-	संगुण्ड	
		9	5	0.1430	बगाली	-	संगुण्ड	
		6	10मि, 21म	0.4100	खुले 0.081	ग्राम देवता 0.081 बगाली 0.088	संगुण्ड	
		7	20म	0.0970	खुले	-	संगुण्ड	
		8	22म	0.0250	खुले	-	संगुण्ड	
		10	33/2	0.0100	बगाली	-	संगुण्ड	
		11	38/1	0.0820	बगाली	-	संगुण्ड	
		3	39/1म, 41म, 42/1, 45/1म, 46/1म	0.4400	खुले	-	संगुण्ड	
		1	42/2, 45/2, 46/2, 48/1म	0.2650	खुले	-	संगुण्ड	
		12	3/2	0.1390	खुले	-	शेरी -	
		13	1, 2, 7 से 9, 11 से 19, 23 से 26, 28म, 29म, 30 से 32, 30/2, 37/2म, 39/2	10.5540	बगाली	-	शेरी-6 जमीन मोटा (6-1) जल धार खुले	
		14	8, 33/1, 34, 35, 38/3	1.1980	बगाली	-	शेरी-6-4 अन्ध	
		80	83म, 85म, 87म, 89म, 104म, 101म	0.4600	खुले 0.021	बग 0.021	संगुण्ड	
		169	84म, 100	0.1440	बगाली	बगाली	शेरी-6-3	
		187	105म	0.0100	आवासीय	आवासीय निर्माण	शेरी-1प 116क विशेषज्ञों की	
		106	105म	0.1230	खुले 0.102 बगाली 0.021	बग 0.21	संगुण्ड	
		81	106म	0.1020	खुले	-	संगुण्ड	
		23	107म	0.0410	खुले	-	संगुण्ड	
		20	150म	0.3180	बगाली	बगाली	(6-1) जलमान खुले	
		7	20म	0.0770	खुले	-	संगुण्ड	



निलाधिकारी  
हरिद्वार

( 34 )


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	21म	0.1640	कृषि	--	संयुक्त	
		6	22म	0.1640	कृषि	--	संयुक्त	
		10	37/1	0.0310	कृषि	--	संयुक्त	
		3	38म, 39/1म, 40म, 41म, 42/1म, 43म, 44, 45/1म, 46/1, 47/1म	0.6680	कृषि	--	संयुक्त	
		13	27म, 28म, 29म, 37/2म	0.1950	गंगाजी	--	(6-1) जलमय	
		1	47/2, 48/1म	0.1330	कृषि	--	संयुक्त	
		2	45/2	0.0200	कृषि	--	संयुक्त	
		60	83म, 85म, 99म, 97म, 101म, 104म	1.2700	कृषि	--	संयुक्त	
		40	103म	0.0510	कृषि	--	संयुक्त	
		137	105म	0.0410	आवासीय	आवासीय निर्माण	श्रेणी-1 ग विशेष श्रेणी	
		108	105म	0.1540	कृषि	--	संयुक्त	
		91	108म	0.1740	कृषि	--	संयुक्त	
		23	107म	0.4000	कृषि	--	संयुक्त	
		89	109म	0.0270	कृषि	--	संयुक्त	
		57	131म	0.0920	आवासीय	मन्दिर आदि निर्मित है	संयुक्त	
		149	137/2म	0.1420	आवासीय	आवासीय स्टोर निर्मित	श्रेणी 1 ग, 116क विशेष श्रेणी	
		115	153म	0.0700	कृषि	--	संयुक्त	
		49	137/1म	0.0200	कृषि	--	संयुक्त श्रेणी 1 ग, 116क विशेष श्रेणी	
		11	137/2म	0.0200	कृषि	--	संयुक्त	
		20	137/2म, 148म	0.0160	कृषि	--	संयुक्त	
		21	137/2म, 149म	0.0250	कृषि	--	संयुक्त	
		112, 113	137/2म	0.0300	कृषि	--	संयुक्त	
		71	137/2म, 148म	0.0170	कृषि	--	संयुक्त	
		72	137/2म, 149म	0.0250	कृषि	--	संयुक्त	
		62	137/2म, 148म, 149म	0.0410	कृषि	--	संयुक्त	
		68	148म	0.0040	आवासीय	आबादी	संयुक्त	
		83	148म, 149म	0.0310	आवासीय	आबादी	संयुक्त	
		85	149म	0.0120	आवासीय	आबादी	संयुक्त	
		4	164म	0.0510	आवासीय	आबादी	संयुक्त	
		83	154म	0.0310	आवासीय	आबादी	संयुक्त	
		103	154म	0.0200	आवासीय	आबादी	संयुक्त	
		168	150म	0.1020	कृषि	--	संयुक्त	
		169	84म	0.0200	बंजर	--	श्रेणी-3 अस्थानी पट्टे पर	
		179	108म, 138म	0.0230	घकभंग	--	श्रेणी-2-35 अन्य कृषि योग्य बंजर	
16	ग्राम खामपुर नौआबाद	78	1म	0.7137	कृषि, आबादी	मकान	श्रेणी-6-2 अकृषिक कृषि	
		171	1म	0.0323	आवासीय		संयुक्त	
		79	2, 4 से 6	1.9170	आवासीय	मकान व रिजोर्ट	संयुक्त	
		198	3				संयुक्त	
		138	7	0.0760	पाला			
		81	8	0.2680	कृषि		श्रेणी-5	
		58	6घ	0.2680	कृषि		संयुक्त	
		95, 180	8, 9, 9म	0.0841	आवासीय		संयुक्त	
		103	10	0.2833	आवासीय	मकान	संयुक्त	
		14	11म	0.2700	कृषि	मकान	संयुक्त	
		196	11	0.4380	आवासीय		संयुक्त	लिपि
		57	12	0.2590	सरकारी	मकान	संयुक्त	आम
		33	13	0.2760	कृषि		संयुक्त	
		32	14	0.7680	कृषि		श्रेणी-5	
		89	15	0.7830	कृषि		संयुक्त	
		23	16	0.8790	कृषि		संयुक्त	
				0.6700	कृषि		संयुक्त	



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

( 35 )

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45	17 to 19	0.5720	खुनि		संयुक्त	
		122	20	0.0540	खुनि		संयुक्त	
		100	21	0.6300	खुनि		संयुक्त	
		123	22	0.1260	खुनि		संयुक्त	
		93	23	0.7210	खुनि		संयुक्त	
		108	24	0.3090	खुनि		संयुक्त	
		110	25	0.7310	खुनि		संयुक्त	
		30	26	0.7170	खुनि		संयुक्त	
		83	27	0.6130	खुनि		संयुक्त	
		54	28	0.6100	खुनि		संयुक्त	
		9	29	0.6100	खुनि		संयुक्त	
		114	30	0.6870	खुनि		संयुक्त	
		204	31 to 33	0.3244	खुनि		संयुक्त	
		88	34	0.7290	खुनि		संयुक्त	
		135	35 to 39	2.0540	खुनि		संयुक्त	
		119	40	0.1330	सरकारी	बंजर	श्रेणी-8	
		161	40	0.3350	गंगाजी	गंगाजी	संयुक्त	
		16	41	0.3990	गंगाजी	गंगाजी	संयुक्त	
					सरकारी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		119	41	0.3340	सरकारी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		185	41	0.4870	सरकारी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		196	41	0.2570	सरकारी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		195	42	0.1010	सरकारी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		196	42	0.3420	सरकारी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		101	43	0.7680	खुनि	-	संयुक्त	
		56	44	0.7450	खुनि	-	संयुक्त	
		169	135म, 45	1.2120	खुनि	-	संयुक्त	
		140	46	0.7530	खुनि	-	संयुक्त	
		24	47, 48	0.7480	खुनि	-	संयुक्त	
		97	49	0.6550	खुनि	-	संयुक्त	
		8	50	0.4140	खुनि	-	संयुक्त	
		82	52	0.1600	खुनि	-	संयुक्त	
		166	53	0.3600	खुनि	-	संयुक्त	
		204	54	0.3000	सरकारी	सस्ता	श्रेणी-8	
		73	55	1.8820	खुनि	-	संयुक्त	
		98	56	0.8000	खुनि	-	संयुक्त	
		204	61	0.1000	सरकारी	सरकारी	श्रेणी-8	
		199	62	0.0400	सरकारी	नाली	श्रेणी-8	
		70	64	0.0150	खुनि	-	संयुक्त	
		104	65	0.6680	खुनि	-	संयुक्त	
		148	66	1.2470	खुनि	-	संयुक्त	
		199	67	0.0380	सरकारी	नाली	श्रेणी-8	
		15	68, 69	0.4500	खुनि	-	संयुक्त	
		153	70	0.1600	खुनि	-	संयुक्त	
		155	71	1.5000	खुनि	आसन	संयुक्त	
		204	71	0.0100	सरकारी	सरकारी	श्रेणी-8	
		160	77	0.0230	खुनि	-	संयुक्त	
		19	78	0.0150	खुनि	-	संयुक्त	
		64	132	0.1300	खुनि	पोस्टर पेड संयुक्त धार्मिक	संयुक्त	
		11	133	0.7580	आवासीय	नकान	संयुक्त	
		151	134	0.7290	खुनि	-	संयुक्त	
		169	135	0.5060	खुनि	-	संयुक्त	
		173	136म	0.2250	खुनि	-	संयुक्त	
		204	136	0.1180	सरकारी	सरकारी	श्रेणी-8	
		199	137	0.0520	सरकारी	नाली	श्रेणी-8	
		204	138	0.7210	सरकारी	सरकारी	श्रेणी-8	
		18	139	0.9800	खुनि व आवासीय	-	संयुक्त	
		204	140	0.7500	सरकारी	सरकारी	श्रेणी-8	
		120	141	0.1330	सरकारी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		120	141	0.1330	गंगाजी	गंगाजी	संयुक्त	
		197	141	18.7800	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		197	142	0.2280	गंगाजी	गंगाजी	श्रेणी-8	
		27	143	0.7590	खुनि	-	संयुक्त	




निलाधिकारी  
हरिद्वार

( 36 )

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		196	144	0.2780	सरकारी	बजर	श्रेणी-5	
		196	145	0.3280	सरकारी	बजर	श्रेणी-5	
		184	145	0.5830	कृषि	-	सामुदायिक	
		181	147	0.4500	कृषि	-	सामुदायिक	
		193	147	0.1400	आवासीय	मकान	सामुदायिक	
		204	148	0.0400	सरकारी	बजरा	श्रेणी-6	
		196	148	0.1520	सरकारी	बजर	श्रेणी-6	
		196	148	0.0440	सरकारी	बजर	श्रेणी-6	
		196	150	0.0630	सरकारी	गंगाजी	श्रेणी-6	
		197	151	0.7620	कृषि	-	सामुदायिक	
		68	152	0.7120	कृषि	-	सामुदायिक	
		17	152	0.7270	कृषि	-	सामुदायिक	
		147	154	0.7270	कृषि	गल कुप	सामुदायिक	
		94	155	0.6560	कृषि	-	सामुदायिक	
		106	155, 157	0.0620	सरकारी	बजरा	श्रेणी-6	
		204	158	0.6500	कृषि	मकान	सामुदायिक	
		35, 36	159, 160	0.0900	सरकारी	बजरा	श्रेणी-6	
		204	161	0.7210	कृषि	-	सामुदायिक	
		82	162	0.5060	कृषि	-	सामुदायिक	
		150	163, 164, 165, 166, 167, 168, 169	0.1120	सरकारी	बजर	श्रेणी-5	
		196	163	0.1970	सरकारी	बजर	श्रेणी-5	
		10	164 क, 166 क	0.4360	कृषि	-	सामुदायिक	
		124	165, 166, 167, 168, 169	0.7530	कृषि	-	सामुदायिक	
		71	168, 169	0.0820	कृषि	-	सामुदायिक	
		52	169	0.0770	कृषि	-	सामुदायिक	
		196	191	0.3120	सरकारी	बजर	श्रेणी-6	
		198	180	0.0440	सरकारी	नाला	श्रेणी-6	
		137	190	0.0200	कृषि	-	सामुदायिक	
		22	191	0.0350	कृषि	-	सामुदायिक	
		21	192	0.0400	कृषि	-	सामुदायिक	
		198	194	0.0890	कृषि	नाला	श्रेणी-6	
		198	195	0.1450	कृषि	नाला	श्रेणी-6	
		196	197	0.0380	कृषि	बजर	श्रेणी-6	
		196	198	0.0200	कृषि	बजर	श्रेणी-6	
		201	199	0.3450	कृषि	आबारी	श्रेणी-6	

जनपद हरिद्वार के तहसील-लक्सर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम


क्र. सं.	ग्राम का नाम	खता खतीनी संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाड़ मैदानों परिसर में स्थित कृषि की माप / क्षेत्रफल हे० में	वर्तमान मू उपयोग		मू की श्रेणी	अवस्था
					मू का प्रकार	सरचना का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम रामपुर हाथपटी अहलवास	001	3/2	0.942	कृषि	-	सामुदायिक	
		002	3/1/2म, 17/1/1, 3/24, 3/25, 3/44, 17/2, 17/9	8.9320	कृषि	-	-तरीक-	
		003	68/1म	0.379	कृषि	-	-तरीक-	
		004	2/2म, 3/1/2म	7.8570	कृषि	-	-तरीक-	
		005	1/4म, 2/2म	1.3110	कृषि	-	-तरीक-	
		006	17/1/2म	1.772	कृषि	-	-तरीक-	
		007	3/54म	0.606	कृषि	-	-तरीक-	
		008	79म	1.024	कृषि	-	-तरीक-	
		009	30/1	0.758	कृषि	-	-तरीक-	
		010	1/2, 1/17, 2/6, 3/12	1.3210	कृषि	-	-तरीक-	
		011	3/63	1.434	कृषि	-	-तरीक-	
		012	61/1/37म, 61/1/1	1.3720	कृषि	-	-तरीक-	
		013	61/1/2	0.696	कृषि	-	-तरीक-	
		014	61/1/37म, 61/1/37म, 61/1/37म	1.7160	कृषि	-	-तरीक-	
		015	61/1/37म	0.685	कृषि	-	-तरीक-	
		016	61/1/37म	0.685	कृषि	-	-तरीक-	
		017	79म	1.024	कृषि	-	सामुदायिक	



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

169  
 Final notification of Haridwar District from Haripur Kalan to Chandipur

1. Bank of Ganga River	-	Right
2. Stretch of Ganga River	-	Haripur Kalan to Chandipur
3. Length of Stretch	-	6.200 Km
4. Date of initial notification	-	08.10.2022
5. Date of publication in newspaper	-	08.10.2022
6. Completion of 60 days for objection	-	06.12.2022
7. No. of objection received /raised at DM office/ Irrigation division Haridwar	-	Nil
8. Proposed of final notification sent to shashan (Secretary Irrigation)	-	जिलाधिकारी हरिद्वार का पत्रांक-12888 / बाढ मै0परि0 दिनांक 28.12.2022
9. Area under Prohibited (25 years line)	-	29.839 Ha.
10. Area under Restricted (100 years line)	-	6.889 Ha.
11. Name of village under notification	-	1. Haripur Kalan 2. Laljiwala
12. Nos of houses effected Haripur Khurd (a) 25 years (Prohibited) (b) 100 years (Restricted)	-	07 (total 12 Nos. land owner) 15 Houses, 02 Building (Flat/Residence), 01 Goshala, 02 Pump house (total 17 Nos. land owner)
13. Nos of houses effected Laljiwala (a) 25 years (Prohibited) (b) 100 years (Restricted)	-	09 No land owner No house/Building effected in Laljiwala 06 No land owner, No house/Building effected in Laljiwala



*[Signature]*  
 AEIV

4  
 जिलाधिकारी  
 हरिद्वार

## उत्तराखण्ड शासन

## सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

संख्या 726 / 11(2) / 2022-06(85) / 2016

देहरादून: दिनांक, 13 जून 2022

## अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार जनपद हरिद्वार के तहसील हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले हरिपुर कला से चण्डी पुल तक गंगा नदी के दोंये तट पर अनुसूची-एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है,

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है,

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं. क्षेत्र


## अनुमन्य कार्यों का विवरण

- |   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 1 | प्रतिषिद्ध क्षेत्र | तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। |
|---|--------------------|--|

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेंगी।”

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 2 | निर्बन्धित क्षेत्र | पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियों और समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। |
|---|--------------------|---|

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेंगी।”



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी- प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी हरिद्वार एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ-साथ जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में भी उपलब्ध है।


  
(हरिचन्द्र सेमवाल)  
सचिव।

संख्या 726 / 11 / (2)2022-06(65) / 2016, तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
2. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक क्षेत्रीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया जिलाधिकारी हरिद्वार से सम्पर्क कर उक्त अधिसूचना को जनपद हरिद्वार की एन.आई.सी.वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC हरिद्वार की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(जे0एल0 शर्मा)  
संयुक्त सचिव।




  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

अधिसूचना संख्या:- 726/II/(02)/2022-08(85)/2018, दिनांक 13 अगस्त 2022  
उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की  
सीमा में आने वाले समस्त परिसम्पत्ति का विवरण

जनपद हरिद्वार के तहसील-हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले ग्राम


प्रतिषिद्ध (Prohibited Area) क्षेत्रों की अनुसूची -01

क्र० स०	ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा / गाटा संख्या	बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप / क्षेत्रफल है० में	वर्तमान भू उपयोग	भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
					भूमि का प्रकार		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम हरिपुर खुर्द	26	1/23म, 1/24 म	0.2360	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर	-
		29	1/23 म	0.0390	आबादी	संक्रमणीय भूमिधर वर्ग-9	
		05	1/25म	0.0620	आबादी	(NZA) वर्ग-9	
		07	1/26म	0.0300	आबादी	(NZA) वर्ग-9	
		09	1/27म	0.0070	आबादी	(NZA)	
		04	1/28म	0.0030	आबादी	वर्ग-15(4) (NZA)	
		23	2म, 3म	0.7750	बांध	वर्ग-15(4) (NZA)	
		22	4, 5	0.6850	गंगाजी	वर्ग-15(1) (NZA)	
		25	1/1म	0.2500	आबादी गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर	
		10	1/1म	1.2600	आबादी, बाग आम गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर	
		03	1/1म	0.2700	आबादी, गंगाजी	संक्रमणीय भूमिधर	
		06	1/1म	0.0600	आबादी,	संक्रमणीय भूमिधर	
			योग हरिपुर खुर्द	3.6770			



2	ग्राम लालजीवाला	7	3म	0.0800	नहर	वर्ग-15(4) (NZA)
		6	4, 6म	0.6970	बन्धा नाला	वर्ग-15(4) (NZA)
		8	5	0.1740	पथरोड	वर्ग-15(4) (NZA)
		9	17म, 19म	1.0420	पथरी नाला	वर्ग-15(4) (NZA)
		4	18म, 20	2.7920	नाला	(NZA)
		5	21	0.9120	आबादी	(NZA)
		3	22म	3.8490	गंगाजी	(NZA)
		1	22म	15.9310	आबादी	(NZA)
		2	22म	0.6850	गंगाजी	(NZA)
				योग लालजीवाला	<b>26.162</b>	
		योग प्रतिषिद्ध	<b>29.839</b>			

(हरिचन्द्र सेमवाल)  
सचिव।



जिलाधिकारी  
हरिद्वार


अधिसूचना संख्या:-726/II/(02)/2022-06(65)/2016, दिनांक 13 अगस्त 2022

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के तहसील हरिद्वार में गंगा नदी के दांये तट पर हरिपुर खुर्द से चण्डीपुल तक ग्रामवार प्रतिबन्धित चिन्हित भूमि की अधिसूचना का सारांश

क्र० सं०	ग्राम का नाम	रकबा (हेक्ट० में)	तहसील	चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट० में)
1	हरिपुर खुर्द	8.797	हरिद्वार	3.677
2	लालजीवाला	42.839	हरिद्वार	26.162
	कुल योग :-	51.636		29.839

(हरिचन्द्र सेमवाल)  
सचिव।

जिलाधिकारी  
हरिद्वार



प्रेषक,

सचिव,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

पत्र सं०: 110 / नो० / कन० / 318 / 2020-21

दिनांक: 22 जून, 2024

विषय- मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या- 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 15.06.2024 को महोदय की अध्यक्षता में आहुत बैठक से सम्बन्धित जारी कार्यवृत्त संख्या 324/एल०बी०ए०-2024 दिनांक 20 जून, 2024 के प्रस्तर-2 में अधोहस्ताक्षरी स्तर से आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में वांछित आख्या निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	कार्यवृत्त संख्या 324/एल०बी०ए०-2024 दिनांक 20 जून, 2024 का प्रस्तर-2	वांछित आख्या
1-	“मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के बिन्दु संख्या-5 में उल्लेख किया गया है कि 5. The report filed by the District Magistrate, Haridwar also states that the construction site has been sealed on 01.11.2023. इस सम्बन्ध में सचिव, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तीन दिन में वांछित आख्या प्रेषित की जायेगी।”	अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की आख्या दिनांक 21.06.2024 के अनुसार भू-स्वामी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में पृथक- पृथक मानचित्र संख्या HRDA/R/ 0423/ 18-19 दिनांक 04.06.2018 को एवं HRDA/R/ 0424/ 18-19 दिनांक 15.06.2018 को प्रस्तुत किया गया तथा प्राधिकरण से दिनांक 08.08.2019 को स्वीकृत होने के उपरान्त मौके पर निर्माण कार्य चालू किया गया था। स्थल पर निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र से विचलन किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी श्री निर्दोष कुशवाहा आदि के नाम से वाद संख्या नो०/कन०/411/2019-20 दिनांक 19.11.2019 एवं श्री आशीष दुल्ली के नाम से वाद संख्या नो०/कन०/318/2020-21 दिनांक 07.10.2020 को योजित किया गया। तदोपरान्त श्री निर्दोष कुशवाहा आदि द्वारा अनाधिकृत निर्माण को शमन कराये जाने हेतु आवेदन संख्या HRDA/NC/ OTS/ 0111/21-22 प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 27.07.2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी। भू-स्वामी के द्वारा ओ०टी०एस० के



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

		<p>अन्तर्गत स्वीकृत शमन मानचित्र से पुनः विचलन करते हुए निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत निर्माण को दिनांक 01.11.2023 को सील किया गया। यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त निर्माण बाढ़ परिक्षेत्र के उल्लंघन में सील नहीं किया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत सम्पत्ति सील अवस्था में है। विपक्षी द्वारा पुनः ओटीएस 2024 के अन्तर्गत सील सुदा भवन को शमन कराने हेतु आवेदन संख्या HRDA/ NR/ OTS/ 0003/24-25 दिनांक 04.04.2024 को प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि परीक्षण में विचाराधीन है।</p> <p>यह भी अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मी० की परिधि में नहीं हो रहा है बल्कि बाढ़ परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत चिन्हित बाढ़ आवृत्ति रेखा से बाहर लगभग 130 मी० की दूरी पर हो रहा है तथा उक्त निर्माण गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्र में नहीं आ रहा है।</p>
--	--	---

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार का कार्यालय पत्रांक 2283/सि०ख०ह०/कोर्ट केस दिनांक 21.06.2024 प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ प्रेषित है।


संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय,

  
(उत्तम सिंह चौहान)  
सचिव

14

जिलाधिकारी  
हरिद्वार



## कार्यालय हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांक: 3640 /नो0/कन0/411/2019-20 एवं 318/2020-21

दिनांक 01 नवम्बर, 2023

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

बनाम

श्री निर्दोश कुशवाहा, श्री राजीव कुशवाहा  
एवं श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरी आश्रम के  
बगल में, कनखल, हरिद्वार।


आदेश

अनाधिकृत विकास सम्बन्धी अवर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 के अनुसार हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार में लगभग 150 फिट गुणा 60 फिट के क्षेत्रफल में कॉलम लगाने हेतु गड्ढे खुदाई का कार्य किया जा रहा है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी श्री निर्दोश कुशवाहा, राजीव कुशवाहा एवं श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 27(1), धारा 28(1) एवं धारा 28(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त वाद योजित किया गया।

प्रकरण में प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने हेतु तिथि 16.09.2021 नियत करते हुए आदेश पत्र संख्या 2440 दिनांक 13.09.2021 द्वारा निर्गत किये गये थे। उपरोक्त पारित सील आदेश के विरुद्ध विपक्षी द्वारा मा0 न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/अध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2021 को आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया गया कि अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं स्वीकृत मानचित्र/साम्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करें। तदानुपालन में वाद सुनवाई दिनांक 24.09.2021 निर्धारित की गयी। नियत तिथि को विपक्षी अनुपस्थित आय। तत्कम में पत्र संख्या 5858 दिनांक 07.10.2021 द्वारा अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया।

उक्तानुसार विपक्षी द्वारा ओटीएस0 के अन्तर्गत आवेदन संख्या एच0आर0डी0ए0/एन0सी0/ओ0टी0एस0/0111/21-22 प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 05.09.2023 द्वारा स्वीकृत हुआ है। तदोपरान्त पत्र संख्या 2929(11) दिनांक 27.09.2023 द्वारा स्थल पर स्वीकृत शमन मानचित्र में द्वितीय तल को प्रस्तावित किया गया है, जिसके सैट बैंक प्रभावित करते हुए स्थल पर निरन्तर निर्माण कार्य किये जाने के कारण सील विषयक कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए सुनवाई दिनांक 11.10.2023 नियत की गयी। नियत तिथि विपक्षी उपस्थित नहीं आये। अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 31.10.2023 के अनुसार विपक्षी द्वारा स्थल पर ओटीएस0 के अन्तर्गत स्वीकृत शमन मानचित्र से भिन्न निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है, जिसकी शिकायते लगातार प्राप्त हो रही है। अनाधिकृत निर्माण को स्थायी रूप से बंद कराये जाने हेतु सील किये जाने बावत आख्या प्रस्तुत की गयी।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी के द्वारा किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को उक्त अधिनियम की धारा-28(क-1) के तहत सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। सील की कार्यवाही दिनांक 01-11-2023 को प्रातः 11:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य की जायेगी। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। अनुपस्थित की दशा में सील की कार्यवाही एक पक्षीय निष्पादित की जाए। विपक्षी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अनाधिकृत निर्माण पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न ही क्षतिग्रस्त होने दे। क्योंकि ऐसा



↓

↓

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

कृत्ब सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के समान है और ऐसा होना विधिक रूप से दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति विपक्षी को तामील हो तथा एक प्रति स्थल पर चस्पा की जाए।


अधिरासी अभियन्ता,  
हरिद्वार-रूढ़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।


प्रतिलिपि:-

- 1- उपाध्यक्ष महोदय का सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर सील की कार्यवाही के दौरान नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- सिटी मजिस्ट्रेट, हरिद्वार को इस आशय से कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने का कष्ट करें।
- 4- थानाध्यक्ष, कनखल, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- सह10 अमि0/अवर अमि0/प्राधिकरण अधिवक्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को स्थल पर सील की कार्यवाही निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।
- 6- सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु।



अधिरासी अभियन्ता,  
हरिद्वार-रूढ़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

जिलाधिकारी  
हरिद्वार





✍  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार



॥

जिलाधिकारी  
हरिद्वार



कार्यालय हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण,  
तुलसी चौक, मन्दापूर, हरिद्वार।  
दूरभाष संख्या : 01134-221558, 221559


सचिव हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के कार्डेस क्रमांक 3640  
01/11/2023 द्वारा विपक्षी श्री निवेश कृष्णाबा जाट पुत्र श्री \_\_\_\_\_

हरिद्वार द्वारा स्थल डीडीगिरी जाहान में  
अगत में, कानवल, हरिद्वार में किये गये स्वीकृत शमन मानचित्र से निम्न

निर्माण को तम्र दिनांक 01/11/2023 को नियुक्त मजिस्ट्रेट, फॉरफ पुलिस

डोल्ड स्टॉक एवं चक्कर तकनीकी स्टॉक की उपस्थिति में सील किया गया।

नमूना सील



मजिस्ट्रेट/ मजिस्ट्रेट, कानवल/ इन्चार्ज,  
हरिद्वार नमूना हरिद्वार



सहायक अभियन्ता,  
डो-सड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार

अवर अभियन्ता,  
डो-सड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार

सचिव / EE  
हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार

कार्यवाही के दौरान उपस्थिति यथाह के हस्ताक्षर-

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

**हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।**

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 28(2) व (3) के अर्थात्।

संख्या: 1939/नो0/कन0/318/2020-21

दिनांक: 07/10/2020

सेवा में,

थानाध्यक्ष,  
कनखल,  
जिला-हरिद्वार।

महोदय,

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विपक्षी श्री आशीष दुल्ली, हरिगिरी आश्रम के बराबर में, दक्ष रोड, कनखल, हरिद्वार द्वारा निम्नलिखित स्थान पर किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को तत्काल रोकने का आदेश दिया गया है:

हरिगिरी आश्रम के बराबर में, दक्ष रोड, कनखल, हरिद्वार में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर का निर्माण लगभग 42 कॉलमों की सहायता से लगभग 48 फिट × 142 फिट के क्षेत्रफल में किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया।

परन्तु विपक्षी ने उर्पयुक्त निर्माण/विकास कार्य बन्द नहीं किया। इस परिस्थिति में अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य पुलिस बल से रूकवाया जाना अनिवार्य है।

अतः उपर्युक्त अधिनियम की धारा 28 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त स्थल पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को तत्काल रूकवा दें, तथा वहीं इस कार्य को कर रहे व्यक्तियों/सहायकों/श्रमिकों को कार्य स्थल से अविलम्ब हटा दें एवं आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि उपरोक्त रिक्वीजीशन (Requisition) का पालन हो चुकने के पश्चात् उपरोक्त स्थल पर निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि विकास/निर्माण कार्य पुनः आरम्भ न हो।

कृपया अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

सचिव


हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

प्रतिलिपि: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अपने स्तर से थानाध्यक्ष को अनाधिकृत निर्माण को रोकने का आदेश देने का कष्ट करें।

सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

13/10/2020



4

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

**हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।**

(कारण बताओ नोटिस)

प्रेषक,

उपाध्यक्ष/सचिव,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

सेवा में,

श्री आशीष दुल्ली,  
हरिगिरी आश्रम के बराबर में,  
दक्ष रोड, कनखल, हरिद्वार।

संख्या: 1939 /नो0/कन0/218.../2020-21

दिनांक: 07 /10 /2020

विषय: उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अधीन निर्गत नोटिस।

आप द्वारा हरिद्वार विकास क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों पर विकास/निर्माण कार्य करा रहें हैं/ कर चुके हैं। स्थल एवं निर्माण की प्रकृति :-

हरिगिरी आश्रम के बराबर में, दक्ष रोड, कनखल, हरिद्वार में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर का निर्माण लगभग 42 कॉलमों की सहायता से लगभग 48 फिट × 142 फिट के क्षेत्रफल में किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया।

चूंकि यह कार्य उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14 के अधीन, इस प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अथवा उन शर्तों का जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गयी थी, का उल्लंघन अथवा हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना के प्राविधानों का उल्लंघन करके किया जा रहा है/ गया है, अतः यह विकास/निर्माण कार्य अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत गिराने/समाप्त किये जाने योग्य है।

अतः आप या तो स्वयं उचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 16 /10 /2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक उपस्थित होकर कारण बतायें कि उपर्युक्त अनाधिकृत विकास/निर्माण कार्य को गिराने/समाप्त करने के आदेश क्यों न जारी किये जायें।


नोट:-

1. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) की ओर दिलाया जाता है कि जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन आवश्यक है, जो रूपया 50,000.00 (रु० पचास हजार) तक हो सकता है और अनाधिकृत निर्माण के जारी रहने पर अतिरिक्त जुर्माना रूपया 2500.00 (रु० दो हजार पांच सौ) प्रतिदिन से उस प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान यह अपराध इस अपराधी के प्रथम बार किये जाने के लिए दोष सिद्ध के पश्चात् जारी रहता है, दण्डनीय होगा।
2. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26(3) की ओर दिलाया जाता है कि जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त अधिनियम की धारा-25 के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश पाने को प्राधिकृत है, के प्रवेश में बाधा डालते हैं, अथवा ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उन्पीड़ित करते हैं, तो आप कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है या जुर्माना रूपया 1000.00 (रु० एक हजार) तक का हो सकता है अथवा दोनों के दण्डनीय होंगे।

2 बि शर्मा

13/10/2020

13/10/2020



सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वारजिलाधिकारी  
हरिद्वार

## कार्यालय, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 2/01 /नो0/कन0/318/2020-21

दिनांक: 20 / 10 / 2020

### उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कार्यवाही की नोटिस।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण **बनाम** श्री आशीष टुल्ली,  
हरिगिरी आश्रम के बराबर में,  
दक्ष रोड, कनखल, हरिद्वार।


आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त मामले की सुनवाई साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में दिनांक 5 / 11 / 2020 को 11:30 बजे पूर्वान्ह से होगी।

अतः आप उक्त दिनांक व समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष/उत्तर स्वयं अथवा अपने द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रश्नगत वाद के निस्तारण तक स्थल पर निर्माण कार्य पूर्णतया: बन्द रखा जाये। सूचित हो कि अनुपस्थिति की दशा में स्थल पर आप द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 28-क(1) के अधीन सील अथवा धारा-27 के अधीन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

  
सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार



रवि

29/10/2020

## कार्यालय हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 2546/नो/हसि/318/2020-21

दिनांक 17/11/2020

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।


बनाम

श्री आशीष दुल्ली,  
हरिगिरी आश्रम के बराबर में,  
दक्ष रोड, कनखल, हरिद्वार।


### आदेश

अनाधिकृत विकास सम्बन्धी अवर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2020 के अनुसार लोअर ग्राउण्ड फ्लोर का निर्माण लगभग 42 कॉलमों की सहायता से लगभग 48 फिट × 142 फिट के क्षेत्रफल में किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी श्री आशीष दुल्ली, हरिगिरी आश्रम के बराबर में, दक्ष रोड, कनखल, हरिद्वार के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1), धारा-28(1) एवं धारा-28(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या-नो/कन0/318/2020-21 योजित किया गया। प्रकरण में विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर विपक्षी उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी कोई अभिलेख/सक्ष्य आदि प्रस्तुत किये गये। अवर अभियन्ता की स्थल निरीक्षण आख्यानुसार कई बार निर्माण कार्य रूकवाने के बाद भी विपक्षी द्वारा स्थल पर लगातार चोरी छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा निर्माण सील किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या पर सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा भी निर्माण कार्य को पूर्णतः बन्द कराने हेतु स्थल पर विपक्षी द्वारा किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने की संस्तुति की गयी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा धारा-28(1) के आदेश का लगातार उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। अतः उक्त अनाधिकृत निर्माण को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28(1) के अन्तर्गत सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। सील की कार्यवाही दिनांक 26/11/2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य की जायेगी। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। विपक्षी के अनुपस्थित की दशा में सील की कार्यवाही एक पक्षीय निष्पादित की जाए। विपक्षी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अनाधिकृत निर्माण पर लगायी गयी सील को न तो ध्वस्त करे और न होने दे। क्योंकि ऐसा कृत्य सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के समान है और ऐसा होना विधिक रूप से दण्डनीय अपराध भी है। सील आदेश की एक प्रति विपक्षी को तामील हो तथा एक प्रति स्थल पर चस्था की जाए।


  
सचिव,

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।




### प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में स्थल पर सील की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सिटी मजिस्ट्रेट, हरिद्वार को इस आशय से कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने का कष्ट करें।
4. थानाध्यक्ष, कनखल, जिला-हरिद्वार को नियत तिथि पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
5. सहायक अभियन्ता/क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/प्राधिकरण अधिवक्ता/स्टोर कीपर को सूचनार्थ एवं आवाहक कार्यवाही हेतु।

  
सचिव,

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।





जिलाधिकारी  
हरिद्वार



## कार्यालय हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 5458/नो0/कन0/318/2020-21

दिनांक 11 / 02 / 2021


विषय: शमन मानचित्र की आपत्तियों के निराकरण सम्बन्धी सूचना।


श्री राजीव कुमार एवं श्री निखिल पुत्रगण श्री यादराम,  
श्री दीपक कुशावाहा, श्री अजय कुशावाहा पुत्रगण श्री घनश्याम कुशावाहा,  
द्वारा श्रीमती राजरानी पत्नी श्री घनश्याम कुशावाहा,  
एवं श्री निर्दोष कुमार (अभिनव कुमार) पुत्र श्री गोपाल कुमार,  
हरिगिरी आश्रम के बराबर में, दक्ष रोड,  
कनखल, हरिद्वार।


उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आप द्वारा अवैध निर्माण को शमन कराने हेतु शमन मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे। प्रस्तुत अभिलेखों के जाँचोपरान्त अवर अभियन्ता की आख्यानानुसार शमन अभिलेखों में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. सेट बैक भवन उपविधि के अनुसार नहीं दर्शाये गये हैं।
2. तृतीय तल गलत दर्शाया गया है।
3. मृदा परीक्षण रिपोर्ट तथा स्ट्रक्चरल सेपटी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. शमन मानचित्र भवन उपविधि के अनुसार प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत करने होंगे।
5. भू-स्वामित्व अभिलेख एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधित शमन मानचित्र एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख पत्र प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त समयवधि में सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की दशा में प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा अधिनियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।



  
08.02.21  
अधिशासी अभियन्ता,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।



  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

## कार्यालय, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 1848/नो0/कन0/318/2020-21

दिनांक 17/7/2021


विषय:- उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

श्री राजीव कुमार एवं श्री निखिल पुत्रगण श्री यादराम,  
श्री दीपक कुशावाहा, श्री अजय कुशावाहा पुत्रगण श्री घनश्याम कुशावाहा,  
द्वारा श्रीमती राजरानी पत्नी श्री घनश्याम कुशावाहा,  
एवं श्री निर्दोष कुमार (अभिनव कुमार) पुत्र श्री गोपाल कुमार,  
हरिगिरी आश्रम के बराबर में, दस रोड,  
कनखल, हरिद्वार।

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा किये गये/किये जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973) संशोधन अधिनियम-2013 की धारा-27(1), धारा-28(1) एवं धारा-28(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत वाद योजित किया गया था। प्रकरण में आप द्वारा अनाधिकृत निर्माण को शमन किये जाने हेतु शमन मानचित्र प्रस्तुत किये गये थे। परीक्षणोपरान्त अवर अभियन्ता की आख्यानुसार आपको शमन मानचित्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु कार्यालय पत्रांक 5458 दिनांक 11.02.2021 को सूचित किया गया। आप द्वारा आतिथि तक उक्त आपत्तियों का निराकरण कर अमिलेख कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अवर अभियन्ता की आख्यानुसार आप द्वारा वर्तमान में स्थल पर पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/7/21 को अधोहस्ताक्षरी के सम्मत् उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न प्रश्नगत स्थल पर आप द्वारा किये गये समस्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया जाये। सूचित हो कि आपकी अनुपस्थिति की दशा में यह सम्झा जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

Ashtil  
17/07/2021



सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

4/7/21

जिलाधिकारी  
हरिद्वार



Uttarakhand Housing & Urban Development Authority  
Department of Housing, Govt. of Uttarakhand  
Rajeev Gandhi Multipurpose Complex, Dispensary Road  
Dehradun - 248001 Telefax - 0135-2719500

Haridwar Roorkee Development Authority  
Near Tulsi Chowk, Mayapur,  
Haridwar, Uttarakhand 249401.  
+91-1334-220800,  
info@onlinehrda.com

1633  
पत्रांक:- NO/KAN/318/20-21

दिनांक: 01-07  
Jun 30, 2021


उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973,  
संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कार्यवाही की नोटिस।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

बनाम Shri Ashish Dulli  
Himgiri Ashram ke Brabar mai Daksh Road  
Kankhal Haridwar

आपके द्वारा स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अधीन नोटिस निर्गत करते हुये प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक Jun 30, 2021 नियत थी। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी न तो आप नियत तिथि में उपस्थित आये और न ही आप द्वारा अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अतः कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 28-क(1) के अधीन सील अथवा धारा-27 के अधीन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाय।

अतः आप दिनांक Jul 15, 2021 को 11:30 बजे पूर्वान्ह स्वयं अथवा आपके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा वांछित अभिलेख/साक्ष्य सहित अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति की दशा में अथवा वांछित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत न करने की दशा में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।



सचिव

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

12-7-2021

21 व 21 वीं

न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण।

अपील संख्या- /2020-21

अन्तर्गत धारा 28क (4) उत्तराखण्ड  
नगर योजना एवं विकास अधिनियम


राजीव कुमार आदि बनाम सचिव, एच0आर0डी0ए0

नगर आदेश दिनांक - 15-9-2021

प्रश्नगत अपील सचिव, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश पत्रांक 2440/नो0/कन0/411/2019-20 एवं नो0/कन0/318/2020-21 दिनांक 13-09-2021 के विरुद्ध योजित की गयी है।

अपील की ग्राह्यता पर वि0 अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। वि0 अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 112 रक्बा 278.71वर्गमीटर, 278.71वर्गमीटर तथा 278.71 वर्गमीटर स्थित मौजा जगजीतपुर परगना ज्वालापुर तीन अलग अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से कय किये गये थे। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त भूमि कय करने के पश्चात प्राधिकरण से आवासीय भवन हेतु दो अलग अलग मानचित्र दिनांक 26-03-2019 व 15-06-2019 को स्वीकृत कराये। अपीलार्थीगण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने के पश्चात सम्पत्ति पर आवासीय भवन का निर्माण शुरू किया गया जिसके उपरान्त अपीलार्थीगण को प्राधिकरण से नोटिस दिनांक 25-08-2021 प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थीगण को प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 24-09-2021 को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित होने हेतु कहा गया। अपीलार्थीगण को नियत तिथि से पूर्व दिनांक 07-09-2021 को सील के आदेश प्राप्त हुये जिसके पश्चात अपीलार्थीगण प्राधिकरण में उपस्थित हुये तथा अपने पूर्व में स्वीकृत दोनों मानचित्रों व अन्य संबंधित दस्तावेजों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके बाद प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी को आश्वासन दिया गया कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 24-09-2021 को ही अग्रिम कार्यवाही/सुनवाई की जायेगी जिसकी सूचना अपीलार्थीगण को नोटिस के माध्यम से दी जायेगी। अपीलार्थीगण द्वारा प्राधिकरण के कार्यालय से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात मौके पर यथार्थिथि बनायी हुई है तथा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा नियत तिथि से पूर्व ही सील आदेश पारित किया गया है तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि विधिविरुद्ध है अतः अपील स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त करने का अनुरोध वि0 अधिवक्ता द्वारा किया गया।

प्राधिकरण के आदेश का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के आदेश में उल्लिखित किया गया है कि अनाधिकृत विकास संबंधी अपर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 11-11-2019 के अनुसार हरिगिरी राय्यास आश्रम के जंगल में कनखत, हरिद्वार में लगभग 150 फिट X 60 फिट के क्षेत्रफल में कॉलम लगाने हेतु गड़बड़े खुदाई का कार्य किया जा रहा है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी के विरुद्ध वाद योजित किया गया। पुनः अपर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 08-03-2021 के अनुसार सचिव द्वारा पारित आदेश संख्या 2255 दिनांक 01-09-2021 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 04-04-2021 को सील किया जाना नियत था परन्तु विभागीय अन्य अति आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण तत्काल निर्माण समुचित रूप से उपलब्ध न होने के कारण नियत तिथि पर सील नहीं किया जा सका। विपक्षी



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

-2-

द्वारा अनाधिकृत निर्माण देर सवेर किया जा रहा है। अतः उपरोक्त आधार पर निर्माण को सील करने का आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि स्थल पर 150 फिट X 60 फिट के क्षेत्रफल में कॉलम लगाने हेतु गड्ढे खुदाई का कार्य किये जाने व स्वीकृति न दिखाये जाने के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी को नोटिस दिनांक 25-08-2021 प्रेषित करते हुये दिनांक 24-09-2021 को पूर्वाहन 11.30 बजे वाचित्त अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलार्थीगण का कथन है कि उनके उक्त निर्माण के 02 मानचित्र स्वीकृत है जिसे कि अपील के साथ भी संलग्न किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण का प्रश्नगत निर्माण के संबंध में मानचित्र स्वीकृत है। प्राधिकरण द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 24-09-2021 की तिथि निर्धारित किये जाने के पश्चात किस आधार पर प्रश्नगत सीलिंग आदेश दिनांक 13-09-2021 पारित किया गया है, स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई व स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। सुनवाई हेतु नियत तिथि से पूर्व ही सीलिंग आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जाना उचित होगा।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 24-09-2021 को उपस्थित होकर सगरत अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत करे। उक्त तिथि तक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-09-2021 का प्रभाव स्थगित किया जाता है। प्राधिकरण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण कर सुनवाई के पश्चात नवीन आदेश पारित करे। अपीलार्थीगण स्थल पर यथास्थिति बनाये रखे व कोई निर्माण कार्य न करे। निर्माण कार्य किये जाने की दशा में प्राधिकरण आदेश दिनांक 13-09-2021 के कम में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। आदेश की प्रति प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित हो।

दिनांक

( रविनाथ रमन)


आयुक्त/अध्यक्ष,

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार।

सत्य प्रतिलिपि  
16.9.21  
वेककार  
आयुक्त  
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी  
1 नैरग-देहरादून

4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार



## कार्यालय, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 37<sup>6</sup> नो / कन0 / (411 / 2019-20)(318 / 2020-21)

दिनांक: 19 दिसम्बर 2022

विषय:- उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

बनाम

श्री राजीव कुमार एवं श्री निखिल कुमार  
पुत्रगण श्री यादराम,  
श्री दीपक कुशवाहा, श्री अजय कुशवाहा  
पुत्रगण श्री घनश्याम कुशवाहा,  
द्वारा श्रीमती राजरानी पत्नी श्री घनश्याम कुशवाहा,  
एवं श्री निर्दोष कुमार(अमिनव कुमार) पुत्र श्री  
गोपाल कुमार,  
हरिगिरी आश्रम के बराबर में, दक्ष रोड, कनखल,  
हरिद्वार।


उपर्युक्त विषयक आप द्वारा किये गये/किये जा रहे अनाधिकृत के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973) संशोधन अधिनियम-2013 की धारा- 27(1), धारा-28(1) एवं धारा-28(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत वाद योजित किया गया था। प्रकरण में मा0 न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अपील संख्या 18/2020-21 में दिनांक 15.09.2021 द्वारा आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया गया था कि 'प्राधिकरण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण कर सुनवाई के पश्चात नवीन आदेश पारित करें। अपीलार्थीगण स्थल पर यथास्थिति बनाये रखे व कोई निर्माण कार्य न करे। निर्माण कार्य किये जाने की दशा में प्राधिकरण आदेश दिनांक 13.09.2021 के क्रम में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।' इस संबंध में अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.11.2022 के अनुसार आप द्वारा स्थल पर शने-शने निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप द्वारा ओटी0एस0 के अन्तर्गत प्रस्तुत शमन आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0111/21-22 में दिनांक 04.07.2022 द्वारा सूचित आपत्तियों का निराकरण भी वर्तमान तक नहीं किया गया है।

अतः एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 21.02.2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में उपरोक्त सूचित आपत्तियों के निराकरण के साथ उपस्थित होकर कारण बताये कि क्यों न उपरोक्त किये गये/किये जा रहे अनाधिकृत विकास/निर्माण को सील कर दिया जाये। आपकी अनुपस्थिति एवं उपरोक्त के अभाव में यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है और एक पक्षीय निर्णय लेते हुये अनाधिकृत निर्माण को सील/ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

Ashish 20/12/22  
9634677777

अधिसासी अभियन्ता,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

Digitally signed by MADHAWANAND JOSHI  
Date: 2022.12.17 17:26:19 +05:30  
Reason: Unauthorized Construction Order  
Location: Haridwar



जिलाधिकारी  
हरिद्वार



Uttarakhand Housing & Urban Development Authority  
Department of Housing, Govt. of Uttarakhand  
Rajeev Gandhi Multipurpose Complex, Dispensary Road  
Dehradun - 248001 Telefax - 0135-2718500



Haridwar Roorkee Development Authority  
Near Tulsi Chowk, Mayapur,  
Haridwar, Uttarakhand 249401,  
+91-1334-220800,  
info@onlinehrda.com

पत्रांक: 2929(11) / नो/कन0 / (411 / 2019-20)(318 / 2020-21)

दिनांक: 27 सितम्बर 2023

विषय:- उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

बनाम


श्री राजीव कुमार एवं श्री निखिल कुमार  
पुत्रगण श्री यादराम,  
श्री दीपक कुशवाहा, श्री अजय कुशवाहा  
पुत्रगण श्री घनश्याम कुशवाहा,  
द्वारा श्रीमती राजरानी पत्नी श्री घनश्याम कुशवाहा  
एवं श्री निर्दोष कुमार (अभिनव कुमार) पुत्र श्री  
गोपाल कुमार, हरिगिरि आश्रम के बराबर में, दक्ष  
रोड, कनखल, हरिद्वार।

श्री राजीव कुमार एवं श्री निखिल कुमार  
पुत्रगण श्री यादराम,  
श्री दीपक कुशवाहा, श्री अजय कुशवाहा  
पुत्रगण श्री घनश्याम कुशवाहा,  
द्वारा श्रीमती राजरानी पत्नी श्री घनश्याम कुशवाहा  
एवं श्री निर्दोष कुमार (अभिनव कुमार) पुत्र श्री गोपाल कुमार,  
हरिगिरि आश्रम के बराबर में, दक्ष रोड, कनखल, हरिद्वार।

उपर्युक्त विषयक ओटीओएसओ के अन्तर्गत स्वीकृत स्वीकृत शमन आवेदन संख्या  
HRDA/NC/OTS/0111/21-22 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके संबंध में अवर अभियन्ता  
द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.09.2023 के अनुसार स्थल पर उपरोक्त प्रस्तुत शमन  
मानचित्र में द्वितीय तल को प्रस्तावित किया गया है जिसके सैट बैक प्रभावित करते हुए विपक्षी द्वारा  
स्थल पर निरन्तर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

अतः एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 11.10.2023 को पूर्वान्ह  
11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में उपस्थित होकर कारण बताये कि क्यों न उपरोक्त द्वितीय तल के  
सैट बैक को प्रभावित कर किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया जाये। आपकी  
अनुपस्थिति एवं उपरोक्त के अभाव में यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है  
और एक पक्षीय निर्णय लेते हुये अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की  
जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

27.09.23  
अधिसासी अभियन्ता,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

कार्यालय हरिद्वार-रूढ़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 3640 / नो/कन/411/2019-20 एवं 318/2020-21

दिनांक 01 नवम्बर, 2023

हरिद्वार-रूढ़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

बनाम

श्री निर्दोश कुशवाहा, श्री राजीव कुशवाहा  
एवं श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरी आश्रम के  
बगल में, कनखल, हरिद्वार।

आदेश

अनाधिकृत विकास सम्बन्धी अवर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 के अनुसार हरिगिरि सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार में लगभग 150 फिट गुणा 60 फिट के क्षेत्रफ में कॉलम लगाने हेतु गडढे खुदाई का कार्य किया जा रहा है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी श्री निर्दोश कुशवाहा, राजीव कुशवाहा एवं श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरि सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 27(1), धारा 28(1) एवं धारा 28(2) के अन्तर्ग कार्यवाही करते हुए उपरोक्त वाद योजित किया गया।

प्रकरण में प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने हेतु तिथि 16.09.2021 नियत करते हुए आदेश पत्र संख्या 2440 दिनांक 13.09.2021 द्वारा निर्गत किये गये थे। उपरोक्त पारित सील आदेश के विरुद्ध विपक्षी द्वारा मा0 न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/अध्यक्ष, हरिद्वार-रूढ़की विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2021 को आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया गया कि अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करें। तदानुपालन में वाद सुनवाई दिनांक 24.09.2021 निर्धारित की गयी। नियत तिथि को विपक्षी अनुपस्थित आय। तत्कम में पत्र संख्या 5858 दिनांक 07.10.2021 द्वारा अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने हेतु कारण बतओ नोटिस प्रेषित किया गया।

उक्तानुसार विपक्षी द्वारा ओटीएस0 के अन्तर्गत आवेदन संख्या एच0आर0डी0ए0/एन0सी0/ओटी0एस0/0111/21-22 प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 05.09.2023 द्वारा स्वीकृत हुआ है। तदोपरान्त पत्र संख्या 2929(11) दिनांक 27.09.2023 द्वारा स्थल पर स्वीकृत शमन मानचित्र में द्वितीय तल को प्रस्तावित किया गया है, जिसके सैट बैंक प्रभावित करते हुए स्थल पर निरन्तर निर्माण कार्य किये जाने के कारण सील विषयक कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए सुनवाई दिनांक 11.10.2023 नियत की गयी। नियत तिथि विपक्षी उपस्थित नहीं आये। अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 31.10.2023 के अनुसार विपक्षी द्वारा स्थल पर ओटीएस0 के अन्तर्गत स्वीकृत शमन मानचित्र से भिन्न निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है, जिसकी शिकायते लगातार प्राप्त हो रही है। अनाधिकृत निर्माण को स्थायी रूप से बंद कराये जाने हेतु सील किये जाने बावत आख्या प्रस्तुत की गयी।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी के द्वारा किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को उक्त अधिनियम की धारा-28(क-1) के तहत सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। सील की कार्यवाही दिनांक 01-11-2023 को प्रातः 11:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य की जायेगी। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। अनुपस्थित की दशा में सील की कार्यवाही एक पक्षीय निष्पादित की जाए। विपक्षी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अनाधिकृत निर्माण पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न ही क्षतिग्रस्त होने दे। क्योंकि ऐसा



↓

↓

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

कृत्य सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के समान है और ऐसा होना विधिक रूप से दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति विपक्षी को तामील हो तथा एक प्रति स्थल पर चप्पा की जाए।


अधिशाली अभियन्ता,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

- 1- उपाध्यक्ष महोदय का सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर सील की कार्यवाही के दौरान नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- सिटी मजिस्ट्रेट, हरिद्वार को इस आशय से कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने का कष्ट करें।
- 4- थानाध्यक्ष, कनखल, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- सहाय अमि०/अवर अमि०/प्राधिकरण अधिवक्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को स्थल पर सील की कार्यवाही निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।
- 6- सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु।

अधिशाली अभियन्ता,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

जिलाधिकारी  
हरिद्वार





कार्यालय हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण,  
तुलसी चौक, माकापुर, हरिद्वार।  
दूरभाष संख्या : 01134-221558, 221559

सचिव हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के कार्यालय क्रमांक 3640


दिनांक 01/11/2023 द्वारा विषयी श्री निर्देशि कृष्णाजी जाति पुत्र श्री \_\_\_\_\_

हरिद्वार द्वारा स्थल हटिगिरी आश्रम में  
व्यंगल में, कनाबल, हरिद्वार में लिखे गये स्वीकृत श्रमण मानचित्र से निम्न

स्थल निर्माण को मात्र दिनांक 01/11/2023 को नियुक्त मजिस्ट्रेट, पर्वार पुलिस

की मदद स्टम्प एवं उचित तकनीकी स्टम्प की उपस्थिति में सील किया गया।

नमूना सील



मजिस्ट्रेट,  
हरिद्वार


सनायक/ इन्चार्ज,  
प्लान  
हरिद्वार

सहस्रक अधिकारी,  
हरिद्वार

अवर अधिकारी,  
हरिद्वार

हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार

कार्यालयी के द्वारा उपस्थिति गवाह के हस्ताक्षर-



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।  
(कारण बताओ नोटिस)

प्रपत्र संख्या-21 (म0यो0)

प्रेषक.

उपाध्यक्ष/सचिव,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

सेवा में,

श्री निर्दोश कुशावाहा, श्री राजीव कुशावाहा,  
एवं श्री निखिल कुशावाहा,  
हरि गिरी सन्यास आश्रम के बगल में,  
कनखल, हरिद्वार।

संख्या: मीमो/नो0/कन0/.../2019-20

दिनांक: 19 नवम्बर, 2019

विषय:

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अधीन निर्गत नोटिस।

आप द्वारा हरिद्वार विकास क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों पर विकास/निर्माण कार्य करा रहे हैं/ कर चुके हैं। स्थल एवं निर्माण की प्रकृति :-

हरि गिरी, सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार में लगभग 150.00 फिट × 60.00 फिट के क्षेत्र में कॉलम लगाने हेतु गड्ढे खुदाई का कार्य किया जा रहा है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी।


चूंकि यह कार्य, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14 के अधीन, इस प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अथवा उन शर्तों का जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गयी थी, का उल्लंघन अथवा हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना के प्राविधानों का उल्लंघन करके किया जा रहा है/ गया है, अतः यह विकास/निर्माण कार्य अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत गिराने/समाप्त किये जाने योग्य है।

अतः आप या तो स्वयं उचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 25.11.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक उपस्थित होकर कारण बतायें कि उपर्युक्त अनाधिकृत विकास/निर्माण कार्य को गिराने/समाप्त करने के आदेश क्यों न जारी किये जायें।

नोट:-

1. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) की ओर दिलाया जाता है कि जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन आवश्यक है, जो रूपया 50,000.00 (रु0 पचास हजार) तक हो सकता है और अनाधिकृत निर्माण के जारी रहने पर अतिरिक्त जुर्माना रूपया 2500.00 (रु0 दो हजार पांच सौ) प्रतिदिन से उस प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान यह अपराध इस अपराधी के प्रथम बार किये जाने के लिए दोष सिद्ध के पश्चात् जारी रहता है, दण्डनीय होगा।
2. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26(3) की ओर दिलाया जाता है कि जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त अधिनियम की धारा-25 के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश पाने को प्राधिकृत है, के प्रवेश में बाधा डालते हैं, अथवा ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करते हैं, तो आप कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है या जुर्माना रूपया 1000.00 (रु0 एक हजार) तक का हो सकता है अथवा दोनों के दण्डनीय होंगे।

अभिन  
24/11/19



उपाध्यक्ष/सचिव  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार

9/

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

## हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

प्रपत्र संख्या-22 (म0यो0)

(विकास कार्य रोकने के आदेश)  
उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (1) के  
अधीन आदेश।  
(अधिसूचना दिनांक 05 अप्रैल 2013 के द्वारा)

प्रेषक.

उपाध्यक्ष/सचिव,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

सेवा में,

श्री निर्दोश कुशावाहा, श्री राजीव कुशावाहा,  
एवं श्री निखिल कुशावाहा,  
हरि गिरी सन्यास आश्रम के बगल में,  
कनखल, हरिद्वार।

संख्या: मीमो0/नो0/कन0/.../2019-20

दिनांक: 19 नवम्बर, 2019

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28 की  
उपधारा (1) के अधीन आदेश आपने हरि गिरी, सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार में /पर  
स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/करा रहे हैं:-

लगभग 150.00 फिट × 60.00 फिट के क्षेत्र में कॉलम लगाने हेतु गड्ढे खुदाई का कार्य किया जा  
रहा है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी।

आपका ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर दिलाया जाता है:-

1. यह उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14 के  
अधीन, इस प्राधिकरण की अनुज्ञा/अनुमोदन/स्वीकृति बिना महाप्रयोजन/क्षेत्रीय विकास  
प्रायोजन का उल्लंघन है और उन शर्तों का जिनके अधीन यह अनुज्ञा/अनुमोदन/स्वीकृति दी  
गयी थी, का उल्लंघन है।

आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप तुरन्त अनाधिकृत निर्माण कार्य बन्द करके  
अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट करें। इस आदेश का पालन न करने पर आपको उपरोक्त अधिनियम  
की धारा 28 (4) के अधीन रुपये 200.00 (रु० दो सौ) प्रतिदिन जितने दिनों आदेश के  
तामिल होने से उल्लंघन जारी रहता है, के हिसाब से जुर्माने की सजा हो सकती है।


2. आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (क) की धारा (1) की ओर दिलाया जाता है,  
जिसके अनुसार धारा 27 या धारा 28 के अधीन विकास क्षेत्र में उक्त किसी विकास को  
हटाने या रोकने के आदेश देने से पूर्व या उसके पश्चात् किसी समय उक्त विकास को ऐसी  
रीति से जो इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियाश्रित करने के लिये विहित की गयी है,  
सीलबंद करने का निर्देश देते हुये कोई आदेश दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष/सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

अमन



*Roover*  
*h*  
*24/11/2019*

4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

## हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 28(2) व (3) के अधीन।

संख्या: मीमो0/नो0/कन0/411/2019-20

दिनांक: 19 नवम्बर, 2019

सेवा में,

थानाध्यक्ष,  
कनखल,  
जनपद-हरिद्वार।

महोदय,

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विपक्षी श्री निर्देश कुशवाहा, श्री राजीव कुशवाहा, एवं श्री निखिल कुशवाहा, हरि गिरी सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार द्वारा निम्नलिखित स्थान पर किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को तत्काल रोकने का आदेश दिया गया है: हरि गिरी, सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार में लगभग 150.00 फिट × 60.00 फिट के क्षेत्र में कॉलम लगाने हेतु गड़दे खुदाई का कार्य किया जा रहा है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी।

परन्तु विपक्षी ने उर्पयुक्त निर्माण/विकास कार्य बन्द नहीं किया। इस परिस्थिति में अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य पुलिस बल से रूकवाया जाना अनिवार्य है।

अतः उपर्युक्त अधिनियम की धारा 28 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त स्थल पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को तत्काल रूकवा दें, तथा वहीं इस कार्य को कर रहे व्यक्तियों/सहायकों/श्रमिकों को कार्य स्थल से अविलम्ब हटा दें एवं आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि उपरोक्त रिक्वीजिशन (Requisition) का पालन हो चुकने के पश्चात् उपरोक्त स्थल पर निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि विकास/निर्माण कार्य पुनः आरम्भ न हो।


कृपया अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

उपाध्यक्ष/सचिव  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

प्रतिलिपि: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अपने स्तर से थानाध्यक्ष को अनाधिकृत निर्माण को रोकने का आदेश देने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष/सचिव  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

जिलाधिकारी  
हरिद्वार।



कार्यालय, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 1780 /नो0/कन0/411/2019-20

दिनांक: 29/11/19

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973,  
संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कार्यवाही की नोटिस।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण

बनाम

श्री निर्दोष कुशवाहा, श्री राजीव कुशवाहा  
एवं श्री निखिल कुशवाहा,  
हरिगिरि सन्यासा आश्रम के बगल में,  
कनखल, हरिद्वार।

आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त मामले में उपस्थिति, साक्ष्य,  
नोटिस के उत्तर के साथ सुनवाई अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में दिनांक 18.12.2019 को  
होगी।

अतः आप उक्त दिनांक व समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष स्वयं  
अथवा अपने द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत करना सुनिश्चित  
करें। कृपया सूचित हो कि अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही करने हुए  
अनाधिकृत निर्माण को सील/ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

सचिव,

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

जिलाधिकारी  
हरिद्वार।

2/12

5/12/19



कार्यालय, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 2435 /नो0/कन0/411/2019-20

दिनांक: 20 दिसम्बर, 2019

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973,  
संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कार्यवाही की नोटिस।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण बनाम श्री निर्दोष कुञ्जाहा, श्री राजीव कुञ्जाहा एवं श्री निखिल कुञ्जाहा, हरिगिरि सन्यासा आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार।

आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त मामले में उपस्थिति, साक्ष्य, नोटिस के उत्तर के साथ सुनवाई अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में दिनांक 15.01.2020 को होगी।


अतः आप उक्त दिनांक व समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष स्वयं अथवा अपने द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कृपया सूचित हो कि अनुपस्थिति की द्वा में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अनाधिकृत निर्माण को सील/ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

  
सचिव,  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

21

शिव शर्मा  
23-12-2019





Uttarakhand Housing & Urban Development Authority  
Department of Housing, Govt. of Uttarakhand  
Rajeev Gandhi Multipurpose Complex, Dispensary Road  
Dehradun - 248001 Telefax - 0135-2719500



Haridwar Roorkee Development Authority  
Near Tulsī Chowk, Mayapur,  
Haridwar, Uttarakhand 249401,  
+81-1334-220800,  
info@onlinehrda.com

998  
पत्रांक:- NO/KAN/411/19-20

दिनांक: Jun 8, 2021

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973  
संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कार्यवाही की नोटिस।

श्री निरदोश


हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

बनाम Shri Nirdosh Kushwah, Shri Rajeev  
Harigiri Sanyas Ashram ke Bagal me  
Kankhal Haridwar

आपके द्वारा स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अधीन नोटिस निर्गत करते हुये प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक Jun 7, 2021 नियत थी। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी न तो आप नियत तिथि में उपस्थित आये और न ही आप द्वारा अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अतः कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 28-क(1) के अधीन सील अथवा धारा-27 के अधीन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाय।

अतः आप दिनांक Jun 21, 2021 को 11:30 बजे पूर्वान्ह स्वयं अथवा आपके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा वांछित अभिलेख/साक्ष्य सहित अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति की दशा में अथवा वांछित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत न करने की दशा में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

21/6/2021  
16-6-2021



सचिव  
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

Uttarakhand Housing & Urban Development Authority  
Department of Housing, Govt. of Uttarakhand  
Rajeev Gandhi Multipurpose Complex, Dispensary Road  
Dehradun - 248001 Telefax - 0135-2719500



Haridwar Roorkee Development Authority  
Near Tulsī Chowk, Mayapur,  
Haridwar, Uttarakhand 249401,  
+91-1334-220800,  
info@onlinehrda.com

1679

पत्रांक:-NO/KAN/411/19-20

दिनांक: Jun 29, 2021

उत्तराखण्ड नगर, एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973,  
संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कार्यवाही की नोटिस।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

बनाम Shri Nirdosh Kushwah, Shri Rajeev


Harigiri Sanyas Ashram ke Bagal me  
Kankhal Haridwar

आपके द्वारा स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर, एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अधीन नोटिस निर्गत करते हुये प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक Jun 21, 2021 नियत थी। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी न तो आप नियत तिथि में उपस्थित आये और न ही आप द्वारा अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अतः कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 28-क(1) के अधीन सील अथवा धारा-27 के अधीन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाय।

अतः आप दिनांक Jul 14, 2021 को 11:30 बजे पूर्वाह्न स्वयं अथवा आपके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा वांछित अभिलेख/साक्ष्य सहित अपना पक्ष अघोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति की दशा में अथवा वांछित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत न करने की दशा में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

सचिव

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार



4  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

Page 1 of 1

Note: This is system generated report, Hence Digital Signature not required.

12-7-2021  
21/7/21



Uttarakhand Housing & Urban Development Authority  
Department of Housing, Govt. of Uttarakhand  
New Gandhi Multipurpose Complex, Dispensary Road  
Haridwar - 248001 Telefax - 0135-2719500

DLDA Haridwar  
Haridwar Roorkee Development Authority  
Near Tulsi Chowk, Mayapur,  
Haridwar, Uttarakhand 249401,  
+91-1334-220800,  
info@onlinehrda.com

2213

पत्रांक:- NO/KAN/411/19-20

दिनांक: 25/8/21  
Aug 11, 2021

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973.


संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कार्यवाही की नोटिस।

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

बनाम Shri Nirdosh Kushwah, Shri Rajeev  
Harigiri Sanyas Ashram ke Bagal me  
Kankhal Haridwar

आपके द्वारा स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अधीन नोटिस निर्गत करते हुये प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक Aug 7, 2021 नियत थी। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी न तो आप नियत तिथि में उपस्थित आये और न ही आप द्वारा अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अतः कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आप द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 की धारा 28-क(1) के अधीन सील अथवा धारा-27 के अधीन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाय।

अतः आप दिनांक Sep 24, 2021 को 11:30 बजे पूर्वान्ह स्वयं अथवा आपके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा वांछित अभिलेख/साक्ष्य सहित अपना पक्ष अघोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति की दशा में अथवा वांछित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत न करने की दशा में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।



सचिव

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

## कार्यालय हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 2255 / नो0 / कन0 / 411/2019-20

दिनांक 01 / 10 / 2021

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।


बनाम

श्री निर्दोश कुशवाहा, श्री राजीव कुशवाहा, एवं  
श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरी सन्यास आश्रम के  
बगल में, कनखल हरिद्वार।

आदेश

अनाधिकृत विकास सम्बन्धी अवर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 के अनुसार हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में कनखल, हरिद्वार में लगभग 150 फिट × 60 फिट के क्षेत्रफल में कॉलम लगाने हेतु गडढे खुदाई का कार्य किया जा रहा है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी श्री निर्दोश कुशवाहा, राजीव कुशवाहा, एवं श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल हरिद्वार के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1), धारा-28(1) एवं धारा-28(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या- नो0/ कन0/411/2019-20 योजित किया गया तथा सुनवाई हेतु दिनांक 25.11.2019 नियत की गयी। नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया। विपक्षी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 24.09.2021 नियत की गयी। पुनः सहा0 अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। सहा0 अभियन्ता की स्थल निरीक्षण आख्या दिनांक 13.08.2021 के अनुसार विपक्षी द्वारा स्थल पर लगातार अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। साथ ही आख्या में निर्माण कार्य को स्थायी रूप से रूकवाने हेतु चालानशुदा निर्माण को सील किये जाने हेतु आख्या अग्रसारित की गयी। विपक्षी द्वारा स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा स्थल पर बिना स्वीकृति प्राप्त किये लगातार नोटिसों की अवहेलना करते हुए अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। जिसे सील किया जाना अन्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा नियमों का लगातार उल्लंघन करते हुए स्थल पर अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। अतः उक्त अनाधिकृत निर्माण को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क(1) के अन्तर्गत सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। सील की कार्यवाही दिनांक 04 / 09 / 2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे के मध्य की जायेगी। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। विपक्षी के अनुपस्थित की दशा में सील की कार्यवाही एक पक्षीय निष्पादित की जाए। विपक्षी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि स्थल पर यथास्थिति बनाये रखें तथा अनाधिकृत निर्माण पर लगायी गयी सील को न तो ध्वस्त करे और न होने दे। क्योंकि ऐसा कृत्य सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के समान है और ऐसा होना विधिक रूप से दण्डनीय अपराध भी है साथ ही विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय के आदेश की प्रति ससमय प्राधिकरण में दाखिल करनी होगी ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। सील आदेश की एक प्रति विपक्षी को तामील हो तथा एक प्रति स्थल पर चस्पा की जाए।



*[Signature]*  
सचिव,

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस अविरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में स्थल पर सील की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सिटी मजिस्ट्रेट, हरिद्वार को इस आशय से कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने का कष्ट करें।
4. थानाध्यक्ष, कनखल, जिला-हरिद्वार को नियत तिथि पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
5. सहायक अभियन्ता/क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/प्राधिकरण अधिवक्ता/स्टोर कीपर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*[Signature]*

जिलाधिकारी  
हरिद्वार

*[Signature]*  
सचिव,

कार्यालय हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

क्र. 2255 / नो 0 / कन 0 / 411/2019-20

दिनांक 01 / 09 / 2021

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।


बनाम

श्री निर्दोश कुशवाहा, श्री राजीव कुशवाहा, एवं  
श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरी सन्यास आश्रम के  
बगल में, कनखल हरिद्वार।

आदेश

अनाधिकृत विकास सम्बन्धी अवर अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 के अनुसार हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में कनखल, हरिद्वार में लगभग 150 फिट × 60 फिट के क्षेत्रफल में कॉलम लगाने हेतु गड्ढे खुदाई का कार्य किया जा रहा है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी श्री निर्दोश कुशवाहा, राजीव कुशवाहा, एवं श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल हरिद्वार के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1), धारा-28(1) एवं धारा-28(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वाद संख्या- नो0/ कन0/411/2019-20 योजित किया गया तथा सुनवाई हेतु दिनांक 25.11.2019 नियत की गयी। नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया। विपक्षी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 24.09.2021 नियत की गयी। पुनः सहा0 अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। सहा0 अभियन्ता की स्थल निरीक्षण आख्या दिनांक 13.08.2021 के अनुसार विपक्षी द्वारा स्थल पर लगातार अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। साथ ही आख्या में निर्माण कार्य को स्थायी रूप से रूकवाने हेतु चालानशुदा निर्माण को सील किये जाने हेतु आख्या अग्रसारित की गयी। विपक्षी द्वारा स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा स्थल पर बिना स्वीकृति प्राप्त किये लगातार नोटिसों की अवहेलना करते हुए अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। जिसे सील किया जाना अन्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा नियमों का लगातार उल्लंघन करते हुए स्थल पर अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। अतः उक्त अनाधिकृत निर्माण को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क(1) के अन्तर्गत सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। सील की कार्यवाही दिनांक 04 / 09 / 2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे के मध्य की जायेगी। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। विपक्षी के अनुपस्थित की दशा में सील की कार्यवाही एक पक्षीय निष्पादित की जाए। विपक्षी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि स्थल पर यथास्थिति बनाये रखें तथा अनाधिकृत निर्माण पर लगायी गयी सील को न तो ध्वस्त करे और न होने दे। क्योंकि ऐसा कृत्य सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के समान है और ऐसा होना विधिक रूप से दण्डनीय अपराध भी है साथ ही विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय के आदेश की प्रति ससमय प्राधिकरण में दाखिल करनी होगी ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। सील आदेश की एक प्रति विपक्षी को तामील हो तथा एक प्रति स्थल पर चस्था की जाए।

  
सचिव,

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में स्थल पर सील की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सिटी मजिस्ट्रेट, हरिद्वार को इस आशय से कि नियत तिथि व समय पर स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने का कष्ट करें।
4. थानाध्यक्ष, कनखल, जिला-हरिद्वार को नियत तिथि पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
5. सहायक अभियन्ता/ क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/ प्राधिकरण अधिवक्ता/ स्टोर कीपर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
21/9/21



  
जिलाधिकारी  
हरिद्वार

सचिव,

न्यायालय आयुक्त / जज, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण।

अपील संख्या - /2020-21

अन्तर्गत धारा 28क (4) उत्तराखण्ड नगर योजना एवं विकास अधिनियम

राजीव कुमार आदि

बनाम

सचिव एचओआरडीओ

नोट आदेश दिनांक - 15-09-2021

पश्चात् अपील सचिव, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश पत्रांक 2440/नो0/कन0/411/2019-20 एवं नो0/कन0/318/2020-21 दिनांक 13-09-2021 के विरुद्ध योजित की गयी है।

अपील की माह्यता पर वि० अधिकता अपीलार्थी को सुना। वि० अधिकता का तर्क है कि अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 112 रकबा 278.71 वर्गमीटर, 278.71 वर्गमीटर तथा 278.71 वर्गमीटर स्थित मौजा जगजीतपुर परगना ज्वालापुर तीन अलग अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से क़य किये गये थे। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त भूमि क़य करने के पश्चात् प्राधिकरण से आवासीय भवन हेतु दो अलग अलग मानदिव्र दिनांक 26-03-2019 व 15-06-2019 को स्वीकृत कराये। अपीलार्थीगण द्वारा मानदिव्र स्वीकृत करने के पश्चात् सम्पत्ति पर आवासीय भवन का निर्माण शुरू किया गया जिसके उपरान्त अपीलार्थीगण को प्राधिकरण से नोटिस दिनांक 25-08-2021 प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थीगण को प्राधिकरण के तमाम दिनांक 24-09-2021 को पात 1130 बजे उपस्थित होने हेतु कहा गया। अपीलार्थीगण को नियत तिथि से पूर्व दिनांक 07-09-2021 को सील के आदेश प्राप्त हुये जिसके पश्चात् अपीलार्थीगण प्राधिकरण में उपस्थित हुये तथा अपने पूर्व में स्वीकृत मानदिव्र के अन्य संबंधित दस्तावेजों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके बाद प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी को आश्वासन दिया गया कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 24-09-2021 का ही अग्रिम कार्यवाही/सुनवाई की जायेगी जिसकी सूचना अपीलार्थीगण को नोटिस के माध्यम से दी जायेगी। अपीलार्थीगण द्वारा प्राधिकरण के कार्यालय से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् मौके पर यथास्थिति बनायी हुई है तथा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा नियत तिथि से पूर्व ही सील आदेश पारित किया गया है तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि विधिविरुद्ध है अतः अपील स्वीकार कर उचित आदेश निरस्त करने का अनुरोध वि० अधिकता द्वारा किया गया।

प्राधिकरण के आदेश का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के आदेश में उल्लेख किया गया है कि अनाधिकृत विकास संबंधी अंतर अभिव्यक्त की तिथि दिनांक 15-11-2019 के अनुसार हरिद्वारी संन्यास आश्रम के भग्नल में कनसल हरिद्वार में निर्माण 150 फिट X 60 फिट के क्षेत्रफल में कौलम लगाने हेतु गडदे बुवाई का कार्य किया जा चुका है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर वि० अधिकता द्वारा योजित किया गया। पुनः अंतर अभिव्यक्ता द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 08-09-2021 के

अनुसार सचिव द्वारा पारित आदेश संख्या 2255 दिनांक 01-09-2021 में अनुसूचित क्षेत्रों में निर्माण कार्य जारी रहे अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 04-04-2021 को सील किया गया है। प्राधिकरण के विभागीय अन्य अति आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण नियत तिथि पर मौके पर नहीं जा सका।



जिलाधिकारी  
हरिद्वार



## कार्यालय, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 2858/नो/कन0/411/2019-20 एवं नो/कन0/318/2020-21

दिनांक 07/10/2021

विषय:- उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, संशोधित अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

श्री निर्दोश कुशवाहा, श्री राजीव कुशवाहा,  
एवं श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में,  
कनखल हरिद्वार।

उत्तराखण्ड (उ0प्र0)नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन अधिनियम, 2009) धारा-28क(1) के अधीन हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार में विपक्षी श्री निर्दोश कुशवाहा, श्री राजीव कुशवाहा, एवं श्री निखिल कुशवाहा, हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार के द्वारा लगभग 150 फिट × 60 फिट के क्षेत्रफल में कॉलम लगाने हेतु गड्डे खुदाई का कार्य किया जाने एवं अनाधिकृत निर्माण की कोई स्वीकृति प्रस्तुत न होने के कारण निर्गत आदेश दिनांक 19.11.2019 के उल्लंघन फलस्वरूप दिनांक 13.9.2021 को अनाधिकृति निर्माण सील करने का आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध आपके द्वारा मा0 न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल/अध्यक्ष हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार के न्यायालय में अपील योजित की गयी। उक्त अपील पर दिनांक 16.09.21 को मा0 न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करे।

अतः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आपको 24.09.21 की तिथि नियत की गयी परन्तु आपके द्वारा नियत तिथि पर प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व प्रेषित नोटिस के उत्तर में अभी तक स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक उत्तर/शमन मानचित्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण मामले का निस्तारण किये जाने में विलम्ब हो रहा है।

अतः आपको अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 22/10/21 को अयोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न प्रश्नगत स्थल पर आप द्वारा किये गये समस्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाये। कृपया सूचित हों कि आपकी अनुपस्थिति की दशा में यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव,

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,


हरिद्वार।

प्रतिलिपि:- श्री पंकज पाठक, सहायक अभियन्ता, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को इस आदेश के साथ कि अनाधिकृत निर्माण की अद्यतन स्थिति फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये तथा यह भी सुनिश्चित करें मौके पर किसी प्रकार का निर्माण तो नहीं हो रहा है।

सचिव,

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार।



जिलाधिकारी  
हरिद्वार

## कार्यालय हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 483 / नो0 / कन0 / (411 / 19-20) (318 / 2020-21)

दिनांक 26 अप्रैल, 2022

विषय:- गंगा नदी के किनारे से निर्माण की दूरी के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने विषयक।

सेवा में,

श्री राजीव सोनी  
सहायक अभियन्ता-चतुर्थ,  
सिचाई खण्ड-हरिद्वार।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि हरिगिरी सन्यास आश्रम के बगल में, कनखल, हरिद्वार में श्री राजीव कुमार/श्री निखिल कुमार पुत्र श्री यादराम आदि के नाम से वाद संख्या नो0/कन0/411/2019-20 एवं नो0/कन0/318/2020-21 इस कार्यालय में योजित है। इस संबंध में शिकायकर्ता श्री नीरज छाछर द्वारा शिकायती पत्र दिनांकित 10.12.2021 मा0 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 200 मी0 की परिधि में है।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या-124/2022 के द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.02.2022 द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

1. Grievance of the applicants Mr. Neeraj Chhachar & Mr. Manish Kangran, is regarding large scale unauthorized construction of apartments on the bank of River Ganga at Beliram Ashram, Anandmai Ashram Pul, Haridwar, at a distance of 200 meters from river Ganga which is causing pollution in the river and is in violation of environmental norms.
2. We have given our thoughts to this matter. In view of above, we formed a Joint Committee consisting of State PCB and District Magistrate, Haridwar to look into the grievance of the applicant and to take remedial action as per law after following due process.


अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि प्रश्नगत निर्माण श्री राजीव कुमार/श्री निखिल कुमार पुत्र श्री यादराम आदि गंगा नदी से 200 मी0 की परिधि में आता है अथवा नहीं तथा वर्तमान में इस संबंध में लागू शासनादेश का भी स्पष्ट अंकन करते हुए अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या उक्त निर्माण किये जाने में प्रचलित शासनादेशानुसार सिचाई विभाग को कोई आपत्ति तो नहीं है। ताकि तदनुसार प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।

सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार सादर सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को सादर सूचनार्थ।



सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

जिलाधिकारी  
हरिद्वार